सोमवार,
१६ फरवरी, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

सोमवार, १६ फरवरी, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दुर्लभ मिट्टी (रेयर अर्थस) फ़ैक्टरी में उत्पादन

*६२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आलवई, त्रावणकोर कोचीन राज्य में हाल ही में जो दुर्लभ मिट्टी (रेअर अर्थस) फैक्टरी खोली गई है, क्या उसका सम्पूर्ण उत्पादन आन्तरिक उपभोग के लिये होगा अथवा क्या इसका कोई भाग निर्यात भी किया जायगा, यदि किया जायगा तो किन देशों को किया जायगा, कितनी मात्रा में किया जायगा तथा किस उद्देश्य के लिये किया जायगा।

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): एक विवरण जिस में कि अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रख दिया जाता है। [**देखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४**]

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: श्रीमान्, क्या हम जान सकते हैं कि इस फ़ैक्टरी द्वारा कितना थोरियम प्रति वर्ष पैदा किया जायगा ?

श्री के० डी० मालवीय: थोरियम तथा यूरेनियम टिकियों की शक्ल में इस फ़ैक्टरी में उप-उत्पादों के रूप में तैयार होता है, किन्तु इन्हें फिर बम्बई स्थित एक और फ़ैक्टरी में अन्तिम रूप से तैयार किया जाता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: मैं मात्रा जानना चाहती थी। क्या माननीय मंत्री इसकी मात्रा बता सकते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: मुझे खेद है कि मैं मात्रा के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकूंगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या मैं जान सकती हूं कि यह थोरियम भारत में विज्ञान तथा उद्योग की किन विभिन्न शाखाओं में उपयोग में लाया जा सकेगा ?

श्री के० डी० मालवीय: नाइट्रेट के रूप में थोरियम का एक हिस्सा गैस मेंटल उद्योग में उपयोग में लाया जायगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या भारत में केवल इसी एक उद्योग में यह उपयोग में लाया जा सकता है ?

श्री के० डी० मालवीय: इस समय तो हमारी जानकारी यही कुछ है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या हम जान सकते हैं कि इस फ़ैक्टरी से कितने विदेशी सम्बद्ध हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: जहां तक आलवई स्थित फ़ैक्टरी का सम्बन्ध है यह हमारे द्वारा चलाई जा रही है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: इस फ़ैक्टरी के संचालक बोर्ड में डा० जान फिलिपोस नाम के जो व्यक्ति हैं, वह कहां के प्रजाजन हैं ? क्या वह त्रावनकोर-कोचीन वासी हैं अथवा कोई विदेशी हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: माननीय सदस्या ने जिस विदेशी का नाम लिया है वह मेरी जानकारी में संचालक बोर्ड में नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या यह सत्य है कि इस फ़ैक्टरी के काम के साथ तीन फ़्रांसीसी तथा दो जर्मन यांत्रिक सम्बद्ध हैं ।

श्री के० डी० मालवीय: मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं । मुझे इसकी पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री ए० एम० टामस: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस फ़ैक्टरी ने उत्पादन का कार्य शुरू किया है तथा इस समय तक प्राप्त अनुभव के आधार पर क्या यह फ़ायदे पर चल रही है तथा यदि फ़ायदे पर चल रही है तो फ़ायदा कुल कितना हुआ है ?

श्री के० डी० मालवीय: इस फ़ैक्टरी का उद्घाटन प्रधान मंत्री ने पिछले ही महीने किया है । उस समय से हम ने जनवरी में ७७ टन क्लोराइड तथा १५ टन कार्बोनेट तैयार किया है । हम इसे भली भांति चला रहे हैं ।

श्री ए० एम० टामस: क्या माननीय मंत्री बता सकते हैं कि क्या इस समय तक कोई लाभ भी हुआ है, तथा यदि हुआ है तो कितना ?

श्री के० डी० मालवीय: जी नहीं, श्रीमान्, मैं इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बता सकता हूं ।

श्री वी० पी० नायर: इस फ़ैक्टरी में जो कुछ तेजोद्गर खनिज पदार्थ पैदा किये जाते हैं, उनके महत्व को दृष्टि में रखते हुये क्या सरकार की यह नीति है कि विदेशी प्रजाजन इस उद्योग से सम्बद्ध हों ?

श्री के० डी० मालवीय: अब हमें विदेशियों को इस फ़ैक्टरी के काम के साथ सम्बद्ध रखने की कोई आवश्यकता नहीं । हम यह काम स्वयं ही करना चाहते हैं ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस फ़ैक्टरी द्वारा कितना मोनाजाइट प्रति महीने प्रयोग में लाया जाता है तथा इस मोनाजाइट का मूल्य क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय: इस फ़ैक्टरी द्वारा कितना मोनाजाइट प्रयोग में लाया जाता है, यह मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता हूं । परन्तु यह फ़ैक्टरी सामान्यतः १,६५० टन दुर्लभ मिट्टी क्लोराइड अथवा १,१५० टन कार्बोनेट तैयार कर सकती है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर: यह किस काम आता है ?

एक माननीय सदस्य: पूर्व सूचना के लिये कहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय: इस प्रकार का विचार प्रकट करना अनावश्यक है । माननीय सदस्य ऐसा कर सकते हैं जब कि वह स्वयं मंत्री बन जायें ।

डा० लंका सुन्दरम: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस फ़ैक्टरी का पूंजी-परिव्यय क्या है तथा संधारण व्यय क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : ८० लाख रुपये चालू पूंजी है ।

डा० लंका सुन्दरम् : इसका संधारण व्यय क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास इस समय इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रधान मंत्री द्वारा औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन करने से पूर्व क्या इस फ़ैक्टरी ने उत्पादन का काम शुरू नहीं किया था तथा क्या यह पूर्णतयः अब उत्पादनकार्य कर रही हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं आपको ठीक ठीक कार्यक्रम नहीं बता सकता हूं । परन्तु मैं ने अभी निवेदन किया है कि हम ने जनवरी में ७७ टन दुर्लभ मिट्टी क्लोराइड तैयार किया है ।

श्री आर० के० चौधरी : उत्तर में जैसे कि कहा गया है कि इस की अच्छी खासी मात्रा देश में भी काम में लाई जाती है, क्या मैं श्रीमान्, जान सकता हूं कि क्या यह पदार्थ मानव उपभोग के लिये भी उपयुक्त है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान्, सदन पटल पर रखे गये विवरण से मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है । मैं ने यह पूछा था कि देश में उत्पादन की कितनी मात्रा उपभोग में लाई जायेगी तथा क्या निर्यात के लिये भी कोई मात्रा बच जायगी, और यदि बच जायगी तो यह पदार्थ किस देश को कितनी मात्रा में निर्यात किया जायगा । उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री के० डी० मालवीय : इसका उत्तर दिया गया है । इसके अलावा मैं काल्पनिक रूप से उत्तर नहीं दे सकता हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान्, यह कोई काल्पनिक प्रश्न नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत कम मात्रा में है । यह फ़ैक्टरी पिछले ही महीने खोली गई है तथा इसका उत्पादन थोड़ा है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह फ़ैक्टरी केवल दुर्लभ मिट्टी क्लोराइड ही तैयार करेगी अथवा क्या इस में दुर्लभ मिट्टी कार्बोनेट तैयार करने की भी कोई व्यवस्था है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस में कार्बोनेट भी तैयार किया जा सकेगा ।

श्री मात्तन उठे--

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने इस प्रश्न पर छै मिंट बिताये हैं । अगला प्रश्न ।

हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट फ़ैक्टरी, बंगलौर

***६३. सरदार हुक्म सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत के प्रथम प्रशिक्षण वायुयान ने ३ जनवरी, १९५३ को बंगलौर से उड़ान की ;

(ख) क्या यह बंगलौर की हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फ़ैक्टरी द्वारा बनाया गया था ; और

(ग) क्या इसके सारे पुर्ज़े भारत में ही बनाये गये थे ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) भारत में बने पहले वायुयान एच० टी० २ ने अगस्त १९५१ में शासकीय परीक्षण के सिलसिले में उड़ान की । इस वायुयान की "उड्डयन योग्यता का प्रमाण-पत्र" संचरण मंत्री द्वारा ३ जनवरी १९५३ को औपचारिक रूप से दे दिया गया ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) इसके अधिकांश पुर्ज़े देशीय हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : श्रीमान्, कौन से पुर्ज़े अभी आयात करने पड़ते हैं ?

सरदार मजीठिया : यंत्र--जैसे कि वायु-गति सूचक, ऊंचाई मापक यंत्र, प्रति मिनट परिक्रमण सूचक यंत्र, तापमान गेज, निपीडामान (प्रशर गेज) ईंधन रखने वाला गेज आदि आदि ।

सरदार हुक्म सिंह : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह प्रशिक्षण वायुयान वायु-सेना तथा नागरिक उड्डयन दोनों की आवश्यकतायें पूरी करेगा अथवा केवल एक ही उद्देश्य के काम आयेगा ?

सरदार मजीठिया : विचार तो यह है कि यह वायु सेना तथा नागरिक उड्डयन दोनों के लिये प्रारम्भिक प्रकार के प्रशिक्षण वायुयान के रूप में प्रयोग में लाया जायेगा ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विस्तृत पैमाने पर उत्पादन का कार्य शुरू हुआ है ?

सरदार मजीठिया : यह लगभग शुरू हुआ है ?

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं आयात किये गये प्रशिक्षण-वायुयानों तथा यहां बने प्रशिक्षण वायुयानों की तुलनात्मक लागत जान सकता हूं ?

सरदार मजीठिया : लागत का कम ज्यादा होना इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने वायुयान तैयार किये जाते हैं तथा इस समय हम यह ठीक ठीक नहीं बता सकते हैं कि लागत क्या कुछ आयेगी ।

श्री जयपाल सिंह : मंत्री जी ने अभी बताया कि रक्षा मंत्रालय एच० टी० २ प्रकार के तैयार किये गये सभी वायुयानों को खरीदने जा रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि संचरण मंत्रालय ने इन्हें इस समय लेना क्यों नहीं स्वीकार किया है ? इसके कारण क्या हैं ?

सरदार मजीठिया : मैं ने यह नहीं बताया कि यह केवल वायु-सेना के लिये हैं । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, शायद वह अभी भी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कितने वायुयानों के लिये व्यादेश दिये जायें ।

श्री जयपाल सिंह : क्या मैं निवेदन करूं कि मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है ? उनके पूर्वाधिकारी ने गत सत्र में एक निश्चित उत्तर देते हुये कहा कि संचरण मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन के लिये एच० टी० २ वायुयान प्रशिक्षण वायुयान के कार्य के अनुपयुक्त पाया है । उस समय मैं ने प्रश्न पूछा था कि क्या रक्षा मंत्रालय ने विकास, निर्माण आदि की सम्पूर्ण परियोजना अपने ज़िम्मे ली है अथवा क्या इसका देश की नागरिक उड्डयन अपेक्षाओं के साथ कोई समन्वय है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दिया जा चुका है यह दोबारा क्यों पूछा गया है ?

श्री जयपाल सिंह : जी नहीं, श्रीमान् । मंत्री जी ने अभी बताया कि अस्थायी रूप से इस फ़ैक्टरी का सम्पूर्ण उत्पादन रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रयोग में लाया जायगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या रक्षा मंत्रालय को इस फ़ैक्टरी से माल ले जाने का एकाधिकार है अथवा क्या समय आने पर नागरिक उड्डयन की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रश्न पर भी विचार किया जायगा ।

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय रक्षा मंत्री के किस पूर्व-अधिकारी ने ऐसा कहा है । माननीय मंत्री गत सत्र में उपस्थित नहीं थे तथा जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं ने

ऐसा नहीं कहा है । उनका वास्तव में क्या आशय था जब कि उन्होंने बताया कि मंत्री जी के पूर्व अधिकारी ने ऐसा कहा है ?

श्री जयपाल सिंह : मैं अपने तरुण मित्रों से कहूंगा कि रक्षा मंत्रालय सदैव वहां विद्यमान है चाहे वह वहां हों अथवा न हों ।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय आयात किये जाने वाले पुर्ज़ों में से कुछ पुर्ज़े बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन पुर्ज़ों को बनाने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है जो कि इस समय आयात किये जाते हैं ?

सरदार मजीठिया : श्रीमान्, जितना हम बना सकते हैं उतना बनाने के लिये प्रत्येक कोशिश की जा रही है । चूंकि यह सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतादर्शक यंत्र हैं, इसलिये हम इन्हें इस समय तक नहीं बना सके हैं ।

श्री जयपाल सिंह : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि 'पाइपर कब' की तुलना में 'एच० टी० २' का प्रवर्तन परिव्यय क्या है ?

सरदार मजीठिया : श्रीमान्, इन दो वायुयानों का कोई मुकाबिला नहीं क्योंकि इनकी शक्ति में तथा इनकी उड्डयन विधि में बहुत भारी अन्तर है । हम इनकी तुलना नहीं कर सकते हैं क्योंकि उपयुक्तता पर भी बहुत कुछ निर्भर है, उदाहरण के तौर पर यह वायुयान उड्डयन सम्बन्धी बहुत से खेल कुशलता से कर सकता है जो कि 'पाइपर कब' नहीं कर सकता है ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री जी ने बताया कि हम अभी भी कुछ पुर्ज़े आयात कर रहे हैं । श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि आयात किये गये पुर्ज़ों का मूल्य सम्पूर्ण वायुयान के वास्तविक मूल का कितना प्रतिशत भाग है ?

सरदार मजीठिया : श्रीमान्, मेरे पास यह आंकड़ें नहीं हैं । परन्तु यह बहुत ही कम है ।

श्री जोशिम अलवा : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस वायुयान का ईंजन इसी फ़ैक्टरी में तैयार होता है अथवा अन्य फ़ैक्टरियों में तैयार होता है ?

सरदार मजीठिया : इस वायुयान का ईंजन आयात किया जाता है ।

भारत-अमेरिका टैक्नीकल सहयोग क़रार

*६४. **श्री नानादास :** क्या **वित्त मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-अमेरिका टैक्निकल सहयोग क़रार के अन्तर्गत इस समय तक कुल कितनी सहायता मंज़ूर की गई है तथा प्राप्त की गई है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि ५ करोड़ डालर की प्रारम्भिक सहायता के अलावा अमरीकी सरकार ने एक और क़रार पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके अन्तर्गत भारत को ३ करोड़ ८५ लाख डालर की और अधिक सहायता दी गई है ;

(ग) यदि ऊपर भाग (ख) का उत्तर 'हां' हो, तो क्या ३ करोड़ ८५ लाख डालर की इस राशि के देने के सम्बन्ध में कोई अलग प्रवर्त्तन क़रार किया गया है ; और

(घ) क्या सरकार इन प्रवर्त्तनों क़रारों की प्रतियां सदन पटल पर रखने की प्रस्थापना करती है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) दो वर्षों के लिये सहायता की जो राशि आवंटित की गई है वह ८ करोड़ ८५ लाख है तथा इस में से ५ करोड़ ४ लाख ५० हज़ार डालर का माल मंगाया गया है ।

(ख) जी हां, श्रीमान्, अनुपूरक क़रार की एक प्रति सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ग) तथा (घ) इस समय तक छै प्रवर्त्तन क़रारों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं जो कि ३ करोड़ ८५ लाख डालर की राशि में से २ करोड़ ३५ लाख डालरों से सम्बन्ध रखते हैं । इन क़रारों की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । शेष धनराशि के लिये और अधिक प्रवर्तन क़रारों पर विचार हो रहा है ।

श्री नानादास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि अमेरिका से जो सहायता प्राप्त हुई है क्या उसका कोई भाग संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर खर्च किया गया है ; तथा यदि किया गया है तो कितना ?

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, मेरे पास इस समय यह सूचना नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर कितना माल मंगाया गया है ।

श्री नानादास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मंजूर की गई सहायता कब तक उपयोग में लाई जानी अपेक्षित है ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह बताना बहुत ही कठिन है । अधिकांश धनराशि पहले ही दी जा चुकी है तथा हम आशा करते हैं कि हम इसका अधिक से अधिक फायदा उठायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य स्पष्टतय: यह जानना चाहते हैं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई क़रार हुआ है कि उल्लिखित सहायता एक निश्चित समय के अन्दर उपयोग में लाई जानी चाहिये ।

श्री सी० डी० देशमुख : इस सम्बन्ध में कोई क़रार नहीं हो सकता है । विनियोग एक विशिष्ट वर्ष के लिये किया जाता है तथा हम उसका यथा सम्भव अधिकाधिक फ़ायदा उसी वर्ष में उठाने की कोशिश करते हैं तथा अनुमोदित परियोजनाओं के लिये मंगाया गया माल प्राप्त करते हैं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : श्रीमान्, मूल टैक्नीकल सहयोग क़रार के अनुच्छेद २ से मैं देख पाता हूं कि जिस धन की व्यवस्था की गई है वह ऐसी परियोजनाओं पर लगाया जायगा जिन से कि अमरीकी ठेकेदार भी सहमत हों । श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि इस ३ करोड़ ८५ लाख डालर की राशि के सम्बन्ध में भी क्या इस प्रकार का अमरीकी अभिषेद (वीटो) जारी रहेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, पहले तो सहमति का अर्थ अभिषद नहीं है । इसका अर्थ आग्रह है जिस से कि माननीय सदस्य परिचित नहीं है । 'परियोजनायें' शब्द पर भी कुछ अत्यधिक ज़ोर दिया गया है । इसका अर्थ केवल यह है कि मान लीजिये कि हम कृषिसार किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये काम में लायेंगे तो इस तरह से हम दोनों इस बात पर सहमत हुये कि कृषिसार खरीदना होगा । तथा अमुक मूल्य का खरीदना होगा । उदाहरण के तौर पर ३ करोड़ ८५ लाख डालर में से ६० लाख डालर कृषिसारों के आयात पर व्यय होगा । फिर इसी तरह से लोहे तथा इस्पात का आयात है । लोहे तथा इस्पात के आयात को हम निस्सन्देह ही 'परियोजना' नहीं कह सकते हैं । हमारा कहना यह है कि देश की विभिन्न परियोजनाओं के लिये हमें ८५ लाख डालर के मूल्य के इस्पात तथा लोहे की आवश्यकता है । इसी तरह फिर सामुदायिक विकास कार्यों की बात आ जाती है । अब, यह एक ऐसी बात है जिसके सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से अमेरिका से सहमति प्राप्त नहीं की गई है । इसी तरह मलेरिया की रोकथाम

का प्रश्न है। फिर ग्राम-कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण तथा नदी घाटी योजनाओं का प्रश्न है। यह भी तो परियोजनायें हैं। इनका अनुमोदन उस समय किया गया है जब कि सहायता की कल्पना भी नहीं की गई थी।

श्री एच० एन० मुकर्जी: अनुच्छेद २ में निर्दिष्ट मामलों की ओर निदश करते हुये मैं चाहता हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य जो व्याख्या दे रहे हैं वह माननीय मंत्री को स्वीकार नहीं। क्या मैं दोनों के बीच फ़ैसला करूं ?

श्री एच० एन० मुकर्जी: श्रीमान्, मैं यह नहीं चाहता हूं कि आप फ़ैसला करें। मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। अनुच्छेद २ में यह विशिष्ट उपबन्ध है कि इस निधि का प्रशासन भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये एक अधिकारी तथा अमेरिका के टैक्नीकल सहयोग डायरेक्टर द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जायगा तथा इसे केवल टैक्नीकल सहयोग की मानी हुई परियोजनाओं पर व्यय किया जायगा। और भी अन्य अनुच्छेद हैं जिनकी ओर निर्देश करने के लिये मेरे पास समय नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में भी इस प्रकार की कोई शर्त है ?

उपाध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य कृपया अपने आसन पर बैठ जायें। माननीय मंत्री ने एक मद के बाद दूसरी मद पढ़ के सुनाई है। इन में से कुछेक परियोजनायें इस क़रार से बहुत पहले स्वीकृत की गई थीं। कुछ भी हो, यह सारी परियोजनायें विद्यमान हैं। कृषिसार भी मौजूद है तथा इन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिये देश भर में वितरित किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में माननीय मंत्री पर इस बात का ज़ोर डालने का क्या फ़ायदा है कि उनकी व्याख्या ग़लत है ? यह वादविवाद का एक विषय ह।

श्री एच० एन० मुकर्जी: श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की कोई बात है।

उपाध्यक्ष महोदय: ऐसी कोई बात नहीं है। उत्तर में इस बात का पर्याप्त स्पष्टीकरण है।

श्री नानादास: भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका को इस बात का जो अधिकार देना मान लिया है कि वह इस क़रार की निधि 'क' में अपना अंशदान देना बन्द कर सकता है, क्या सरकार द्वारा मूल क़रार में इस सम्बन्ध में कोई संशोधन करने की कोशिश की गई है।

श्री सी० डी० देशमुख: इस पर पुनर्विचार करने का कोई विचार नहीं।

श्री दामोदर मेनन: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सहायता केवल माल के रूप में ही प्राप्त होती है ?

श्री सी० डी० देशमुख: जी हां, जब तक कि यह टैक्नीकल सहायता न हो, यह माल के रूप में ही प्राप्त होती है।

श्री नानादास: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मूल क़रार में इस बात का उपबन्ध नहीं रखा गया है कि इस क़रार में संशोधन हो सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री ने बताया कि ऐसा करने का कोई विचार नहीं।

श्री ए० के० बसु: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माल के मूल्य वही होंगे जो कि क़रार के समय चालू होंगे अथवा क्या वह अमरीका की सरकार के संकेत पर निश्चित किये जायेंगे ?

श्री सी० डी० देशमुख: यह माल बड़े मुनासिब दामों पर खरीदा जाता है। क़ीमतें क़रार के समय निश्चित नहीं की जाती हैं।

श्री नानादास: संयुक्त राज्य अमेरिका ने ८ करोड़ ८५ लाख डालर आवंटित किये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क़रार के अन्तर्गत भारतीय पूंजी का समानुपात क्या है ?

श्री सी० डी० देशमुख: मैं इसे समझ नहीं सका हूं।

श्री नानादास: प्रश्न यह है कि क्या भारत भी कुछ धन देता है तथा उसका अनुपात क्या है ?

श्री सी० डी० देशमुख: मान लीजिये कि हमारे पास नदी घाटी विकास कार्यों के लिये १८ लाख ५० हज़ार डालर हैं। हम नदी घाटी विकास कार्यों पर कितना धन खर्च कर रहे हैं। यह ५०० करोड़ रुपये से अधिक है। मुझे मालूम नहीं कि उनके कहने का आशय क्या है। यदि उनका आशय यह है कि किसी विशिष्ट परियोजना में इस सहायता से कितना धन लगाया जाता है तथा भारत सरकार को उसमें कितना व्यय करना पड़ता है, तो मैं यहीं कहूंगा कि यह समानुपात बहुत ही कम है।

श्री बी० एस० मूर्ति: जब से इस क़रार पर काम करना शुरू हुआ है, क्या ऐसी कोई घटना टी है जब कि भारतीय अधिकारी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नियुक्त अधिकारी के बीच इस सहायता के उपयोग में लाने के सम्बन्ध में कोई मतभेद हुआ है ?

श्री सी० डी० देशमुख: इन क़रारों के अन्तर्गत वैसे ही काम होता है जैसे कि क़रारों के अन्तर्गत हुआ करता है। अर्थात् प्रस्थापनायें हम पेश करते हैं तथा फिर हो सकता है कि अमरीकी अधिकारी यह कहें कि "हम तुम्हारे लिये कृषिसारों के रूप में अथवा लोहा तथा इस्पात के रूप में इतना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या तुम इस सम्बन्ध में अपनी अपेक्षायें कम करके इसे अन्य दिशा में बढ़ा सकते हैं।" प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में इस प्रकार का मतभेद प्रायः उत्पन्न होता है। परन्तु यह सरकार के पास कभी भी नहीं आते हैं। अन्ततोगत्वा पारस्परिक सहमति से फ़ैसला होता तथा इस पर काम होता है।

उपाध्यक्ष महोदय: क़रारों में मतभेद उत्पन्न होता ही है। अगला प्रश्न।

मुअत्तिल किये गये अधिकारी

*६५. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सचिवालय की उच्च सेवा के कुल कितने अग्र अधिकारी इस समय मुअत्तिल हैं ?

गृह-कार्य उप-मंत्री (श्री दातार): उच्च सेवा का कोई भी अधिकारी, जो कि केन्द्रीय सचिवालय में इस समय काम कर रहा हो, मुअत्तिल नहीं। फिर भी छै अधिकारी जो कि पहले केन्द्रीय सचिवालय तथा इस से सम्बद्ध कार्यालयों में काम करते थे, किन्तु जिन्हें बाद में अन्य कार्यपाली पदों पर नियुक्त किया गया, इस समय मुअत्तिल हैं।

डा० राम सुभग सिंह: क्या मैं इन व्यक्तियों के नाम जान सकता हूं ?

श्री दातार: (१) श्री बी० पी० भार्गव, उप-संचालक खाद्य विभाग (डयरेक्टोरेट जनरल आफ़ फूड)।

(२) श्री एस० एन० सिकद, संचालक खाद्य विभाग (डायरेक्टोरेट जनरल आफ़ फूड)।

(३) श्री एस० ए० वैंकटारमन, आई० सी० एस० भूतपूर्व सचिव, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय।

(४) श्री एस० वाई कृष्णास्वामी, भूतपूर्व सहायक सचिव, कृषि मंत्रालय ।

(५) श्री एन० ए० एस० लक्ष्मनन, महा संचालक, अखिल भारत रेडियो ।

श्री वैलायुधन: सब के सब संचालक हैं ?

श्री दातार: जी हां, सब के सब संचालक हैं । और फिर—

(६) श्री डी० के० सुब्रह्मण्यम, संचालक भंडार, केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था ।

श्री के० के० बसु: और सब के सब मद्रासी हैं

डा० राम सुभग सिंह: इन अधिकारियों पर क्या आरोप लगाये गये हैं तथा जांच का काम किस के हाथ सौंपा जायेगा ?

श्री दातार : आरोप षडयन्त्र तथा आपराधिक दुराचरण से लेकर रिश्वत लेने तथा निश्चित वित्तीय नियमों का पालन न करने तक का है ?

डा० रामसुभग सिंह : इन अधिकारयों को इनके वर्तमान पदों पर नियुक्त करने से पूर्व क्या इनकी सेवा का रिकार्ड निर्लिप्त था ?

श्री दातार : मुझे इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह जांच का एक मामला है ।

डा० लंका सुन्दरम : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह जांच तदर्थ वैभागिक जांच है अथवा क्या यह न्यायिक जांच होगी ?

श्री दातार: कुछ मामलों में तो यह विभागीय जांच है । एक जांच लोक सेवक जांच अधिनियम के अन्तर्गत भी हो रही है तथा कुछ मामलों में मुक़दमे पहले ही दायर किये गये हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या इन जांच कार्यों पर उस से अधिक धन खर्च हुआ है जितने का कि दुरुपयोग हुआ था ?

श्री नम्बियार : क्या श्री वैंकटारमन के विरुद्ध फ़ौजदारी मुकदमा चलाया गया है ?

श्री दातार : जी नहीं । श्री एस० ए० वैंकटारमन के विरुद्ध कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया गया है । उन के विरुद्ध लोक सेवक जांच अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

श्री नम्बियार: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस अधिकारी के विरुद्ध फ़ौजदारी मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया है जब कि अन्य व्यक्तियों पर यह चलाये गये हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): यह उचित समझा गया है कि पहले उस अधिनियम के अन्तर्गत जांच होनी चाहिये, और वह जांच उच्च--श्रेणी के एक अधिकारी द्वारा होगी । जब यह जांच पूरी होगी, कोई निर्णायक पग उठाया जायगा ।

श्री दातार : श्री वैंकटारमन के सम्बन्ध में एक अलग प्रश्न भी है । वह यह प्रश्न उस समय पूछ सकते हैं ।

श्री वैलायुधन: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अखिल भारती रेडियो के महा-संचालक श्री लक्ष्मणन के सम्बन्ध में कोई सरकारी अथवा ग़ैर-सरकारी जांच की गई थी तथा यदि की गई थी, तो उस जांच समिति में कुल कितने सदस्य थे ?

श्री दातार: सरकारी जांच की गई । सविस्तार विवरण के सम्बन्ध में मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

श्री बी० एस० मूर्ति: माननीय मंत्री के उत्तर से जैसे कि उत्पन्न होता है क्या मैं जान

सकता हूं कि किन अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमे पहले ही चलाये गये हैं ?

श्री दातार : श्री भार्गव के विरुद्ध मुक़दमा पहले ही चलाया गया है ; इसी तरह से श्री सिंकद तथा श्री कृष्णास्वामी के विरुद्ध भी मुकदमे चलाये गये हैं ?

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या श्री लक्ष्मणन के मामले में सरकार को रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि से सम्बन्धित किसी घटना का पता चला है ?

डा० काटजू : जब तक कि सरकार इस रिपोर्ट पर अन्तिम रूप से विचार करके आदेश जारी न करेगी तब तक विस्तार की बातों के सम्बन्ध में पूछ गछ करना उचित नहीं है । यह सम्बन्धित अधिकारियों तथा सरकार दोनों के प्रति अन्याय होगा ।

श्री वी० पी० नायर : माननीय मंत्री ने बताया कि कुछ अधिकारियों पर षडयन्त्र का अभियोग लगाया गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन अधिकारियों के साथ और भी कुछ लोग है जिन पर कि यह मुकदमे चलाये गये हैं । अथवा क्या उन पर अकेले यह अभियोग लगाया गया है ?

डा० काटजू : क्या आप इस प्रश्न को दुहरायेंगे ?

श्री नम्बियार : क्या इन में से किसी अधिकारी द्वारा सरकार को पलटने का कोई षडयन्त्र है ?

डा० काटजू : निस्सन्देह, आपको इसके लिये कोई उत्तर नहीं चाहिये । श्री नायर द्वारा कोई और प्रश्न पूछा गया था जो कि मैं ने नहीं सुना ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि उन्होंने एक दूसरे के प्रश्न को रद्द किया है ।

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन में से प्रत्येक अधिकारी पर क्या क्या आरोप लगाये गये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम प्रश्नों के समय विस्तार की बातों में जा रहे हैं ? अगला प्रश्न ।

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह किस प्रकार के मामले हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि यह महत्वपूर्ण हों, परन्तु अब हम अगले प्रश्न पर जायेंगे ।

महाराज नन्द कुमार का मकान

*६६. **श्री ए० सी० गुहा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि कुंजघाट, ज़िला मुर्शिदाबाद के स्वर्गीय महाराज नन्दकुमार का रिहाइशी मकान जीर्णावस्था में है ;

(ख) यदि है, तो क्या सरकार इस मकान को एक सुरक्षित स्मारक घोषित करने का विचार रखती है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बात का कोई अनुमान लगाया है कि इसकी मरम्मत पर कुल कितना व्यय होगा ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या सरकार को यह मालूम नहीं है कि स्वर्गीय महाराज नन्दकुमार का भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा इस नाते उनका मकान संरक्षित रखा जाना चाहिये ।

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : आनरेबिल मेम्बर को याद होगा कि सन् १९४८ में यह मामला गवर्नमेंट के सामने आया था और इसकी पूरी तरह इनक्वायरी की गई थी । आरकेयोलोजीकल डिपार्टमेंट से कहा गया था कि महाराज नन्दकुमार का जो मकान मुर्शिदाबाद में समझा जाता है, उसे देख कर रिपोर्ट दे, इसकी रिपोर्ट से मालूम हुआ कि जो हिस्सा मौजूद है वह वह नहीं है जो उनका मकान था । वह मकान जो कुछ था सन् १८९७ के भूचाल में बिल्कुल गिर गया था । कुछ ऐसा हिस्सा है जिस में कुछ लोग रह रहे हैं । लेकिन कोई चीज़ ऐसी बाक़ी नहीं है जिसको बचाया जाये या जिसकी मरम्मत की जाये । हां, वहां एक नया मकान बनाया जा सकता है । लेकिन गवर्नमेंट की यह राय नहीं हुई कि एक नया मकान बनाया जाये । यह बात काफ़ी समझी गई कि वहां एक तख्ती लगा दी जाये जिस पर उनका नाम और उनकी ज़िन्दगी के कुछ हालात लिखे हों । चुनाचे वह तख्ती लगा दी गई है और गवर्नमेंट बंगाल ने भी इस कार्यवाही पर इतमीनान ज़ाहिर किया है ।

श्री ए० सी० गुहा: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार कलकत्ता में उस जगह पर एक स्मारक तख्ती लगाने का इरादा रखती है जहां कि उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था ?

मौलाना आज़ाद: नहीं, गवर्नमेंट के सामने इस तरह की कोई तज़वीज़ नहीं आई है और गवर्नमेंट कोई ख़ास ज़रूरत इसकी नहीं समझती ?

चाय बागों के लिये उधार सुविधायें

*६७. **श्री ए० सी० गुहा**: क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अथवा रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया के पास विपत्ति में पड़े चाय बागों को उधार सम्बन्धी सुविधायें देने की कोई परियोजना है ;

(ख) यदि है, तो यह सुविधायें किस हद तक दी जायेंगी ?

(ग) इन बाग़ों द्वारा इस समय तक कितनी धनराशि का फ़ायदा उठाया गया है ; और

(घ) क्या समय पर उधार प्राप्त न होने के सम्बन्ध में कोई शिक़ायतें की गई हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) तथा (ख). चाय बागानों को प्रत्यक्ष रूप से उधार सम्बन्धी सुविधायें देने के सम्बन्ध में भारत सरकार अथवा रिज़र्व बैंक की कोई परियोजना नहीं है । रिज़र्व बैंक, रिज़र्व बैंक आफ़ इण्डिया अधिनियम की धारा १७(२) (ख) तथा ४ (ग) के अन्तर्गत, अनुसूचित बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों को चाय के उत्पादन तथा विक्रय के लिये पुनः पूर्व-प्रापण की सुविधायें दे सकता है । भारत सरकार ने २७ दिसम्बर, १९५२ की अपनी अधिसूचना संख्या एफ़० ७(१०१)-एफ़०-१/५२ में जो कि २९ दिसम्बर १९५२ के भारतीय गज़ट (असाधारण) में प्रकाशित की गई थी, इस परियोजना की घोषणा की थी कि अनुसूचित बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों को उनके उस उधार के सम्बन्ध में सीमित प्रत्याभूति दी जायगी जो कि उन्होंने १९५३-५४ के चाय सीज़न के दौरान में चाय बागानों को दिया हो । यदि चाय बागान कचार, त्रिपुरा, दूआर्स तथा तराई में स्थित हों तो सरकार की प्रत्याभूति उस अदायगी के २० प्रतिशत भाग तक सीमित होगी जो कि उधार लेने वाले चाय बाग़ों से सम्बन्धित अनुसूचित बैंकों अथवा राज्य सहकारी बैंकों को उन ऋणों अथवा अग्रिम धन के बारे

में की होगी जो उन्होंने १९५२-५३ के चाय सीज़न के लिये हों। अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में यह प्रत्याभूति ऐसी अदायगी के कुल १५ प्रतिशत भाग तक सीमित होगी।

(ग) इस सम्बन्ध में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है। वर्तमान सूचना के अनुसार इस समय तक सरकार की सीमित प्रत्याभूति परियोजना के अन्तर्गत अनुसूचित बैंकों ने १९५३-५४ के चाय सीज़न के लिये चाय बागानों को ९७,६१,१०० रुपया दिया है तथा आसाम राज्य सहकारी बैंक ने ४२,९२,००० रुपये दिया है।

(घ) एक शिक़ायत प्राप्त हुई है कि आवश्यक प्रारम्भिक कार्यवाही पूर्ण होने के बावजूद अग्रिम धन नहीं दिया गया है, तथा इस शिक़ायत की जांच की जा रही है।

श्री ए० सी० गुहा: जब कि अनुसूचित बैंकों अथवा सहकारी बैंकों ने पहली बार यह उधार दिया तो उन्हें ऐसा करने में कितना समय लगा।

श्री सी० डी० देशमुख: मुझे इसकी सूर्व-सूचना चाहिये।

श्री ए० सी० गुहा: क्या मैं जान सकता हूं कि रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंकों तथा सहकारी बैंकों को किस ब्याज दर पर यह उधार दे देता है तथा यह बैंक कितने ब्याज पर चाय बागानों को यह उधार दे देते हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख: जहां तक रिज़र्व बैंक का सम्बन्ध है, यह उधार बैंक-रेट पर दिया जाता है। जहां तक अन्य ब्याज दरों का सम्बन्ध है, मुझे इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये।

श्री ए० सी० गुहा: क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि ब्याज के जिस दर पर चाय बागानों को उधार दिया जाता है वह उस दर से बहुत अधिक है जिस पर कि रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंकों को धन उपलब्ध करता है ?

श्री सी० डी० देशमुख: हमें ऐसी कोई शिक़ायत प्राप्त नहीं हुई है। मुझे मालूम नहीं कि क्या रिज़र्व बैंक को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं अथवा नहीं।

पुलिस कर्मचारियों के कामकाज की परिस्थिति

*६८. **श्री नम्बियार** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सदन पटल पर एक विवरण रखने की प्रस्थापना करती है जिसमें कि केन्द्रीय सरकार के अधीन पुलिस कर्मचारियों के काम काज की परिस्थितियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना दी गई हों :–

(१) वेतन तथा अन्य भत्तों के दर।

(२) प्रतिदिन तथा प्रति सप्ताह काम के घंटे, प्रतिदिन तथा प्रति सप्ताह परेड ड्यूटी तथा छुट्टियों से सम्बन्धित सुविधायें,

(३) आवास तथा चिकित्सा सुविधायें ;

(४) शिक़ायतों के निवारण के लिये तथा अभ्यावेदन पेश करने के लिये व्यवस्था ;

(ख) क्या भारत सरकार ने पुलिस कर्मचारियों से उनके काम काज की परिस्थिति के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया है ; और

(ग) यदि किया है, सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या पग उठाये गये हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) मद (१) से ले कर (४) तक के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है

तथा यह यथा समय सदन पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह परिस्थितियां देश में--राज्यों में, पुलिसजनों की सेवायुक्ति के पक्ष में हैं ?

श्री दातार : सूचना सदन पटल पर रखने के बाद इस प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मद्रास नगर के पुलिस सिपाहियों में असन्तोष फैला हुआ है ?

श्री दातार : मद्रास कान्स्टेबुलेरी के सम्बन्ध में हमें अभी तक ऐसा कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री नम्बियार: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत मद्रास में पुलिस सिपाहियों को नज़रबन्द रखा जाता है ?

श्री दातार : हमें कोई जानकारी नहीं ।

श्री नम्बियार: श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मद्रास में पुलिस सिपाहियों को इस कारण से नौकरी से हटाया गया है कि आन्दोलन शुरू किया गया है ....

उपाध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य ने इस विषय के सम्बन्ध में एक प्रश्न रखा था, परन्तु मैं ने इसकी अनुमति नहीं दी क्योंकि यह एक राज्य विषय हैं । मैं ने दो अनुपूरक प्रश्नों की भी अनुमति दी । माननीय सदस्य तेज़ी से जा रहे हैं । और अधिक ऐसे प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जायगी ।

श्री नम्बियार : क्या यह सत्य है कि पुलिस कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में मद्रास में जो गड़बड़ी हुइ थी, उसको दूर करने के लिये पुलिस के अलावा सेना भी बुलानी पड़ी ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इसका ज्ञान है ?

श्री दातार: इस का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री नम्बियार : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है.....

उपाध्यक्ष महोदय: एक प्रश्न विशेष के अन्तर्गत सब कुछ पूछा नहीं जा सकता है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि संसद् भवन के अन्दर तथा बाहर जो पुलिस कर्मचारी नियुक्त हैं क्या उन्हें दिन में १४ घंटे काम करना पड़ता है तथा क्या यह सत्य है कि उन्हें सर्दियों के लिये गरम कपड़े नहीं दिये जाते हैं ?

श्री दातार : हम माननीय सदस्य से यह सूचना लेंगे तथा देखेंगे कि सच्चाई क्या है ।

भारतीय वायु सेना में विमान-चालकों का प्रशिक्षण

*६९. **श्री एस० सी० सामन्त**: क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) ब्रिटेन के उड्डयन मंत्रालय डा० पैरी ने भारतीय वायु सेना में वायुयान चालकों के प्रशिक्षण में नाश-दर, तथा उनकी भर्ती से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में जो रिपोर्ट पेश की थी क्या उसकी जांच की गई है तथा क्या उस पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि किया गया है, तो सरकार ने इस मामले में क्या कुछ कार्यवाही की है ?

रक्षा उपमन्त्री (सरदार मजीठिया) : (क) इस पर अभी विचार हो रहा है ।

(ख) रिपोर्ट के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद किये गये निश्चय को क्रियान्वित करनेके लिये कार्यवाही की जायगी।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस समय तक किसी विदेशी विशेषज्ञ द्वारा उन वायुयान चालकों के योग्यता-स्तर का परीक्षण किया गया है जो कि इस समय ट्रेनिंग पा रहे हैं, तथा यदि किया गया है तो किस ने किया है ?

सरदार मजीठिया : प्रश्न का पहला भाग उत्पन्न नहीं होता है। दूसरे हमें इस बात का पूर्ण संतोष है कि योग्यता का स्तर बहुत ऊंचा है।

श्री जोशिम अलवा : जब डा० पैरी की सेवायें प्राप्त की गईं तो उन्हें कितने समय के लिये नियुक्त किया गया था, उनकी उपलब्धियां क्या निश्चित की गई थीं तथा क्या विदेशों में स्थित नियोजनों से इस सम्बन्ध में पूछ ताछ की गई थी कि इस काम के लिये योग्य अधिकारी उपलब्ध किया गया है ?

सरदार मजीठिया : मुझे उस प्रश्न के लिये पूर्वसूचना चाहिये।

श्री एस० सी० सामन्त : दूसरे देशों की तुलना में हमारे वायुयान चालकों में विनाश-दर क्या था ?

सरदार मजीठिया : मैं यह मानता हूं कि विनाश-दर शुरू में कुछ अधिक था, जैसे कि स्वाभाविक ही है। परन्तु अब यह पश्चिमी देशों से भी कम है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि किन किन अकादमियों में इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है ? क्या यह सत्य है कि भर्ती की अर्हताओं का स्तर गिराया गया है ?

सरदार मजीठिया : दो जगहें हैं; सिकन्दराबाद तथा जोधपुर। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है यह सत्य नहीं है।

श्री जयपाल सिंह: क्या यह सत्य है कि डा० पैरी की सिफ़ारिशों का सम्बन्ध केवल इस बात से है कि क्या हमें विशेष प्रकार की परीक्षण व्यवस्थाओं को प्रयोग में लाना चाहिये अथवा नहीं ? यदि ऐसी बात है, तो उन्हें इतनी दूर भारत ले आने की क्या आवश्यकता थी ? लंदन स्थित हमारे नियोजन द्वारा यह काम क्यों नहीं कराया गया ?

सरदार मजीठिया : उसके अलावा ट्रेनिंग के प्रश्न के और भी विभिन्न पहलू थे और चूंकि वह एक विशेषज्ञ थे, इसलिये हम ने उन्हें यहां लाया।

श्री जयपाल सिंह: डा० पैरी उड्डयन मंत्रालय के मुख्य मनोवैज्ञानिक हैं। वह केवल चुनाव अवस्था पर निरसन कार्य के प्रश्न के सम्बन्ध में विशेषज्ञ हैं और कुछ नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं।

श्री जयपाल सिंह: मैं जानना चाहता हूं कि डा० पैरी किन किन मामलों में विशेषज्ञ हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि उन्हें विभिन्न कार्यों का विशेषज्ञ कहा गया है।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमन्, क्या मैं जान सकता हूं कि जब डा० पैरी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है तो इसकी जांच में विलम्ब का क्या कारण है ?

सरदार मजीठिया: मंत्रालय के विचाराधीन बहुत से मामले हैं। प्रत्येक मामले को अपनी अपनी पूर्ववर्तिता है। जहां तक रिपोर्ट का सम्बन्ध है, यह ३ फ़रवरी १९५२ को पेश की गयी थी।

हिन्दी प्रचार

*७०. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहिन्दी-भाषा भाषी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रचार करने के लिये मंत्रालय में जो नया विभाग खोला गया है उसका काम कहां पहुंचा है ;

(ख) इस समय तक प्रचार के सिलसिले में क्या कुछ काम किये गये हैं तथा आगे क्या कुछ किये जायेंगे ; और

(ग) क्या यह विभाग टैक्नीकल शब्दावली आदि भी तैयार कर रहा है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). हिन्दी के विकास तथा प्रचार के सम्बन्ध में भारत सरकार ने इस समय तक जो कार्य हाथ में लिये हैं तथा जिन्हें भविष्य में लिये जाने का विचार है, उन्हें दर्शाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १५]**

(ग) जी हां ।

श्री एस० सी० सामन्त : : स्टेटमेंट में नम्बर ३ पर यह दिया हुआ है--

> "अहिन्दी-भाषा भाषी क्षेत्रों में हिन्दी प्रचार में संलग्न हिन्दी संस्थाओं को अनुदान देना ।"

क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि यह कितने आरगेनाइज़ेशन्स हैं, उनकी कितनी संख्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : अखिल भारतीय हिन्दी परिषद् दिल्ली, को १० हज़ार रुपये की ग्रांट ट्रेनिंग स्कूलों को चालू करने के लिये दी गयी । दूसरी ग्रांट १० हज़ार रुपये की इलाहाबाद साहित्य संसद् को ग़रीब पुस्तकों के रचियताओं को देने के लिये दी गयी थी। यह सन् १९५२ की ग्रांट है । और भी ग्रांट देने के लिये दरख्वास्तें आई हुई हैं, जैसे मैसूर हिन्दी प्रचार संघ वग़ैरह से ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि हिन्दी प्रसार के लिये स्टेट गवर्नमेंट से भी कोई मदद मिलती है । नम्बर तीन पर मैं देखता हूं कि नान हिन्दी एरियाज़ में हिन्दी प्रसार के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ़ से काम चल रहा है और ग्रांट दी जाती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस में स्टेट गवर्नमेंट मदद देती हैं और देती हैं तो कितनी और क्या कोई इन्स्टीट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट खुद खोल रही है या नहीं ?

श्री के० डी० मालवीय : इन कामों में हिन्दी प्रचार के लिये स्टेट गवर्नमेंट क्या सहायता देती हैं, इसकी मुझे अभी सूचना नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : अब तक जिन संस्थाओं को सहायता दी गयी है, क्या उन्होंने अपने काम के बारे में कोई रिपोर्ट सरकार के पास भेजी है ? और अगर भेजी है तो उसके आधार पर मुख्य मुख्य क्या क्या काम किये गये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : कामों का हवाला तो सवाल के जवाब में है । लेकिन रिपोर्ट उन की आया करती है और उन पर ग़ौर होता है ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को कोई अनुदान दिया है ? यदि हां, तो कितना रुपया ?

श्री के० डी० मालवीय : अखिल भारतीय हिन्दी परिषद् नई दिल्ली को दस हज़ार रुपये की सहायता दी गई है ।

श्री जांगड़े : मैं ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के विषय में पूछा था ।

श्री के० डी० मालवीय : दक्षिण भारत की सूचना मेरे पास इस वक्त नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि यह अनुदान अहिन्दी-भाषा भाषी क्षेत्रों में काम करने वाली हिन्दी प्रचार सभाओं में कैसे वितरित किया जाता है—राज्य सरकारों द्वारा वितरित किया जाता है अथवा इन संस्थाओं को यह अनुदान सीधे दिये जाते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : केन्द्रीय सरकार उन संस्थाओं को यह अनुदान सीधे दे देती है ।

श्री वी० एस० मूर्त्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में उन संस्थाओं से कोई रिपोर्ट मांगती है कि यह धन किस तरह से व्यय किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह संस्थायें सामान्यतया अपनी रिपोर्टें भेजती हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने कोई ऐसा हुक्म उन संस्थाओं को जारी किया है जिन को वह रुपया देते हैं कि वह क्वार्टरली रिपोर्टस भेजा करें ?

मौलाना आज़ाद : इस तरह की हिदायत की कोई खास ज़रूरत नहीं । गवर्नमेंट आफ़ इंडिया जिन जिन एसोसियेशन्स को मदद देती है उनके लिये उस ने अपने रूल बनाये हुये हैं । इन में एक रूल यह भी है कि उन को बताना चाहिये कि उन्हों ने वह रुपया किस तरह से खर्च किया ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर भारत के अहिन्दी भाषा भाषी प्रान्तों में जिन शब्दों और जिन प्रणालियों का उपयोग किया जाता है, दक्षिण भारत में हिन्दी प्रसार के लिये उससे भिन्न किया जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय : उत्तर और दक्षिण में कुछ भिन्नता तो ज़रूर होगी ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार ज़बरदस्ती से भी काम ले रही है तथा, यदि ले रही है, तो क्या इस से दक्षिण में छात्रों का स्तर तो नहीं गिर जायगा ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, मैं प्रश्न को नहीं समझ सका ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या हिन्दी का प्रचार करने में सरकार ज़बर्दस्ती से भी काम ले रही है (मैं उनके शब्द कह रहा हूं) तथा क्या दक्षिण भारत के लिये इस से स्तर गिर तो नहीं जायगा ?

श्री के० डी० मालवीय : हमें यह जानकारी नहीं कि कोई ज़बर्दस्ती की जा रही है ।

श्री के० के० बसु : दिल्ली में अहिन्दी भाषा भाषी संसद् सदस्यों को हिन्दी सिखाने के लिये जो संस्था स्थापित की गई है क्या उसे भी अर्थ सहायता दी जा रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं, श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह १०,००० रुपये की राशि में से खर्च किया जाता है ।

पश्चिमी बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

*७१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय

सरकार को पश्चिमी बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर इस समय तक कितना व्यय करना पड़ा है ;

(ख) यह धनराशि किन विभिन्न मदों पर व्यय की गई है ;

(ग) इनमें से प्रत्येक मद के अन्तर्गत जो व्यय हुआ है उसका कितना प्रतिशत भाग कर्मचारियों के वेतन पर तथा अन्य प्रशासकीय कार्यों पर खर्च हुआ है तथा कितना प्रतिशत भाग विस्थापित व्यक्तियों को दान तथा ऋण के रूप में दिया गया है ;

(घ) केन्द्रीय सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिये जो धनराशि स्वीकृत की है, उसके वितरण की व्यवस्था क्या है ; और

(ङ) इस धन के वास्तविक व्यय पर भारत सरकार किस तरह का नियंत्रण रखी हुई है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) तथा (ख). भारत सरकार ने ३१ जनवरी, १९५३ तक सहायता तथा पुनर्वास कार्य के लिये अनुदानों तथा ऋणों के रूप में ८,११,१६,३५० रुपये मंजूर किया है ।

(ग) इन में से प्रत्येक मद के अन्तर्गत प्रशासकीय व्यवस्था आदि पर धनराशि का कितना प्रतिभाग खर्च किया गया है, यह बताना कठिन है, क्यों कि राज्य सरकार द्वारा जो कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं अथवा जो व्यवस्था स्थापित की गई है, वह विस्थापित व्यक्तियों के सभी प्रकार के पुनर्वास तथा सहायता कार्यों से सम्बन्धित है । कुल धन का जितना प्रतिशत भाग कर्मचारियों, क़र्ज़ों तथा दान पर क्रमशः व्यय किया गय है वह नीचे दिया गया है :

(१) कर्मचारियों के वेतनों पर—११.०७ प्रतिशत ।

(२) उधार पर—४०.७ प्रतिशत ।

(३) दान पर—१९.६ प्रतिशत ।

(घ) पश्चिमी बंगाल सरकार की प्रशासकीय व्यवस्था ।

(ङ) राज्य सरकार केवल उन्हीं शर्तों के अनुसार तथा उसी पैमाने पर व्यय कर सकती है जो कि केन्द्रीय सरकार ने निश्चित किये हों । पश्चिमी बंगाल के महा लेखापाल इस बात का सुनिश्चयन करने के बाद कि इस व्यय को केन्द्रीय सरकार की अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त है राज्य सरकार को अदायगी करता है तथा वह इस बात पर दृष्टि रखता है कि राज्य सरकार उन निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार उस धन को उपयोग में लाये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या यह सारी स्कीमें भारत सरकार को पेश की जाती हैं तथा क्या इन स्कीमों को मंजूर करने के बाद भारत सरकार इन्हें क्रियान्वित करने के लिये कोई कालावधि निश्चित करती है ?

श्री जे० के० भोंसले : ऐसा नहीं है । इन स्कीमों को क्रियान्वित करना राज्य सरकारों पर छोड़ा जाना है तथा कालावधि का निश्चित करना भी उनके ही हाथ में है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या भारत सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि बहुत सी परियोजनायें मंजूर होने के बाद भी बेकार पड़ी हैं तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही उनके लिये स्वीकृत धन के निरसन का भय है ?

श्री जे० के० भोंसले : जी नहीं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या यह सत्य है कि भारत सरकार बेढंगे रूप से पैसा देती रही है, जिसका परिणाम यह हुआ कि पश्चिमी बंगाल सरकार को हाल ही में बहुत बड़ी धनराशि दी गई है तथा पश्चिमी बंगाल सरकार इसे व्यय करने के बारे में कठिनाई में पड़ गई है क्यों कि उसे आशंका है कि कहीं इसका निरसन न हो ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह दूसरे रूप में वही प्रश्न है ।

उन्होंने बताया कि किसी भी धन राशि का निरसन नहीं होता है ।

श्री ए० सी० गुहा: क्या यह सत्य है कि इस वर्ष के लिये स्वीकृत आठ करोड़ रुपये में से लगभग ढाई करोड़ रुपये अभी जनवरी के अन्त में ही दिये गये हैं ?

श्री जे० के० भोंसले: मुझे उस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री ए० सी० गुहा: क्या भारत सरकार को पश्चिमी बंगाल सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उन्हें यह धन वितरित करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तथा उन्हें इस बात की आशंका है कि कहीं इस सम्पूर्ण धनराशि का निरसन न हो यदि वह इसे ३१ मार्च तक वितरित न कर सके ?

श्री जे० के० भोंसले: भारत सरकार के पास जो सूचना है उसके अनुसार पश्चिमी बंगाल सरकार ने ३१ दिसम्बर, १९५२ तक चार करोड़ तथा और कुछ लाख रुपये व्यय किये हैं तथा मैं समझता हूं कि शेष चार करोड़ रुपये व्यय करने के लिये उनके पास अभी तीन महीने हैं ।

श्री ए० सी० गुहा: मेरा प्रश्न यह था.....

उपाध्यक्ष महोदय: क्या हम इस मामले पर तर्क वितर्क कर रहे हैं ?

श्री ए० सी० गुहा: जी नहीं, श्रीमन् । शायद मैं अपनी बात को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं कर सका हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री इसे समझ गये हैं । मैं इसे समझ गया हूं ।

श्री ए० सी० गुहा: सदन को भी समझ जाना चाहिये । जनवरी के अन्त तक लगभग ३ करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं तथा नौ महीने तक बेचारे शरणार्थी पीड़ा उठा रहे थे.....

उपाध्यक्ष महोदय: यह तर्क का एक विषय है ।

श्री मेघनाद साहा: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मेरे माननीय मित्र का ध्यान उस प्रेस विज्ञप्ति की ओर दिलाया गया है जिस में कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने शिकायत की है कि इस वर्ष के अन्त तक उन्हें दो करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है तथा यह धन व्यय करने के लिये उनके पास कोई निश्चित योजनायें नहीं हैं ?

श्री जे० के० भोंसले: मैं ने निवेदन किया है कि हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा किन्हीं परियोजनाओं का सुझाव दिया जाता है तथा क्या पश्चिमी बंगाल सरकार की परियोजनायें भी स्वीकृति के लिये केन्द्रीय सरकार को पेश की जाती हैं ?

श्री जे० के० भोंसले: जी नहीं । केवल पश्चिमी बंगाल सरकार की परियोजनाओं की हम जांच करते हैं तथा उन्हें पास करते हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या मैं जान सकती हूं कि स्यालदह तथा हावड़ा स्टेशनों पर शरणार्थी जो जमा हो रहे हैं क्या उनके निवारण के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई योजना भेज दी है ?

श्री जे० के० भोंसले : मुझे उस प्रश्न की पूर्व-सूचना चाहिये ।

श्री बी० एस० मूर्ति : माननीय मंत्री के उत्तर से पता चलता है कि चार करोड़ रुपये अभी खर्च किये जाने हैं ; क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या कार्य-वाही की जा रही है कि यह धनराशि इस वर्ष की समाप्ति से पूर्व ही खर्च की जा सके ?

श्री जे० के० भोंसले : पश्चिमी बंगाल सरकार की इस सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : केन्द्रीय सरकार द्वारा यह कार्यवाही की जा रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस ने पैसा दिया है । इसे खर्च करना राज्य सरकार का काम है । यही कुछ वह कह रहे हैं ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह धनराशि पश्चिमी बंगाल में विभिन्न अन्य बस्तियों के अर्जन पर खर्च की जायगी ?

श्री जे० के० भोंसले : मैं प्रश्न को नहीं समझ सका हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : विभिन्न अन्य बस्तियां । अब हम अगले प्रश्न पर जाते हैं ।

जांच समिति

*७२. **श्री बी० के० दास :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पश्चिमी बंगाल में सहायता तथा पुनर्वास विभाग की बस्तियों में परिस्थितियों की जांच आदि के लिये जो तथ्य-अनुसन्धान-समिति नियुक्त की थी, क्या उसने अपनी रिपोर्ट पेश की है ;

(ख) यदि की है, तो समिति की क्या क्या सिफ़ारिशें स्वीकृत की गई हैं ; तथा

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) नहीं । (ख) तथा (ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते ।

श्री बी० के० दास : इस समिति के विचार-विषय क्या हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : यह समिति पश्चिमी बंगाल में स्थित सहायता शिविरों तथा पुनर्वास बस्तियों में परिस्थितियों की जांच करने के लिये तथा उनका ब्यौरा देने के लिये नियुक्त की गई है, विशेष कर उनकी गृह व्यवस्था तथा उनके काम काज के बारे में । इसका काम विस्थापित व्यक्तियों के लिये व्यवसायिक तथा टैक्नीकल ट्रेनिंग की व्यवस्था करना तथा इस सम्बन्ध में पुनर्वास मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट पेश करना है कि सरकार ने पुनर्वास कार्य के सम्बन्ध में इस समय तक जो उपाय किये हैं उनका परिणाम क्या निकला है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार के इस समिति की रिपोर्ट कब प्राप्त होने की आशा है तथा क्या यह अभी भी पश्चिमी बंगाल में काम कर रही है ?

श्री जे० के० भोंसले : यह रिपोर्ट गत महीने के अन्त तक सरकार को पेश की जानी थी, परन्तु दुर्भाग्यवश, विभिन्न कारणों से सम्बन्धित अधिकारी समय पर इसे तैयार नहीं कर सके हैं । हमें आशा है कि यह मार्च के अन्त तक तैयार होगी ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या यह समिति अभी भी पश्चिमी बंगाल का भ्रमण कर रही है अथवा क्या इस ने अपना काम समाप्त किया है ?

श्री जे० के० भोंसले : उन्होंने २० जनवरी से ले कर जनवरी के अन्त तक भ्रमण किया। मुझे बताया गया है कि वह इस महीने की १९ तारीख से फिर दौरे पर जा रहे हैं तथा यह इस महीने के अन्त तक जारी रहेगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या वह परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी सिफ़ारिश करेंगे ?

श्री जे० के० भोंसले : जी नहीं।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह समिति पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों के पुनर्वास के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करेगी अथवा केवल उन शरणार्थियों के पुनर्वास के प्रश्न पर विचार करेगी जो कि पश्चिमी बंगाल में हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : आस पास के सभी राज्य के लिये काम करेगी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि इस समिति के सदस्य कौन हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : श्री के० पी० मथरानी, आई० सी० एस०, संयुक्त सचिव, पुनर्वास मंत्रालय।

श्री एन० राय चौधरी, आई० सी० एस०, अपर सचिव, शरणार्थी तथा पुनर्वास विभाग तथा अपर शरणार्थी पुनर्वास कमिश्नर, पश्चिमी बंगाल।

श्री सत्यव्रत सेन, भारतीय सांख्यकी संस्था, कलकत्ता, और

भारतीय सांख्यकी संस्था के प्रो० पी० सी० महालानोबिस, एफ़० आर० एस० जो कि मंत्रिमंडल के सांख्यकी सलाहकार हैं, की सेवायें भी, आवश्यकता पड़ने पर, इस समिति को उपलब्ध हैं।

श्री गिडवानी : क्या सरकार पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिये भी ऐसी ही समिति नियुक्त करने का विचार रखती है ?

श्री जे० के० भोंसले : मुझे इसके लिये पूर्व-सूचना चाहिये।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव के विरुद्ध जांच

*७३. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या गृह-कार्य मंत्री २८ नवम्बर, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८०४ के उत्तर की ओर निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का भूतपूर्व सचिव कब से मुअत्तिल है

(ख) क्या उसके विरुद्ध जांच पूरी हुई है ;

(ग) क्या उसके विरुद्ध कोई विभागीय जांच हो रही है ; और

(घ) सरकार ने उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना क्यों नहीं उचित समझा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) (क) जी हां, श्रीमन्।.

(ख) विशेष पुलिस जो जांच कर रही थी, वह पूरी हुई है।

(ग) सरकार ने फ़ैसला किया है कि उस पर लगाये गये अभियोगों की लोक सेवक (जांच) अधिनियम, १८५० के अन्तर्गत जांच की जाये, यह कोई विभागीय जांच नहीं होगी क्यों कि यह किसी विभागीय अधिकारी द्वारा नहीं की जायगी अपितु एक कमिश्नर द्वारा की जायगी जिसे कि इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किया जायगा, तथा उसे साक्षियों को बुलाने

तथा क़ाग़ज़ात मंगाने का अधिकार होगा, तथा इस में सब लोग जा सकेंगे ।

(घ) इस अधिकारी पर लगाये गये अभियोगों को दृष्टि में रखते हुये सरकार महसूस करती है कि इन अभियोगों की प्रारम्भिक जांच अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया द्वारा होनी चाहिये । न्यायिक कार्यवाही की अपेक्षा यह काम तुरन्त हो सकेगा तथा यदि जांच की उपपत्तियां प्रतिकूल होंगी तो सरकार शीघ्र ही उस अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही कर सकती है । सरकार उसके विरुद्ध फ़ौजदारी मुकदमा भी दाईर कर सकती है यदि यह जांच समाप्त होने पर उन्हें ऐसा करनी की आवश्यकता पड़े ।

श्री एच० एन० मुखर्ज़ी : सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में दिये गये इस वक्तव्य को दृष्टि में रखते हुये कि यह अधिकारी उस समय मद्रास राजस्व बोर्ड का प्रथम सदस्य नियुक्त किया गया था जब कि इसके विरुद्ध गम्भीर आरोप थे, तथा इस बात को भी दृष्टि में रखते हुये कि गत सत्र में जब कि इस अधिकारी के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था तो मंत्री जी ने दृढ़ता से उसकी सफ़ाई पेश की थी तथा कहा था कि मुअत्तिली का बिल्कुल कोई कारण नहीं तथा इस बात को भी दृष्टि में रखते हुये कि देश में सामान्यतया लोग यह महसूस कर रहे हैं कि सरकार नर्मी से काम ले रही है . . .

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ?

श्री एच० एन० मुखर्जी : इन सभी तथ्यों को दृष्टि में रखते हुये कि क्या सरकार इस अधिकारी पर मुक़दमा चलाने के सम्बन्ध में अपनी नीति पर पुनर्विचार करेगी तथा शीघ्र ही अभियोग चलाने का आदेश देगी, क्यों कि केवल ऐसा करने से ही जनत संतुष्ट हो सकती है ।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है । लोक सेवक जांच अधिनियम के अधीन जांच होगी तथा मेरे विचार में यह वस्तुस्थिति का मुकाबिला करने के लिये संतोषजनक होगा, और जब जांच पूरी होगी तो अग्रेतर कार्यवाही करने के लिये आधार मुकम्मल होगा । किसी भी सदस्य को इस सम्बन्ध में चिन्तातुर नहीं होना चाहिये कि अत्यन्त ही उचित तथा कड़ी कार्यवाही नहीं की जायगी ।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि इस अधिकारी ने जो अतुल्य धन कमाया है क्या वह भी विचार का एक विषय होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को यह बात ध्यान में रखने के लिये कहूंगा इस मामले की जांच हो रही है । हमें ऐसी तरह तरह की बातों की कल्पना नहीं करनी चाहिये जिस से कि यह समझ लिया जाये कि इस विषय के बारे में हमारी राय पूर्व-निश्चित है । माननीय सदस्यों को मालूम है कि मंत्री जी ने क्या कुछ कहा । अतः मंत्री जी के लिये ऐसे समय, जब कि जांच का मामला विचाराधीन है, कोई सूचना देना उचित नहीं ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या लोक सेवा आयोग यह जांच करेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : एक स्वतन्त्र न्यायाधीश यह काम करेगा ।

श्री दातार : एक सेवा-निवृत्त हाईकोर्ट जज नियुक्त किया जा रहा है ।

श्री एन० एम० लिंगम : एक समाचार यह है कि यह जांच कलकत्ता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधिपति के अधीन होगी ।

श्री दातार : अभी कोई नियुक्ति नहीं की गई है परन्तु हम इस बात का पता लगा रहे हैं कि कौन से महानुभाव इस काम के लिये उपलब्ध होंगे तथा सर ट्रीवर हेरीस उन में से एक हैं ।

डा० काटजू : मैं सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह दस एक दिन और ठहर जायें क्यों कि कुछ प्रारम्भिक विषयों पर विचार हो रहा है तथा मुझे आशा है कि मैं इस महीने के अन्त में इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दूंगा जिस से कि मामला साफ़ हो जायगा ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि वैधानिक स्थिति क्या है ? चूंकि इस अधिकारी ने मद्रास हाईकोर्ट से भी प्रार्थना की है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसकी इस प्रार्थना से विचाराधीन कार्यवाहियों पर भी कोई प्रभाव पड़ा है ?

डा० काटजू : वह एक बिल्कुल ही अलग मामला है ।

श्री आर० के० चौधरी : आपराधिक प्रकार के आरोप लगाये जाने के बावजूद यह मामला न्यायालय में क्यों नहीं लिया गया है ? तथा यदि इसकी जांच न्यायालय से बाहर की जा रही है, तो अभियुक्त को सफ़ाई का मौक़ा दिया जाना चाहिये था ।

डा० काटजू : लोक सेवक जांच अधिनियम के अन्तर्गत जो जांच होगी वह अधिकांश रूप से एक न्यायिक जांच होगी जो बहुत ही स्वतन्त्र वातावरण में होगी । मेरा विचार है कि अभियुक्त तथा अभियोजन पक्ष दोनों को जांच अधिकारी के सामने अपने मामले पेश करने का पूरा मौक़ा मिलेगा । यह एक बहुत ही सन्तोषजनक बात होगी । बहुत से आरोप तथा प्रत्यारोप लगाये जाते हैं तथा यह अधिकारी जिसे कि बहुत ज्यादा अनुभव प्राप्त है हमें यह बता सकेगा कि वस्तुस्थिति क्या है ।

श्री आर० के० चौधरी : क्या उस पर अग्रेतर अभियोग चलाया जा सकता है ?

डा० काटजू : जी हां ।

श्रीमती ए० काले : क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार इस अधिकारी से वह धन ले लेने के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है जो कि इस ने अनुचित रूप से कमाया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या ऐसी पूर्वाधारणा कर रही हैं, गोया कि जांच पूरी हो चुकी है ।

शिशु-शिक्षा

*७४. **श्री चरक :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने शिक्षा के सम्बन्ध में कोई समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि की है, तो इस समिति के सदस्य कौन है ;

(ग) इस समिति के सदस्यों के हैसियत से क्या वह सरकार से कोई वेतन प्राप्त करेंगे ; तथा

(घ) ऐसी समिति नियुक्त करने का उद्देश्य क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान शिक्षा मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ़० ६-१-५२-बी० १. दिनांक २७ दिसम्बर, १९५२ जो कि ३ जनवरी, १९५३ के 'गज़ेट आफ़ इंडिया' के भाग १ के उप-भाग १ में प्रकाशित हुआ था की ओर दिलाया जाता है जिस में कि यह सूचना दी गई है ।

(ग) जी नहीं । सदस्यों को कोई भी वेतन नहीं मिलेगा ।

(घ) वह शिशु-शिक्षा की उन्नति के लिये केवल अपने सुझाव तथा सिफ़ारिशें देंगे तथा इस क्षेत्र में प्राइवेट अभिकरणों द्वारा किये जाने वाले कार्य का समन्वय करेंगे ।

वित्त आयोग

*७५. **श्री चरक:** क्या **वित्त मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद् के सामने कब पेश होगी तथा क्या इस रिपोर्ट पर संसद् में कोई चर्चा होगी ;

(ख) क्या राष्ट्रपति के अपनी रिपोर्ट पेश करने के पश्चात् वित्त आयोग का अस्तित्व समाप्त हुआ है अथवा क्या यह काम करता रहेगा ; तथा

(ग) क्या इस आयोग के कर्मचारी वर्ग की छंटनी की गई है, अथवा क्या उन्हें दूसरे कार्यालयों में भरती किया गया है अथवा क्या उन्हें आयोग के साथ ही काम करने के लिये कहा गया है ?

वित्त मंत्री से सम्बद्ध सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) इस आयोग की रिपोर्ट १३ फ़रवरी, १९५३ को संसद् के दोनों सदनों के पटल पर रख दिया गया ।

(ख) आयोग १ दिसम्बर, १९५१ से एक वर्ष के लिये नियुक्त किया गया था तथा बाद में इस कालावधि को एक और महीने से बढ़ा दिया गया । तदनुसार इसका अस्तित्व ३१ दिसम्बर, १९५२ को समाप्त हुआ ।

(ग) आयोग का कर्मचारी वर्ग आयोग का कार्यालय बन्द करने के सिलसिले में एक महीने के लिये रखा गया था । उनकी अब या तो छंटनी की गई है या दूसरे कार्यों में भरती की गई है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दोहरा कारारोपण क़रार

*७६. **श्री चरक:** क्या **वित्त मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत तथा ब्रिटेन के बीच दोहरे करारोपण क़रार का निष्पादन हुआ है ;

(ख) यदि हुआ है, तो इस क़रार के निबन्धन क्या हैं तथा भारत सरकार की ओर से किस ने इस पर हस्ताक्षर किये ; तथा

(ग) क्या सरकार इस क़रार की एक प्रति सदन पटल पर रखने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): भारत तथा ब्रिटेन के बीच अभी तक करारोपण सम्बन्धी कोई क़रार नहीं हुआ है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

कृत्रिम चावल

*७७. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री** २८ नवम्बर, १९५२ को पूछे गये प्रश्न संख्या ८०७ की ओर निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े भारी पैमाने पर कृत्रिम चावल बनाने का प्रयोग सफल रहा है ;

(ख) इस प्रकार का चावल तैयार करने के लिये जो मशीनें प्रयोग में लाई जायेंगी, क्या वह बनाई गई हैं ;

(ग) क्या इस प्रकार की मशीनें तथा इनके पुर्ज़े, भारत में ही तैयार किये जायेंगे ;

(घ) यदि नहीं, तो यह किस देश से आयात किये जायेंगे ;

(ङ) लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इस तरह का बना हुआ

चावल कितने समय में बाजार में आयेगा ; तथा

(च) क्या किसी और भी देश में इस तरह से चावल बनाने की क्रिया का विकास हुआ है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (च). बड़े पैमाने पर कृत्रिम चावल बनाने की अभी कोशिश नहीं की गई है। भारत सरकार ने केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धान संस्था, मैसूर के संचालक को इस उद्देश्य से विदेश भेजा है कि वह बड़े पैमाने पर कृत्रिम चावल बनाने की सम्भावनाओं का सविस्तार अध्ययन करे, विशेषकर इस बात पर ध्यान दे कि किस प्रकार की मशीनरी की आवश्यकता है तथा इसे चलाने की परिस्थितियां क्या हैं। यह अधिकारी भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा।

तांबे की खानें

***७८. श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिहरी गढ़वाल के पोखरी तथा धनपुर क्षेत्रों में तांबे की खानों से तांबा निकालने की सम्भावनाओं का अग्रेतर अनुसन्धान किया गया है ;

(ख) अन्य खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में, जिनके कि वहां मिलने की सूचना है, प्राप्ति की सम्भावनायें क्या हैं ; तथा

(ग) यदि अनुसन्धान का परिणाम सन्तोषजनक है, तो यह काम कब शुरू होने की सम्भावना है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) (क) भारतीय भूपरिमाप संस्था के संचालक ने सूचना दी है कि भारतीय भूपरिमाप संस्था के खान विभाग के एक अधिकारी को पोखड़ी तथा धनपुर क्षेत्रों में भेजा जा रहा है जिस से कि वह वहां इस बात का सुनिश्चयन कर सके कि इन तांबे की खानों को खोलने के सम्बन्ध में कितना काम किया जाना अपेक्षित है तथा इस पर कितना खर्चा होगा।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण जो कि भारतीय भूपरिमाप संस्था के संचालक ने भेजा है, सदन पटल पर रख दिया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १६]**

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना मांगी गई है तथा ज्यों ही यह प्राप्त होगी, तो इसे सदन पटल पर रख दिया जायगा।

विस्थापित व्यक्तियों के लिये संधारण भत्ते

***७९. सरदार हुक्म सिंह :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९५२ तक कितने विस्थापित व्यक्तियों ने संधारण भत्ते की परियोजना से फ़ायदा उठाया है ;

(ख) क्या यह संधारण भत्ता नियमित रूप से दिया जा रहा है ;

(ग) कितनी विधवाओं तथा अनाथ बच्चों को यह लाभ मिल रहा है ; तथा

(घ) क्या यह सत्य है कि कुछ विधवाओं को यह मंजूर किये हुये भत्ते नहीं दिये गये हैं बावजूद इसके कि उनके दावों की जांच पूर्ण हुई है ?

पूनर्वास उप-मंत्री (श्री जे० के० भोंसले) (क) १७,१०४।

(ख) यद्यपि भूतकाल में अदायगी में कुछ विलम्ब हुआ है, फिर भी हमारी यह कोशिश रही है कि इन लोगों को यह भत्ता नियमित रूप से मिलता रहे।

(ग) जिन विधवाओं तथा अनाथ बच्चों को यह भत्ता दिया जा रहा है, उनके अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं। यह सूचना संग्रहीत करने में इतनी मेहनत लगेगी कि यह इसके परिणामों को देखते हुए संगत नहीं होगी ।

(घ) जी हां ।

निष्क्रान्त सम्पत्ति के प्रति प्रतिभूत दावे

*८०. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि निकासियों द्वारा भारत में छोड़ी गई सम्पत्ति के प्रति भारतीय प्रजाजनों के प्रतिभूत दावों का मूल्य क्या है ?

(ख) इन दावों को कैसे सन्तुष्ट करने का विचार है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) तथा (ख). निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) अधिनियम, १९५१ अन्य बातों के साथ साथ इस उद्देश्य से पारित किया गया था कि प्रतिभूत दावों का मूल्य निर्धारित किया जाये। और जब तक इस अधिनियम के अन्तर्गत काम पूरा होगा तब तक प्रतिभूत दावों का कुल मूल्य बताना सम्भव नहीं है। इन दोनों को पूरा करने की विधि अधिनियम में दी गई है।

राष्ट्रीय साहित्य अकादमी

*८१. **श्री एस० एन० दास :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय साहित्य अकादमी स्थापित की गई है तथा क्या इसन काम शुरू किया है ?

(ख) यदि स्थापित की गई है तो इसकी गतिविधियां किस प्रकार की होंगी ?

(ग) इस लेखे पर कितना आवर्तक तथा कितना अनावर्तक व्यय होगा ?

(घ) इस संस्था की सामान्य रचना क्या है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) अकादमी अभी स्थापित नहीं की गई है ।

(ख) तथा (घ). प्रस्थापित अकादमी के कृत्य तथा इसका संविधान भारत सरकार के संकल्प संख्या एफ़ ६-४/५१-जी २(क) दिनांक १५ दिसम्बर, १९५२ में दिया गया है तथा इसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ग) यह अकादमी जब स्थापित होगी तो यह अपना बजट तैयार किया करेगी ।

भारतीय बैंकों से सम्बन्धित मैत्रा समिति

*८२. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय बैंकों से सम्बन्धित मैत्रा समिति की रिपोर्ट प्राप्त की है ;

(ख) यदि की है, तो इस समिति की सिपारशें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार यह रिपोर्ट संसद् के सदस्यों को उपलब्ध कराने का विचार रखती है ; और

(घ) सरकार ने इस समिति की सिपारिशों के सम्बन्ध में क्या फ़ैसला किया है तथा यदि अभी कोई फ़ैसला नहीं किया गया है तो कब तक किये जाने की आशा है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) तथा (ग). यह रिपोर्ट २९ जनवरी, १९५३ को प्रकाशित की गई थी तथा

इस रिपोर्ट की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(घ) सरकार राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों तथा अन्य सम्बन्धित संस्थाओं से परामर्श कर रही है तथा आवश्यक विधायिनी प्रस्थापनाओं के शीघ्र ही सदन में रखे जाने की आशा है ।

दिल्ली के उप नगर

*८३. **श्री राधा रमण :** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि दिल्ली के कई उप-नगरों में अभी तक लोग नहीं बस गये हैं ;

(ख) यदि यह सत्य है, तो यह उप-नगर क्या हैं तथा इन में लोगों के अभी तक न बसने के कारण क्या हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में विस्थापित व्यक्ति

*८४. **श्री राधा रमण :** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में इस समय कुल कितने विस्थापित व्यक्ति हैं ?

(ख) उन में से कितनों को फिर से बसाया गया है तथा कितनों को फिर से बसाया जाना है ?

(ग) क्या सरकार ने उन्हें फिर से बसाने के लिये कोई समय सीमा निश्चित की है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) १९५१ की अखिल-भारत जनगणना के अनुसार ५·१० लाख ।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान ९ फ़रवरी, १९५१ को डा० राम सुभग सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३१२ के उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

भारतीय वायु सेना के वायुयान का गिरना

*८५. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारतीय वायु सेना का एक डकौटा २३ दिसम्बर, १९५२ अथवा इसके आस पास के दिनांक को ग्वालियर के समीप ज़मीन पर गिर पड़ा ?

(ख) यदि यह सत्य है तो इस दुर्घटना का कारण क्या था ?

(ग) इस डकौटा में कुल कितने व्यक्ति थे तथा इन में से कितनों की मृत्यु हुई ?

(घ) इस वायुयान का मूल्य क्या था ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) जांच करने का आदेश दिया गया है तथा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यह सूचना उपलब्ध होगी ।

(ग) इस वायुयान में तीन व्यक्ति सवार थे तथा तीनों की मृत्यु हुई ।

(घ) १,८२,००० रुपये ।

राष्ट्रीय आय समिति

*८६. **श्री गिडवानी :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट सरकार को पेश की है ?

(ख) यदि की है तो राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में अन्तिम आंकड़ क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

आसाम में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

*८७. **श्री अमजद अली :** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने १५ अगस्त, १९४७ से अब तक आसाम में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये आसाम राज्य को कितनी धनराशि दी है ?

(ख) आसाम में विस्थापित व्यक्तियों के सहायता तथा पुनर्वास कार्य के सिलसिले में कुल अनुदान में से कितना रुपया कर्मचारियों तथा स्थापना आदि पर खर्च किया गया है ?

(ग) आसाम में विस्थापित व्यक्तियों के सहायता तथा पुनर्वास कार्य पर कुल खर्च में से कितना धन व्यय किया गया है ?

(घ) इन विस्थापित व्यक्तियों को किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) ३,५९,४०,००० रुपये ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे यथा समय सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

(ग) १९४७/४८ से ३० नवम्बर, १९५२ तक सहायता तथा पुनर्वास के कार्य पर २,८८,४४,८८५ रुपये व्यय किये गये ।

(घ) एक विवरण सदन पटल पर दिया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १७]**

हिन्दी का विकास

*८९. **डा० रामा राव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया था जिसमें कि देश की शिक्षा-प्रणाली में हिन्दी पुरःस्थापित करने तथा उसका विकास करने से सम्बन्धित प्रश्न पर चर्चा की गई ?

(ख) यदि बुलाया था तो इस सम्मेलन में किस किस ने भाग लिया ?

(ग) सम्मेलन के फ़ैसले क्या थे तथा क्या सरकार ने उन्हें स्वीकृत किया है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रत्येक विश्वविद्यालय से अपना प्रतिनिधि भेजने के लिये प्रार्थना की गई थी तथा उन में से अधिकांश ने अपना हिन्दी प्रोफ़ेसर भेजा था ।

(ग) कार्यवाहियों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया ।

संगीत नाटक अकादमी

*९०. **डा० रामा राव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि संगीत नाटक अकादमी के सम्बन्ध में सरकार का प्रस्थापित पूंजी-व्यय क्या है तथा इस पर इस समय तक कुल कितना धन खर्च किया जा चुका है ?

(ख) इस अकादमी द्वारा क्या उद्देश्य पूर्ति होगी ?

(ग) इस अकादमी के सदस्य कौन है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) संगीत नाटक अकादमी पर सरकार द्वारा पूंजी व्यय उठाने का कोई विचार नहीं । सरकार केवल समय समय पर अकादमी को अनुदान देती रहेगी । चालू वित्तीय वर्ष में अकादमी को २५,००० रुपये अनुदान के रूप में देने का विचार है ।

(ख) अकादमी के उद्देश्य सरकारी संकल्प संख्या एफ़ ६-५/५१-जी २ (ए) दिनांक ३१-५-५२ में दिये गये हैं, जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ग) अकादमी की साधारण परिषद् के सदस्यों की एक सूची सदन पटल पर रख दी जाती है [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १८**]

वेतनों में कटौती

*९१. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने मद्रास सरकार की इस प्रार्थना को स्वीकार किया है कि सभी आई० सी० एस० कर्मचारियों तथा अन्य अखिल भारत सेवाओं के कर्मचारियों के वेतनों में दस प्रतिशत की कटौती की जाये ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : इस विषय में के सम्बन्ध में मद्रास राज्य की प्रस्थापना विचाराधीन है ।

पदों की भरती

६६. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९४८ से अब तक केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने संघ लोक सेवा आयोग की सलाह लिये बिना ही अथवा उन्हें निर्दिष्ट किये बिना ही कितने पदों पर अस्थायी रूप से नियुक्तियां की हैं तथा कितने समय के लिये की हैं ?

(ख) ऐसे कितने पद कितने समय के बाद संघ लोक सेवा आयोग को निर्दिष्ट किये जाते हैं अथवा किये गये हैं ?

(ग) क्या इस तरह से नियुक्त किये गये व्यक्तियों को, प्राप्त अनुभव के आधार पर, अधिमान दिया जाता है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ग). अनुमान यह लगाया जाता है कि प्रश्न के भाग (क) में केवल ऐसी अस्थायी नियुक्तियों के सम्बन्ध में सूचना मांगी गई है जो अन्यथा आयोग से परामर्श करने के बाद की जाती है । इस आधार पर सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासम्भव इसे शीघ्र ही सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

निर्धन व्यक्तियों को क़ानूनी सहायता

६७. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : (क) क्या माननीय **गृह-कार्य** मंत्री २१ फ़रवरी, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४६ के उत्तर की ओर तथा विवरण संख्या २ जिस में कि (फ़रवरी, मार्च १९५२ के) संसद् सत्र में दिये गये आश्वासनों पर की गई कार्यवाही दी गई है, की ओर निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से उस पत्र का उत्तर मिला है जिस में कि उस ने राज्य सरकारों से ग़रीबों को क़ानूनी सहायता देने के बारे में राय पूछी थी ?

(ख) क्या सरकार सदन पटल पर एक संक्षिप्त विवरण रखने का विचार रखती है जिस में कि यह दिखाया गया हो कि किस प्रकार की रायें, यदि कोई हों, दी गई हैं ?

(ग) जो रायें दी गई हैं, उन पर सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). ९ राज्य सरकारों से जो उत्तर प्राप्त हुए हैं, उनका संक्षिप्त ब्यौरा देने वाला एक खरीता सदन पटल पर रख दिया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १९**] शेष राज्यों ने अभी उत्तर नहीं दिया है ।

(ग) जब सब राज्य सरकारों की रायें आ चुकेंगी तो भारत सरकार से विषय पर पुनः विचार किया जायेगा ।

निर्णयाधीन मामले

६८. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : (क) क्या **गृह कार्य** मंत्री ७ सितम्बर, १९५१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८८० तथा

८८३ के उत्तर की ओर तथा विवरण संख्या ४ जिसमें कि भारत संसद् के चतुर्थ अधिवेशन, १९५१ में दिये गये आश्वासनों पर की गई कार्यवाही दी गई है, की ओर निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त विवरण के अनुबन्ध ३ में जिन मामलों को "अभी निर्णयाधीन" लिखा गया है, क्या वह अभी भी अनिर्णीत पड़े हैं ?

(ख) उक्त विवरण के अनुबन्ध संख्या ३ में जिन २६ मामलों के सम्बन्ध में लिखा गया है कि "सूचना तत्काल ही उपलब्ध नहीं" क्या उनके सम्बन्ध में सूचना अब उपलब्ध है ?

(ग) यदि है, तो क्या सरकार सदन पटल पर सूचना रखने का विचार रखती है ?

(घ) ऊपर भाग (क) में उल्लिखित मामलों में से कितने मामलों का निर्णय हुआ है तथा इनके परिणाम क्या हैं ?

(ङ) जिन मामलों के बारे में यह लिखा गया था कि वह विचाराधीन हैं, क्या उनका निर्णय हुआ है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ङ). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे यथा-सम्भव शीघ्र ही सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

इलेक्ट्रानिक उद्योग

६९. **श्री चरक** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारत में एक इलेक्ट्रानिक उद्योग खोला जा रहा है तथा क्या इस सम्बन्ध में कोई निश्चय किया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

टकसाल तथा करेंसी नोट छापने के प्रेस

७०. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा कितने टकसाल तथा करेंसी नोट छापने के प्रेस चलाये जा रहे हैं तथा यह कहां कहां स्थित हैं ;

(ख) इन टकसालों में कर्मचारियों की संख्या क्या है तथा प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के पारिश्रमिक दर, महंगाई भत्ते तथा सेवा की शर्तें क्या हैं तथा केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन-दर उन पर लागू होते हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ;

(घ) अस्थायी, सामयिक तथा स्थायी कर्मचारियों की संख्या क्या है तथा इन्हें भरती करने का क्या तरीक़ा है ।

(ङ) इन टकसालों में कौन से श्रम क़ानून लागू हैं ;

(च) वित्त उप-मंत्री ने हाल ही में बम्बई स्थित सरकारी टकसाल का जो परीक्षण किया था, क्या उसके दौरान में कर्मचारियों द्वारा उन्हें कोई अभ्यावेदन पेश किया गया ; तथा

(छ) यदि किया गया, तो यह शिकायतें तथा मांगें क्या हैं तथा सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) भारत सरकार इस समय तीन टकसालों तथा एक करेंसी नोट छापने वाले प्रैस को चला रही है । यह टकसाल बम्बई, अलीपुर (कलकत्ता) तथा हैदराबाद (दक्षिण) में स्थित हैं तथा करेंसी नोट छापने का प्रेस नासिक रोड पर स्थित है । स्ट्रेंड रोड, कलकत्ता पर स्थित पुराने टकसाल

को अब नये अलीपुर टकसाल के साथ संगठित किया जा रहा है ।

(ख) टकसालों में कर्मचारियों की संख्या :

बम्बई टकसाल :

कमकर	१४४१
कमकरों से पृथक् व्यक्ति	१७६
कर्मचारी जिन्हें कि आकस्मिकता निधि से वेतन दिया जाता है ।	११
कुल	१६२८

हैदराबाद टकसाल :

कमकर	१०६
कमकरों से पृथक् व्यक्ति	८१
कुल	१८७

अलीपुर (कलकत्ता) टकसाल :

कमकर	१६४७
(इनमें वह ९९ व्यक्ति भी शामिल हैं जो स्ट्रेंड रोड पर कर रहे हैं)	
कमकरों से पृथक् व्यक्ति (इनमें स्ट्रेंड रोड पर काम करने वाले ७५ व्यक्ति भी शामिल हैं)	३७९
कुल	२०२६

टकसालों में कमकरों के लिये पारिश्रमिक-दर :

चार्ज मेन	१८५—८—२६५
उच्च प्रवीण क	१५५—६—१८५
,, ख	१०५—५—१२५—६—१४९
,, ग	९०—५—१२५
कारीगर श्रेणी १	१०५—५—१२५—६—१४९
,, २	७५—३—१०५
,, ३	६०—५/२—७५
,, ४	४०—२—६०
प्रवीण क	७५—३—१०५
,, ख	६०—५/२—७५—३—९६
,, ग	४०—२—६०—५/२—७५—३—१०५
,, घ	६०—५/२—७५—३—८१
,, ङ	४०—२—६०—५/२—७५—३—१०५
,, च	५४—२—६०—५/२—७५
,, छ	४०—२—६०—५/२—७०
अर्ध-प्रवीण क	४६—२—६०—५/२—७५
,, ख	४०—२—६०—५/२—६५
,, ग	३७—१—५०—२—६०
,, घ	३५—१—५०—२—५४
,, ङ	३५—१—५०
,, च	३५—१—४६
अप्रवीण	३०—१/२—३५
-रटेशन आपरेटर (सीनियर)	८०—५—१२०—८—१६०
(ज्यूनियर)	५५—३—८५

यह वेतन श्रेणियां केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफ़ारिशों पर आधारित हैं ।

कर्मचारी वर्ग अर्थात् कमकरों से पृथक् व्यक्तियों के लिये वेतन-श्रेणियां :— केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशें जो कि केन्द्रीय असैनिक सेवा (वेतन संशोधन) नियम, १९४७ के पृष्ठ १७ तथा १८ पर दी गई हैं, के अन्तर्गत निश्चित वेतन-श्रेणियां ।

कमकरों तथा अन्य कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ते की वर्तमान दरें : —

	रुपये प्रति मास
५० रुपये के वेतन तक	४०
५१ से लेकर १०० रुपये के वेतन तक ।	५०
१०१ से ले कर १५० रुपये के वेतन तक ।	५५
१५१ से लेकर २०० रुपये के वेतन तक ।	६०
२०१ से लेकर ३०० रुपये के वेतन तक ।	६५
३०१ से लेकर ५०० रुपये के वेतन तक ।	७०
५०१ से लेकर ७५० रुपये के वेतन तक ।	८५
७५१ से लेकर १००० रुपये के वेतन तक ।	१००
१००० से लेकर २००० रुपये के वेतन तक ।	वेतन का १० प्रतिशत, किन्तु यह १५० रुपये से अधिक न हो ।

कमकरों की सेवा की शर्तें :—

जहां तक अनुशासन, सेवा समाप्ति आदि का सम्बन्ध है, यह कमकर औद्योगिक सेवायुक्ति (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ के अन्तर्गत बनाये गये स्थायी आदेशों द्वारा अधिशासित हैं ।

अवकाश :—फ़ैक्टरी अधिनिमय, १९४८ की धारा ७९ के अनुसार कमकरों को वेतन सहित छुट्टियां प्राप्त करने का अधिकार है । इसके अलावा जिस कमकर ने दो वर्ष से अधिक समय की सेवा दी हो उसे ४ दिन की आकस्मिक छुट्टी दी जाती है,तथा जिसकी बीस वर्ष से अधिक काल की सेवा हो उसे १० दिन की वेतन सहित आकस्मिक छुट्टी दी जाती है ।

छुट्टियां :—रविवारों के अलावा कमकरों को २० दिन की वेतन सहित छुट्टियां प्रतिवर्ष दी जाती हैं । यह छुट्टियां निर्माण-समिति द्वारा चुन ली जाती हैं जिस में कि कमकरों के निर्वाचित प्रतिनिधि तथा प्रबंधकों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं । कलकत्ता टकसाल के कमकरों ने अपनी सुविधा के लिये इन छुट्टियों का एक हिस्सा आकस्मिक अवकाश में परिवर्तित किया है ।

सेवा निवृत्ति के लाभ :—१ मई १९४५ से पहले जो कमकर नियुक्त किये गये हैं उन्हें यह विकल्प दिया गया है कि वह निवृत्ति वेतन से सम्बन्धित लाभों अथवा कमकर अंशदायी भविष्य निधि से फ़ायदा उठायें ।

निवृत्ति वेतन सम्बन्धी लाभ :—(१) यदि किसी कमकर ने ३० वर्ष से कम काल की सेवा न दी हो तथा जो या ५५ वर्ष से अधिक आयु का हो या जो और अधिक सेवा देने के अयोग्य हो, तो उसे पेन्शन दिया जाता है।

(२) यदि उस ने २० वर्ष से कम काल की सेवा न दी हो तथा उसे इस कारण से सेवानिवृत्त किया जाता है कि वह ५५ वर्ष से अधिक आयु का है तो उसे एक उपदान दिया जाता है ।

(३) यदि उसने १५ वर्ष से कम काल की सेवा न दी हो तथा वह और अधिक काम करने के अयोग्य हो तो उसे उपदान दिया जाता है ।

अंशदायी भविष्य निधि :—

जिन कमकरों ने तीन वर्ष की निरन्तर सेवा दी ही उन्हें उनकी उपलब्धियों का $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत से ले कर $9\frac{3}{8}$ प्रतिशत भाग तक इस निधि में देने की अनुमति दी जाती है तथा सरकार इस पर उनकी उपलब्धियों का $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत भाग अंशदान के रूप में देती है। जिन कमकरों ने २० रुपये प्रति मास की उपलब्धियों पर निधि की पुर:स्थापना से पहले पांच वर्ष अथवा उस से अधिक समय की सेवा दी हो, उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात उस सेवा के प्रति सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये एक महीने की आधी उपलब्धियां उपदान के रूप में दी जाती हैं, परन्तु यह नौ महीने की उपलब्धियों से अधिक नहीं हो सकता है ।

कमकरों से पृथक् कर्मचारी :—

जहां तक अनुशासन का सम्बन्ध है वह असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमों द्वारा अधिशासित हैं।

अवकाश :—मूलभूत तथा अनुपूरक नियमों के अन्तर्गत दिये जाते हैं ।

सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित लाभ :— जैसे कि असैनिक सेवा विनियमों में दिये गये हैं ।

(ग) ऊपर भाग (ख) को दृष्टि में रखते हुए यह उत्पन्न नहीं होता है ।

(घ) कर्मचारियों की संख्या :

टकसाल का नाम	स्थायी	अस्थायी	सामयिक
बम्बई टकसाल	९६२+१४६*	४७९+३०*	×
हैदराबाद टकसाल	६८+८१*	३८+×*	×
अलीपुर टकसाल (जिस में कि कलकत्ता टकसाल भी शामिल है)	८८१+९६*	७६६+२८३*	×

(*कमकरों से पृथक् कर्मचारी)

भरती का तरीक़ा :—

कमकरों तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के पद निम्न ग्रेड के कर्मचारियों को तरक्की दे कर भरे जाते हैं अथवा टकसाल मास्टरों द्वारा नौकरी दिलाऊ केन्द्रों की सहायता से भरे जाते हैं। टकसाल से जिन कर्मचारियों की छांटी की गई होती है उन्हें प्रादेशिक सेवा योजनालय अधिकारी के अनुमोदन से फिर से नौकरी पर लगाने के सम्बन्ध में अधिमान दिया जाता है। द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित पद पर किसी व्यक्ति को तरक्की देने अथवा नियुक्त करने के लिये टकसाल मास्टरों को विभागीय तरक्की समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है । प्रथम श्रेणी के किसी पद पर जो नियुक्ति होती है वह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा होती है अथवा उसकी सलाह से होती है ।

(ङ) निम्नलिखित श्रम क़ानून लागू हैं ---

(१) फ़ैक्टरी अधिनियम, १९४८।

(२) औद्योगिक सेवायुक्ति (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६।

(३) मजूरी भुगतान अधिनियम, १९३६।

(४) कमकर प्रतिकर अधिनियम, १९२३।

(५) औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७।

(६) भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम, १९२६।

(च) बम्बई टकसाल में टकसाल मास्टर, सहायक टकसाल मास्टर, मुद्रांकन कलाकार तथा रक्षक को छोड़ के किसी भी कर्मचारी को क्वार्टर नहीं दिया गया है। हैदराबाद के टकसाल मास्टर को भी रहने के लिये सरकारी मकान दिया गया है। अलीपुर टकसाल में (कलकत्ता टकसाल समेत) २३ टकसाल क्वार्टर उपलब्ध हैं। इनमें से छै क्वार्टर कमकरों को दिये गये हैं। जिन्हें क्वार्टर नहीं मिले हैं उन्हें निश्चित दरों पर मकान भत्ता दिया जाता है।

(छ) जी नहीं।

(ज) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अफ़ीम की जब्ती

७१. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि ३ नवम्बर, १९५२ को सीमा शुल्क अधिकारियों ने २० सेर अफ़ीम ज़ब्त की जब कि पननगुडी के समीप इसे भारतीय संघ से फ्रांसीसी भारत के क्षेत्र में चोरी से ले जाया जा रहा था;

(ख) यदि यह सत्य है तो क्या इस सिलसिले में कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तथा वह किस राज्य का निवासी था;

(ग) क्या वर्ष १९५२ में इस क्षेत्र में चोरी छिपे माल लिये जाने की किसी और घटना का पता चला है; तथा

(घ) यदि चला है, तो इनकी संख्या क्या है?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) जी हां। यह सत्य है कि ३ नवम्बर, १९५२ को प्रातः के सात बजे पननगुडी के समीप एक सीमा शुल्क अधिकारी ने २० सेर वज़न की अफ़ीम ज़ब्त की जब कि इसे भारत से कराइकल के फ्रेंच भारतीय क्षेत्र में चोरी से लिये जाने की कोशिश की जा रही थी।

(ख) जी हां, दो व्यक्ति थे जिन में से एक तो भाग गया तथा एक पकड़ा गया; पकड़ा गया व्यक्ति कराइकल का निवासी बताया जाता है।

(ग) तथा (घ). जी हां। १९५२ में कराइकल सीमा के समीप अफ़ीम चोरी से लिये जाने की १५ अन्य घटनायें पकड़ी गईं।

नैशनल सेविंग्स सर्टिफ़िकेट

७२. **श्री के० के० बसु:** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४७-४८, १९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५२-५३ में नैशनल सेविंग्स सर्टिफ़िकेट के अन्तर्गत १० रुपये तथा १०० रुपये की सर्टिफ़िकेटों के लिये अलग अलग कितनी धनराशि विनियोजित की गई है?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): विनियोजित धनराशियां लगभग यह हैं

(लाख रुपयों में)

वर्ष	१० रुपये की सर्टिफ़िकेटों के लिये	१०० रुपये की सर्टिफ़िकेटों के लिये
१९४७-४८	१४·७१	१२२·७४
१९४८-४९	१२·४४	१६७·८३
१९४९-५०	१२९·७४	२०९·९५
१९५०-५१	२४·६६	१९५·२७
१९५२-५३ (अक्तूबर १९५२ तक)	८·७०	१२९·०३

ब्रिटिश प्रबन्ध अभिकरण

७३. श्री के० के० बसु: क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में कौन कौन से ब्रिटिश तथा अमेरिकन नियंत्रित समवायों के प्रबन्ध अभिकरण काम कर रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): कोई भी अमरीकी प्रबन्ध अभिकरण भारत में किसी समवाय का प्रबन्ध कार्य नहीं चला रहा है ?

जहां तक ब्रिटिश प्रबन्ध अभिकरणों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य का ध्यान उस विवरण की ओर दिलाया जाता है जो मैं ने २८ जून, १९५२ को श्री वी० पी० नायर के तारांकित प्रश्न संख्या १२९९ के उत्तर में सदन पटल पर रखा था। उस विवरण में और कोई नाम नहीं जोड़ना है।

गणित से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति

७४. श्री चरक: क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गणित के लिये कोई राष्ट्रीय समिति नियुक्त की गई है ; तथा

(ख) यदि की गई है तो इस समिति के निबन्धन तथा उद्देश्य क्या हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उप मंत्री (श्री के०डी० मालवीय): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २०]**

विस्थापित हरिजन

७५. सरदार हुक्म सिंह: क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९५२ तक कितने हरिजन विस्थापित व्यक्तियों को उस बोर्ड द्वारा नौकरी मिली है, जो कि उन के हित के लिये नियुक्त किया गया था ; तथा

(ख) इस समय तक इन में से कितने व्यक्ति भूमि पर पुन: स्थापित किये गये हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) ७९७६।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं।

सरकारी नौकरी में महिला कर्मचारी

७६. श्री राधा रमण: (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में इस समय महिला कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है ?

(ख) किन किन मंत्रालयों में वह सेवायुक्त की गई हैं ?

(ग) प्रत्येक ग्रेड में उनका प्रारम्भिक तथा औसत वेतन-दर क्या है तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन-दरों की तुलना में यह कैसे लगते हैं ?

(घ) क्या सरकार महिला कर्मचारियों की सेवा के और अवसर उपलब्ध कराने की प्रस्थापनाओं पर विचार कर रही है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे यथा सम्भव शीघ्र ही सदन पटल पर रख दिया जायगा।

(घ) संविधान के उपबन्धों के अनुसार नौकरियों के सम्बन्ध में सामान्यतया लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है,। कुछ विशेष नियुक्तियों जैसे कि नर्सों आदि के लिये महिलायें अधिक उपयुक्त होती हैं, तथा नियुक्तियां करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाता है। वैसे तो महिलाओं के लिये विशेष रूप से व्यवस्था करने का कोई विचार नहीं।

टैक्नीकल शिक्षा का विकास

७७. श्री जजवाड़े : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने १९५१ तथा १९५२ के वर्षों में टैक्निकल शिक्षा के विकास के लिये पटना विश्वविद्यालय को कितनी धनराशि दी ?

(ख) क्या संस्कृत के पठन पाठन के विकास के लिये कोई धन दिया गया है ?

शिक्षा, तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) वैज्ञानिक तथा टेक्निकल शिक्षा के विकास की योजना के अन्तर्गत पटना विश्वविद्यालय के भूगर्भशास्त्र के विभाग के लिये ३५,००० रुपया दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

आसाम जाने वाले विस्थापित व्यक्ति

८०. श्री अमजद अली : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अगस्त, १९४७ से आसाम राज्य में कितने विस्थापित व्यक्ति घुस आये हैं;

(ख) किन किन ज़िलों में वह घुस आये ? (यदि सम्भव हो तो ज़िलेवार संख्या दी जाये)

(ग) कितने विस्थापित व्यक्ति (ज़िलेवार) फिर से बसाये गये हैं तथा कितने ऐसे व्यक्तियों को, ज़िलेवार, अभी बसाया जाना है, और

(घ) पुनर्वास से सम्बन्धित सहायता देने के लिये उन्हें किन श्रेणियों में विभक्त किया गया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे यथासमय सदन पटल पर रख दिया जायगा।

हीरा तथा सोना

८१. श्री झूलन सिन्हा : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार की भूतत्वीय परिमाप संस्था ने पंजाब तथा विन्ध्य प्रदेश में हीरा तथा सोना विद्यमान होने की सम्भावनाओं की जांच की है ?

(ख) यदि की है, तो इस जांच का परिणाम क्या निकला है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा ज्यों ही यह प्राप्त होगी, तो इसे सदन पटल पर रख दिया जायगा।

आयकर

८२. श्री झूलन सिन्हा : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर जांच आयोग द्वारा की गई जांच के दौरान में अथवा इस के बाद या पहले किन्हीं ऐसे मामलों का पता

चला है जिन में कि व्यापारियों ने धर्मार्थ कार्यों के लिये एकत्रित बहुत बड़ी धनराशियों को कारबार में लगाया हो ; तथा

(ख) यदि लगाया है तो कितना धन लगाया है तथा इस पर कितना कर लगाया गया है तथा इस में से कितना वसूल किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) इस प्रकार का कोई भी मामला न ही आयकर जांच आयोग के ध्यान में और न ही केन्द्रीय सरकार के ध्यान में आया है। यदि ऐसा कोई मामला आयकर अधिकारियों के ध्यान में आया भी होगा, उन्हें इसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देना अपेक्षित नहीं है।

(ख) भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

सोरो (उड़ीसा) में पुरातत्वीय स्मारक

८३. **श्री संगण्णा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जनवरी, १९५३ में पुरी ज़िले (उड़ीसा) के सोरों स्थान पर महत्वपूर्ण पुरातत्वीय स्मारक पाये गये हैं ;

(ख) यदि ऊपर भाग (क) का उत्तर 'हां' हो तो यह भग्नावशेष किस प्रकार के हैं तथा किस युग से सम्बन्ध रखते हैं ; और

(ग) इस काम पर कितना धन तथा समय लगाया गया है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे यथासमय सदन पटल पर रख दिया जायगा।

राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम ब्रिटेन के प्रबन्ध संचालक का आगमन

८४. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या ब्रिटेन के राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम के प्रबन्ध संचालक अप्रैल, १९५१ में भारत आये थे ?

(ख) यदि आये थे तो उन्होंने हमारे अधिकारियों के साथ किन बातों पर चर्चा की ?

(ग) क्या उस चर्चा के परिणाम स्वरूप कोई ठोस प्रस्थापनायें तैयार की गईं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). यह चर्चा प्रारम्भिक तथा अनौपचारिक रूप की थी तथा इसका सम्बन्ध उन आविष्कारों के विकास तथा उपयोग से था जो कि सरकारी सहायता से चलने वाले अनुसन्धान कार्यों से प्राप्त हुए थे।

सोमवार,
१६ फरवरी, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

१८५

लोक सभा

सोमवार, १६ फरवरी, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(**देखिए भाग १**)

---

३ म० प०

पटल पर रखे गए पत्र

मैसूर के राजप्रमुख और रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बीच समझौता

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट, १९३४ की धारा २१ क, उपधारा (२) के अधीन मैं सदन के पटल पर उन मुख्य और अनुपूरक समझौतों की एक प्रति रखता हूं जो मैसूर के राजप्रमुख और रिज़र्व बैंक आफ़ इंडिया के बीच २४ दिसम्बर, १९५२ को हुए थे । [**पुस्तकालय में रखी है । देखिये संख्या** ४. ०. ३ (३८) ।]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव —जारी

१८६

उपाध्यक्ष महोदय : जिस प्रस्ताव को प्रो० अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था जिस का श्री रघुरामय्या ने अनुमोदन किया था, उस पर अब आगे विचार किया जाएगा ।

श्रीमती विजय लक्ष्मी (ज़िला लखनऊ—मध्य) : इस का समर्थन करते समय मैं केवल वैदेशिक नीति पर ही बोलूंगी ।

कुछ महीने पूर्व मैं ने जो विचार व्यक्त किए थे उन्हें आज भी ठीक कहा जा सकता है। अरब-एशियाई देशों का हमारी नीति पर विश्वास बढ़ रहा है और उन्हें मालूम पड़ गया है कि भारत ने जो रुख इख्तियार किया है केवल उस से ही संसार में शान्ति और सुरक्षा स्थापित हो सकेगी ।

यहां पर यह कहा गया है कि हमें कोई विशेष सफलता नहीं मिली है । यह क्या कम बात है कि हम ने विश्व के बहुत से देशों को प्रोत्साहन दिया है । मिश्र, सीरिया, लेबानान, आदि देशों ने जो मेरा स्वागत किया और मेरी ओर मित्रता की भावना दिखाई उस पर मैं उन को धन्यवाद देती हूं । संयुक्त राष्ट्र में अरब एशियाई देशों के जो प्रतिनिधि हैं उन के साथ मिल कर हम ने काम किया है । भारत ने ऐसी कोई बात नहीं की है जिस स शान्ति की स्थापना को बल न मिला हो । विश्व में आज दोनों गुट्ट शस्त्रीकरण कर रहे हैं फिर भी हमारे विचारों पर ध्यान दिया जा रहा है तथा उन का आदर होता है। यदि शान्ति स्थापित करने में हमें सदैव

[श्रीमती विजय लक्ष्मी]

सफलता नहीं मिल पाई है तो यह कोई लज्जा की बात नहीं है। हम इस दिशा में प्रयत्न करते रहेंगे। अपने स्वतन्त्र विचारों द्वारा हम ने विश्व-शान्ति के लिए बहुत कुछ किया है।

संयुक्तराष्ट्र के पिछले सत्र में हम ने उस की विभिन्न समितियों में महत्वपूर्ण कार्य किया है। हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा कई मामलों में उन्हें स्वीकार किया गया। दक्षिण अफ़्रीका, ट्यूनीशिया और मरक्को के नाजुक प्रश्नों के विषय में अरब समूह के देशों ने बड़ा अच्छा रुख इख्तियार किया तथा ऐसा संकल्प बनाने में सहायता की जो अधिकांश देश स्वीकार कर सकें। दक्षिण अमरीका के लोगों ने भी हमारा पक्ष लिया क्योंकि वे भी इन प्रश्नों पर पक्षपात-रहित हो कर विचार कर सकते हैं। विश्व में शान्ति की स्थापना करने में यह समूह बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करेगा।

अब मैं कोरिया के संकल्प पर कुछ कहना चाहूंगी। इसे हम ने ही प्रेरित किया था। यहां पर उस की जो आलोचना हुई थी उसे मैं ने पढ़ा है। मैं वे कुछ भ्रम मिटा देना चाहती हूं जो विशेष रूप से साम्यवादी दल के नेता को हो गए हैं। उस संकल्प को प्रेरित करने में हमारा केवल यही उद्देश्य था कि कोरिया में मारकाट बन्द हो जाए। उस समय वहां मित्रराष्ट्रों के १००० व्यक्ति प्रतिदिन मर रहे थे। लगभग उतने ही चीनी भी मर रहे होंगे। हम इसे बन्द करना चाहते थे।

हम पर यह आरोप लगाया गया है कि हमने प्रमुख बातों को पहले नहीं किया। यह आरोप उचित नहीं है। १९५० में भारत तथा अन्य १३ राष्ट्रों ने एक संकल्प प्रस्तुत किया था। उस के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की महासभा के सभापति से कहा गया कि वे एक समिति बना कर ऐसे आधार का निश्चय करें जिस के द्वारा कोरिया में लड़ाई बंद हो जाए। यह संकल्प स्वीकार कर लिया गया। लड़ाई बंद करने के पश्चात् हम कोरिया के एकीकरण और दक्षिण पूर्व एशिया की समस्याओं पर विचार करना चाहते थे। इस ओर अन्य प्रयासों के विफल होने के पश्चात् विरामसंधि की बातें हुईं। इनमें एक ऐसे सूत्र बनाने का प्रयत्न किया गया है जिस से लड़ाई बंद की जा सके। परन्तु, एक दूसरे पर सन्देह होने के कारण कोई परिणाम नहीं निकला। इस मारकाट को बंद करने के लिए कुछ न कुछ करना बहुत आवश्यक था।

मैं साम्यवादी दल के माननीय नेता के इस भ्रम को मिटा देना चाहती हूं कि भारत सरकार ने यह संकल्प, चीन द्वारा २४ नवम्बर को अस्वीकार किये जाने पर भी, आंग्ल-अमरीकी गुट्ट को प्रसन्न करने के लिये पुरःस्थापित किया। यह गलत बात है। भारतीय संकल्प १७ नवम्बर को पुरःस्थापित किया गया और उस समय अमरीका ने इस का तत्काल विरोध किया परन्तु इंगलिस्तान ने इस को स्वीकार किया। यह बात सब को भली भांति विदित है कि कुछ समय के लिये अमरीका और इंगलिस्तान के बीच इस पर मतभेद रहा। हमारे प्रतिनिधिमंडल ने संकल्प का पाठ १६ नवम्बर को भारत सरकार के पास भेजा कि वह इस को आगे चीन की सरकार के पास भेजे। १७ नवम्बर को संकल्प राजनैतिक समिति में नियमित रूप से प्रस्तुत किया गया और इस समिति में अमरीका के वक्ता ने इस का विरोध किया और इंगलिस्तान तथा कई अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने इस का समर्थन किया। चीन की सरकार से कोई उत्तर नहीं मिला था और सोवियत् देशों ने अपनी राय प्रकट न की केवल यही बताया कि उन की सरकारें भारतीय संकल्प पर गम्भीर विचार कर रहे हैं। इस कारण

हमें आश्चर्य हुआ जब कि श्री विशिंस्की ने चीन द्वारा संकल्प अस्वीकार किये जाने की घोषणा की।

यद्यपि हमारे प्रतिनिधि मंडल के प्रति निन्दात्मक लेख समाचारपत्रों में लिखे गये और रेडियो पर भी अनुचित भाषण दिये गये, मूल धारणा यह थी कि हम विरोधी पक्षों के बीच समझौता कराने के लिये सुविश्वास की भावना से सच्चा प्रयत्न कर रहे थे। हम ने अपने संकल्प को जेनीवा अभिसमय की रूप-रेखा के अनुसार प्रवर्त्तित करने का प्रयत्न किया क्योंकि हमें सोवियत् प्रतिनिधियों ने यह बताया कि चीन की सरकार को यह अभिसमय स्वीकार्य है। हमारा यह प्रयत्न इस बात का प्रमाण है कि हम ने इसी धारणा को लिये अपना कार्य आरम्भ किया कि अन्य प्रतिनिधि मंडल भी इस पर वचार कर रहे हैं। सफलता में सब से बड़ी रुकावट यह रही है कि दोनों पक्षों को यह भय तथा सन्देह था कि कहीं युद्ध-बन्दी के पश्चात् अन्य अतिमहत्वपूर्ण प्रश्न हल ही न हों और कहीं कोई ऐसी बात न हो जाये कि युद्ध-बन्दी से दो में से किसी पक्ष का हित मारा जाये। परन्तु जब तक युद्ध-बन्दी न हो तब तक और कोई बात तय नहीं हो सकती और हमें पहले चीन और बाद में अमरीका की हिचकिचाहट के कारण एक ऐसा सुझाव प्रस्तुत करने में बहुत कठिनाई हुई जो कि दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो।

सदन को इस बात का पूरा ज्ञान है कि राजनैतिक समिति के सामने कई संकल्प थे। कहा गया है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अपना सुझाव वापस क्यों न ले लिया ज ब कि उन को यह प्रतीत हुआ कि चीन की सरकार इस का समर्थन नहीं करेगी। परन्तु उस समय संकल्प की यह दशा थी कि केवल यही एक संकल्प था जिस में आशा की किरण दीखती थी। अन्य संकल्प कोई प्रयोजन पूरा नहीं कर सकते थे। हम ने उस समय संयुक्त राष्ट्र में यह मामला उठाया जब पान मुन जान में बात चीत भंग हुई थी और यद्यपि भारतीय संकल्प को एक मुख्य सम्बन्धित देश ने स्वीकार नहीं किया फिर भी मैं समझती हूं कि इस पर जो चर्चा हुई और इस संकल्प पर एक मत हो कर ५४ राष्ट्रों ने जो प्रयत्न किया वह इस बात का द्योतक है कि एकत्रित राष्ट्र यही चाहते थे कि इस समस्या का कोई मान्य हल निकले। हम आगे क्या करेंगे, यह सरकार पर निर्भर है और मैं इस में कुछ नहीं कहना चाहती। परन्तु मुझे कोई सन्देह नहीं कि हम एक भयानक समस्या को हल करने के विषय में हर सम्भव प्रयत्न करेंगे।

दूसरे पक्ष की ओर से कहा जाता है कि काश्मीर के मामले में हम ने अपनी नीति स्पष्ट नहीं की है और मूल तथ्यों की ओर ध्यान नहीं दिलाया है। परन्तु यह गलत है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान सुरक्षा समिति में पिछली बार दिये उन भाषणों की ओर दिलाना चाहती हूं जिन में हम ने स्पष्ट शब्दों में यह बताया कि हम ने यह मामला समिति के सामने क्यों रखा और समिति से हमारी मांग क्या है।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर]

मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहती हूं कि प्रश्न ज़ोरदार भाषण देने का नहीं, अपितु सिद्धान्तों पर अड़े रहने का है। वर्तमान नाज़ुक परिस्थितियों में संसार को आपत्ति से बचाने का प्रयत्न हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने सिद्धान्तों पर अड़े रहें और संसार को शनैः शनैः अपनी दृढ़ धारणा से प्रेरित करें। यदि हमारी विदेशी नीति का यही मापमान है तो हमारी नीति एक भावात्मक नीति है और इस से ऐसे राष्ट्रों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है जो सैनिक शक्ति के आधार पर तो बलवान नहीं हैं

[श्रीमती विजय लक्ष्मी]

परन्तु जिन में नैतिक शक्ति है और जो शान्ति चाहते हैं।

श्रीमान्, मैं सदन के समक्ष प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली) : राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत सी बातों का वर्णन किया गया है, परन्तु मुझे जो थोड़ा सा समय दिया गया है मैं उस में कुछ ही बिन्दुओं की ओर निर्देश करूंगी।

राष्ट्रपति ने विश्व स्थिति का संक्षिप्त वर्णन किया और भारत की नीति का भी। उन्हों ने कहा कि भारत शान्ति चाहता है और कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जिस से युद्ध की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिले। इस बात पर देश के सब लोग सरकार का समर्थन करेंगे चाहे कोई किसी भी दल का अनुयायी हो। हम ने बड़े संघर्ष के बाद स्वतन्त्रता प्राप्त की है और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये हम शान्ति चाहते हैं। परन्तु हम एक गतिशील शान्ति की नीति चाहते हैं, एक भावात्मक नीति चाहते हैं। हम ऐसी नीति नहीं चाहते जो संकोचपूर्ण हो। हम यह नहीं चाहते कि एक समय हम एक पक्ष को संतुष्ट करें, दूसरे समय दूसरे पक्ष को, और परिणाम यह रहे कि हम किसी को भी संतुष्ट न कर सकें।

पिछले कुछ सप्ताह से जो घटनायें हुई हैं उन से युद्ध का खतरा बढ़ गया है। हमें आशा थी कि इस बारे में राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में सरकार की नीति का स्पष्ट शब्दों में वर्णन करेंगे परन्तु उन्हों ने अति-सावधानतापूर्ण शब्द बोले और युद्ध का खतरा बढ़ाने वाली क्रिया की निन्दा नहीं की।

यदि हम स्थिति का विश्लेषण करें, हमें ज्ञात होगा कि आइसेनहोअर की नई नीति, उसका यह विनिश्चय कि फार्मोसा से नौ सेना का सातवां बेड़ा हटाया जायेगा उस की इस नीति के अनुकूल है कि एशिया के लोगों को एशिया के लोगों से लड़ने दिया जाये। यह ठीक नीति है परन्तु यह नीति फिर आदि से अन्त तक चलायी जानी चाहिये। अमरीकन लोग एशिया में स्वयं रह कर युद्ध आरम्भ कराना चाहते हैं परन्तु मारे जाने के लिये हमें आगे रखना चाहते हैं। वह अपने भौतिक या सैद्धान्तिक स्वार्थ को प्राप्त करने के लिये शक्ति संतुलन को बिगाड़ना चाहते हैं। पहले स्पष्ट रूप में यह कहा गया था कि सातवां बेड़ा फार्मोसा को साम्यवादी चीन से सुरक्षित रखने के लिये वहां रखा गया है और आज वह कहते हैं कि यह बेड़ा इस लिये रखा गया था कि साम्यवादी चीन पर आक्रमण न किया जाये! परन्तु यदि च्यांग-काई-शेक चीन में लड़ना चाहता है तो लड़े, अमरीका क्यों उस को शिल्पिक तथा युद्ध सामग्री के रूप में अन्य सहायता देता है।

हम नहीं चाहते कि पश्चिमी देशों के महत्वाकांक्षी युद्धों में हमारा शोषण किया जाये। शताब्दियों से यूरोप लूट मार की नीति पर चलता रहा है। अब यूरोप का यह काम अमरीका ने अपने हाथ में लिया है और यूरोप और अमरीका एशिया में औपनिवेशिक प्रथा को बनाये रखना चाहते हैं। वह यहां की संघर्षणात्मक जनता को, जो अपना सिर उठा रही है, दबाये रखना चाहते हैं। वह यूरोप के ही झगड़े थे जिन के फलस्वरूप दो भयानक और विनाशकारी विश्व युद्ध हुये। और अब इन पश्चिमी शक्तियों के आपसी झगड़े तीसरे महायुद्ध का खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। पश्चिमी देशों में सैद्धान्तिक बातों पर भी सहनशीलता नहीं। इसी कारण संसार आज ऐसे दो गुट्टों में विभाजित है जिन का पुनः समाधान होना असम्भव है। वह कहते हैं कि कोरिया में दो भागों के बीच झगड़ा चल रहा

है, परन्तु कोरिया का विभाजन किस ने किया और वहां किनका युद्ध लड़ा जा रहा है ?

झगड़ा तो वास्तव में रूसी जीवन प्रणाली और अमरीकी जीवनप्रणाली के बीच है । तो एशिया निवासियों का शोषण क्यों किया जा रहा है ? वह अपने झगड़े से हमें बाहर ही क्यों नहीं छोड़ते ? भारत के लिये अब विशेष खतरा मध्य पूर्व प्रतिरक्षा संगठन की कपटयुक्ति के रूप में उत्पन्न हुआ है । यह संगठन इस लिये नहीं बनाया जा रहा है कि मध्य पूर्व को इस की इच्छा है, अपितु इस लिये कि यह पश्चिमी देश अपने लाभ के लिये संसार भर पर किसी न किसी रूप में अपना अधिकार रखना चाहते हैं। आज के समाचार-पत्रों में मैंने पढ़ा कि यह पश्चिमी देश अब यह नया दावपेंच चला रहे हैं कि एशिया के लोग आपस में ही लड़ें। यह भी कहा गया है कि आइसेनहोअर सरकार अब इस नीति को मानने में विवश है कि विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का केवल एक यही इलाज है कि पूर्वी यूरोप में सैनिक बल संचित रखा जाये और एशिया में एक बाधक युद्ध चालू रखा जाये । मैं जानना चाहती हूं कि यदि हम शान्ति के अनुयायी हैं तो हम इस स्थिति के बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? युद्ध के इस गम्भीर खतरे के प्रति हम क्या कर रहे हैं ? राष्ट्रपति का यह कहना कि हम इस स्थिति को गम्भीर समझ रहे हैं, पर्याप्त नहीं । हमें यह कहना चाहिये कि हम इस का विरोध करते हैं ।

क्या अमरीकी सहायता प्राप्त करने के कारण हमारी जीब रुक जाती है ? यदि यही बात है तो हमारे लिये उचित है कि हम इस सहायता के बिना ही अपने राष्ट्र-निर्माण का काम करें । हम अपने देश की स्वतन्त्रता को गिरवी नहीं रख सकते । मैं यह केवल अमरीका के बारे में ही नहीं, अन्य किसी गुट्ट के बारे में कह रही हूं, चाहे उस के सिद्धान्त क्या ही हों ।

राष्ट्रपति ने उत्तरी अफ्रीका के बारे में कुछ भाव प्रकट किये । हम उन के कथन का पूरा समर्थन करते हैं ।

पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध सुधरने के विषय में भी राष्ट्रपति ने कुछ संतोष प्रकट किया । पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध सुधरना एक परमावश्यक बात है । परन्तु दुर्भाग्य यह है कि कोई प्रभावशील सुधार नहीं दीख पड़ता । समय समय पर सुधार हुआ है, परन्तु यह उतनी देर ही रहा है जितनी देर पाकिस्तान चाहे । जब कभी भी पाकिस्तान इस सुधार को बिगाड़ना चाहे तो वह ऐसा करता है । कुछ मास पूर्व ही हम ने इस का एक प्रमाण पारपत्र करार के सम्बन्ध में हुई घटना के रूप में देखा । आज सब से बड़ी आवश्यकता यही है कि पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध सुधर जायें । परन्तु यदि पाकिस्तान को भी मध्य-पूर्व प्रतिरक्षा संगठन में सम्मिलित किया गया, तो दो देशों के बीच तनाव बढ़ जाने का डर है । उस अवस्था में हमारी सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

जम्मू तथा काश्मीर में जो आन्दोलन चल रहा है उस के बारे में मैं अपने दल की ओर से कुछ बातें कहना चाहती हूं । यह जो संघर्ष चल रहा है इस से जम्मू, काश्मीर तथा भारत को हानि पहुंच रही है । इस लिये उचित यही है कि इस मामले को शीघ्र अति शीघ्र तय किया जाये । यह बात किसी को नहीं भाती कि यह आन्दोलन बाहर के राजनैतिक दलों की प्रेरणा से चलाया जा रहा है । जब तक जम्मू के लोगों के मन में कोई असन्तोष और भ्रांतधारणा न हो, आन्दोलन कभी उत्पन्न नहीं हो सकता । केवल प्रचार के आधार पर आन्दोलन कराना सम्भव नहीं । स्वयं प्रधान मंत्री ने मान लिया कि

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

जम्मू की जनता को कुछ वास्तविक कष्ट हैं। क्या यह उचित नहीं कि हमारी तथा जम्मू तथा काश्मीर की सरकारें इस झगड़े में कुछ संतोषजनक समझौता करने का प्रयत्न करें ?

मूल अधिकार तथा उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार सम्बन्धी प्रश्न तो महत्वपूर्ण संवैधानिक वाद-पद हैं। दूसरे सदन में कल पंडित हृदय नाथ कुंजरू ने इन मामलों के बारे में बहुत ही योग्यता से व्याख्या की। एक शासकीय आयोग नियुक्त कर के इन गम्भीर वाद-पदों का निबटारा करने की आप आशा नहीं कर सकते।

हम ने अत्याचार की कई वार्तायें सुनी हैं। एक ओर से कहा जाता है कि जनता ने हिंसात्मक कार्य किये और इतने पुलिस के आदमी मारे, दूसरी ओर से कहा जाता है कि सरकार ने जनता का दमन किया, इतनी नारियों और इतने बच्चों पर अत्याचार किया गया और इतन मनुष्य मारे गये। हम यह तो नहीं कह सकते कि यह सब झूठ है। इस लिये उचित यही है कि कुछ संसद् सदस्य जम्मू जायें और तथ्य मालूम कर लें। हम इस स्थिति को कब तक ऐसे रहने देंगे। सार्वजनिक आन्दोलन कभी लाठी के जोर से दबाये नहीं जा सकते। ऐसी अवस्था में सरकार को उदारचित होना पड़ता है और जनता की बात सुननी पड़ती है। परन्तु हमें बताया जाता है कि काश्मीर के प्राधिकारी जनता से, प्रजा परिषद् से बातचीत करना अपने लिये अनादर समझते हैं। यदि प्रजा परिषद् इतना बड़ा आन्दोलन आरम्भ करने में सफल रहा है तो स्पष्ट है कि इस का कुछ न कुछ आधार होगा। तो नया सरकार को जनता का दुःख नहीं सुनना चाहिये ? यदि काश्मीर सरकार ऐसा करने में अपना अनादर समझती है, तो कई ऐसे व्यक्ति हैं जो साम्प्रदायिकतावादी नहीं और जो सुभावना से इस समस्या को हल करने में मध्यस्थों के रूप में काम कर सकते हैं। मेरे विचार में अब भारत तथा काश्मीर की सरकारों को चाहिये कि राजदर्शिता से, क्रोध त्याग कर, इस झगड़े को निपट लें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी ऐसा ही करते थे। मैं प्रधान मंत्री से आज यह प्रार्थना करती हूं कि वह स्वयं इस स्थिति को संभाल लें।

आन्तरिक स्थिति के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि आर्थिक स्थिति के हर पहलू में सुधार हुआ है। परन्तु मैं राष्ट्रपति से सहमत नहीं हूं। हम तो यही देखते हैं कि देश में दरिद्रय है, भुखमरी है, बेंकारी है और जनता की क्रय-शक्ति में बहुत पतन हुआ है। खाद्य स्थिति तो सुधर गई है, अनाज के संभार में वृद्धि हुई है; परन्तु जनता की आर्थिक अवस्था बिगड़ गई है, बेकारी बढ़ रही है और क्रय-शक्ति में पतन हुआ है। राशन की दुकानों से लोग राशन नहीं ले सकते क्योंकि उन के पास पैसा नहीं। एक ओर हमारे पास अनाज के संभार हैं, और दूसरी ओर भारत के कई भागों में अकाल है। अनाज के दाम अभी बहुत महंगे हैं। कई स्थानों पर अनाज का समाहार ऐसे किया जा रहा है कि लोग चिल्लाते हैं कि वास्तविक उत्पादन को ध्यान में ही नहीं रखा जाता। लोगों को अधिक उत्पादन करने के लिए उत्साह नहीं मिलता। यद्यपि खाद्य स्थिति में सुधार हुआ है, फिर भी हम इस के बारे में निश्चिन्त हो कर नहीं बैठ सकते। कल खाद्य मंत्री ने बताया कि १९५५–५६ तक भारत अनाज के बारे में आत्मनिर्भर हो जायेगा और निर्यात भी कर सकेगा। मैं आशा करती हूं कि ऐसा होगा। परन्तु हमारे प्राक्कलन ठीक नहीं निकल आते। माननीय प्रधान मंत्री ने बताया था

के १९५२ में हम अनाज के बारे में आत्म-निर्भर हो जायेंगे पर ऐसा नहीं हुआ।

राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि आर्थिक स्थिति सुधर गई है। परन्तु वित्त मंत्री ने और कुछ कहा। हाल ही में हैदराबाद में उन्हों ने बताया कि इस समय कुछ कुछ अपकर्ष की स्थिति है। अपकर्ष से अभिप्राय यह है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। व्यापार में मंदी पड़ गई है। उत्पादन में कमी करनी पड़ी है। उद्योगों का उत्पादन मांग से अधिक है। बेकारी बढ़ती ही जाती है। इन सब बातों के दृष्टिगोचर, मुझे राष्ट्रपति का कथन अत्याशावादी दीख पड़ता है। स्थिति ऐसी है कि इस का सुधार केवल सामाजिक क्रान्ति से ही हो सकता है। मुझे इस बात में सन्देह है कि हमारा वर्तमान शासक दल, जैसे यह इस समय संगठित है और जैसे यह काम चलाता है, इस गम्भीर स्थिति को संभाल सकेगा।

श्री एच० एन० शास्त्री (ज़िला कानपुर-मध्य) : जनाब वाला, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित की तक़रीर के बाद मुझे इस बात की कोई जरूरत अब महसूस नहीं होती कि मैं हिन्दुस्तान की फ़ौरेन पालिसी के मुताल्लिक इस वक्त कुछ और अर्ज करूं। अभी चन्द रोज हुए, शायद परसों, एक तक़रीर मुखालिफ़ बेंच की तरफ से हो रही थी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के डिप्टी लीडर ने दी थी, और उस में उन्हों ने हिन्दुस्तान की फौरेन पालिसी की नुक्ता चीनी की थी। इस सिलसिले में ज्यादा अर्ज न कर के सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि अपने मुल्क की फौरेन पालिसी के मुताल्लिक मैं कम्युनिस्ट पार्टी से सबक़ सीखने के लिये तैयार नहीं हूं। उन का रास्ता जुदा है और हमारा रास्ता जुदा है। अगर उस पालिसी को हम अख्तियार किए होते जो कि २८ साल से कम्युनिस्ट पार्टी ने अख्तियार की हुई है तो इस पार्लियामेंट के अन्दर फ्री सिटिजन की हैसियत से हमें बैठने का मौका न मिलता जो कि आज मिला हुआ है। अगर हम उस नीति के मुताबिक चलते तो सन् १९२९ में आजादी के आन्दोलन का जो हम ने ऐलान किया वह नहीं करते सन् १९३० में जो सत्याग्रह की लड़ाई हम ने छेड़ी वह छेड़ने की नौबत नहीं आती। सन् १९३२ में जो सामूहिक सत्याग्रह और लगान बन्दी की तहरीक हम ने शुरू की उस को शुरू करने की नौबत नहीं आती, और सन् १९४२ में जो कुइट इंडिया मूवमेंट हिन्दुस्तान में छिड़ा वह भी नहीं छिड़ता और आज मुल्क गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ होता। और आजादी मिलने के बाद भी अगर हम उस फ़ौरेन पालिसी को तसलीम करते और उस के मुताबिक चलते तो हम भी आज आइरन करटैन के एक अंग होते और मुल्क की जनता जो आज आजादी की सांस ले रही है वह सांस न लेती और उसी गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रहती जिन में से सदियों के बाद उसे नजात मिली है। हम एक मुट्ठी भर लोगों की सलाह पर अपनी फ़ोरेन पालिसी को चलाना नहीं चाहते जिन के इंटरेस्ट हम से कोसों दूर हैं। हम जानते हैं कि हमारी फ़ोरेन पालिसी के पीछे हिन्दुस्तान की ९९.९ जनता की आवाज है और अगर किसी चीज ने पिछले पांच साल के अन्दर हमारे दरजे को दुनिया में सब से ऊंचा किया है तो इस में कोई शक नहीं कि वह हमारी फ़ौरेन पालिसी ही है।

काश्मीर के मुताल्लिक श्रीमती सुचेता कृपलानी की तक़रीर अभी हुई और अभी चन्द रोज हुए जब कि एक और तक़रीर मैं बैठा सुन रहा था और उस तकरीर को सुनते हुए मेरे दिल में यह ख्याल उठा कि जो साहब कि काश्मीर के सवाल के ऊपर तक़रीर दे रहे थे शायद पार्लियामेंटरियन के रोल को अदा करने के बजाय अगर वह

[श्री एच० एन० शास्त्री]

किसी नाटककार का रोल अदा करते तो शायद उस में ज्यादा कामयाबी मिलती। बदकिस्मती से इस वक्त वह नहीं हैं। उन्हों ने एक सवाल पूछा था और वही सवाल आज भी दुहराया गया है, और वह सवाल यह है कि अगर प्रजा परिषद् फुल ऐक्सेशन चाहती है तो इस में क्या गुनाह है ? और अभी दूसरा सवाल यह किया गया है गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रजा परिषद् के जायज मुतालबात पर गौर क्यों नहीं करती है ? अभी चन्द रोज हुए मुझे अपने एक दोस्त से गुफ्तगू करने का मौका मिला और मैं ने उन से पूछा कि आखिर प्रजा परिषद् के क्या मुतालबात हैं, तो उन्हों ने भी यही बात कही कि प्रजा परिषद् यह चाहती है कि काश्मीर का पूरे तौर से ऐक्सेशन हिन्दुस्तान के साथ हो और अगर वह यह चाहती है तो इस में क्या गुनाह है और इस में क्या गलती है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि वक्त आ रहा है और जल्द आयेगा जब कि हो सकता है कि काश्मीर हिन्दुस्तान का अभिन्न रूप से और मुकम्मिल तौर से एक अंग हो जाये। हमारी निगाहें तो सिर्फ काश्मीर के दोशालों या काश्मीर के दूसरे सामान के ऊपर नहीं हैं बल्कि हम तो यह चाहते हैं कि काश्मीर हिन्दुस्तान का पूरे तरीके से हिस्सा हो ता कि हमें शेख अब्दुल्ला जैसी अजीममुश्शान हस्ती मिले जिस का कि दायरा काश्मीर में ही न हो कर सारे हिन्दुस्तान में हो। पर मैं समझता हूं कि इस मौके पर ऐक्सेशन के सवाल को उठाना प्रजा परिषद् की जायज़ मांग नहीं हो सकती। इस सिलसिले में मैं और ज्यादा दलीलों में न जा कर के सिर्फ एक बात मैं रखना चाहता हूं और वह यह है कि देशी रियासतों के एक्सेशन का सवाल किस तरीके का था और किन वजूहात से इस मुल्क के अन्दर उठा। आप को मालूम है कि आज से पांच साल पहले ये देशी रियासतें हमारे मुल्क से अलहदा थीं। आजादी के मिलने के बाद यह फैसला हुआ कि तीन सवालों को ले कर उन का एक्सेशन हो। आगे चल कर कोशिश हुई कि जिन का नतीजा यह हुआ कि हिन्दुस्तान की जितनी रियासतें थीं वह मुकम्मिल तौर से हिन्दुस्तान के साथ मिल गयीं। यह सोचने की चीज है कि हम ने फुल ऐक्सेशन पर क्यों जोर दिया था। उस की वजह यह थी कि हम समझते थे कि जब तक इन देशी रियासतों का जो कि अब तक सदियों से फियूडेलिज़्म के अन्दर पली हुई हैं, और जिन की जनता बहुत पिछड़ी हुई है और जब तक फ़ुल ऐक्सेशन नहीं हो जाता है, और वह हमारे साथ कन्धे से कन्धा मिला कर नहीं चलती हैं, तब तक उन की तरक्की उस रफ्तार से नहीं हो सकती है जिस रफ्तार से हमारी तरक्की हुई है और यही वजह थी कि हम ने ऐक्सेशन के लिये खास तौर से जोर दिया। लेकिन काश्मीर की हालत देखिये। काश्मीर की हालत दूसरी देशी रियासतों से बिल्कुल मुख्तलिफ रही है इस माने में कि काश्मीर के अन्दर एक नेशनल कांफ्रेंस रही है और उस कांफ्रेंस का एक लीडर रहा है शेख अब्दुल्ला। उस नेशनल कांफ्रेंस की और शेख अब्दुल्ला की यह पोलिसी रही है कि न सिर्फ वह हिन्दुस्तान के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर चलें बल्कि काश्मीर की जनता जिन दिक्कतों या जिन कठिनाइयों का मुकाबला कर रही है उन को देखते हुए वह हिन्दुस्तान से ज्यादा तेजी से चल सके। यह जाहिर चीज है और इस को तसलीम करना पड़ेगा कि आज काश्मीर में जो लैंड रिफार्म हुए हैं, और काश्मीर की जनता जिस तेजी के साथ तरक्की कर रही है, उस तेजी के साथ तरक्की करना गैर मुमकिन होता अगर काश्मीर उसी फुल ऐक्सेशन के साथ बंध कर के चलती जैसे कि दूसरी देशी रियासतें चल रही हैं। अगर वह हमारे कांस्टीट्यूशन

के जाल में फंसी रहती तो यह गैरमुमकिन था कि जिस तेजी के साथ काश्मीर ने तरक्की की है वह उस तेजी से तरक्की न करती और उस तेजी के साथ काश्मीर में लैंड रिफार्म न होते जिस तेजी के साथ हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि वक्त आयगा जब काश्मीर का ऐक्सेशन होगा लेकिन जिन हालात से हो कर काश्मीर गुजर रहा है उन हालात को देखते हुए मैं समझता हूं कि समय का यह तकाज़ा है कि काश्मीर जिस पालिसी को ले कर चल रहा है उसी पालिसी को ले कर चलता रहे।

४ म० प०

जनाबे सदर, अब मैं सिर्फ एक ही बात के सिलसिले में कहना चाहता हूं। प्रैसीडेंट साहब ने अपनी तकरीर में मुल्क की माली हालत का हवाला देते हुए इस बात पर खुशी का इज़हार किया है कि मुल्क के अन्दर पैदावार बढ़ी है। इस में कोई शक नहीं कि मुल्क के अन्दर पैदावार बढ़ी है। यह खुशी की बात है। लेकिन फिर भी मैं इस बात पर अपना तरद्दद और परेशानी ज़ाहिर किये बिना नहीं रह सकता कि मुल्क के अन्दर जो यह पैदावार कुछ हद तक बढ़ी है तो इस पैदावार का बढ़ना मुकम्मिल तौर से मुल्क के या उस के अवाम की खुशहाली का सबूत नहीं कहा जा सकता। जो कपड़े या दूसरी चीजों की बढ़ती आज दिखायी पड़ रही है उस की अगर एक मात्र वजह नहीं तो कम से कम एक वजह यह ज़रूर है कि जनता की जो परचेज़िंग पावर है, खरीदने की जो शक्ति है, वह कुछ घट गई है। यह परेशानी की चीज है। शहरों में खास कर के मजदूर दरजे के अन्दर और जो शहरों में मिडिल क्लास के लोग हैं उन के अन्दर बेकारी का सवाल पैदा हो रहा है। अभी हाल में ही दो तीन रोज पहले इसी हाउस में बतलाया गया कि चाय इंडस्ट्री के अन्दर करीब ६५ हजार मजदूर बेकार हो चुके हैं, जो जूट इंडस्ट्री है उस के अन्दर भी करीब ४० हजार मजदूर बेकार हो चुके हैं और कोयला, टैक्सटाइल और इंजीनियरिंग के रोजगारों में भी रैशनैलाइजेशन की आड़ में बेकारी का सवाल दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। दो साल पेश्तर मैं ने इसी पार्लियामेंट के अन्दर गवर्नमेंट से यह अर्ज किया था कि वक्त आ रहा है कि मुल्क के अन्दर एक क्राइसिस आने वाली है और गवर्नमेन्ट उस क्राइसिस को रोकना चाहती है तो वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट देखे कि इस मुल्क में जो इंडस्ट्रियल आरगेनाइजेशन्स हैं उन में क्या नुक्स हैं और उन को कैसे ठीक किया जाय। लेकिन इस पर ग़ौर नहीं हुआ और यह क्राइसिस आ गया। फिर भी मझे खुशी है कि आज सरकार इस सवाल पर ग़ौर कर रही है कि इस मुल्क के अन्दर जो खास खास इंटस्ट्रीज हैं, उन की हालत पर ग़ौर किया जाय। अभी चन्द रोज हुए जब कि इडस्ट्री और कामर्स की मिनिस्ट्री की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया कि टी इंडस्ट्री की जांच के लिये एक कमेटी बिठाई जायेगी। यह खुशी की चीज है, हालांकि मुझे उस में भी कुछ तरद्दद और परेशानी है। वह यह कि जो कमेटी को बिठाने का ऐलान किया गया है उस से यह मालूम होता है कि वह कमेटी एक ऐक्सपर्ट कमेटी की शक्ल में होगी। ऐक्सपर्ट कमेटी से मुझे कभी कभी परेशानी होती है, क्योंकि अक्सर इस का मतलब होता है कि ऐसी कमेटी से जिस में कि वे लोग रहें जिन को कि किताबों की लियाकत ज़रूर हो, लेकिन जिन के पास किसी तरह का तजुर्बा न हो। इस तरह की कमेटी नीम हकीम खतरे जान की तरह होती है। अब भी मैं इस बात को कामर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि इस कमेटी के निर्माण के सिलसिले में वह इस बात पर ग़ौर करें कि इस के साथ

[श्री एच० एन० शास्त्री]

लेबर और इंडस्ट्री के ऐसे लोग हों जिन को कि इंडस्ट्री का तजुर्बा हो।

अब मैं अगले दो मिनट के अन्दर सिर्फ एक बात पर और अर्ज करना चाहता हूं और वह है फाइव ईयर प्लान के बारे में। फाइव ईयर प्लान के सिलसिले में हम और उस अंजुमन ने, जिस का कि एक नुमाइन्दा होने का मुझे फ़ख्र हासिल है उस को सपोर्ट किया है और इस बात को तय किया है कि पूरे तौर से उस को कामयाब बनाने में हर तरह की मदद करें। यह मौका आज तो नहीं है कि फाइव ईयर प्लान के सिलसिले में मैं कोई ज्यादा बातें कहूं। लेकिन एक चीज में गवर्नमेंट से अर्ज करना चाहता हूं। वह यह है कि फाइव ईयर प्लान की कामयाबी के लिये जहां बहुत सी और चीजों की जरूरत है वहां मुझे एक कमी दिखाई पड़ रही है और एक जरूरत महसूस हो रही है जिस को मैं बतलाना चाहता हूं। वह कमी यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के अन्दर पालिसीज़ में जो कोआर्डिनेशन और जो हारमानी होनी चाहिये वह हारमानी आज हमें दिखलाई नहीं पड़ रही है और जब तक वह हारमानी और कोआर्डिनेशन नहीं होता तब तक फाइव ईयर प्लान का कामयाब होना मुश्किल है। इस सिलसिले में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। जहां तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पालिसी का सवाल है इस में कोई शक नहीं कि पिछले चुनाव के बाद उस के अन्दर काफी प्रोग्रेस हुई है और काफी तेजी से वह आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन जहां पर कई स्टेट्स उस पालिसी के साथ चलना चाहती हैं, वहां पर यह देख कर मुझे परेशानी है कि कुछ स्टेट्स इस मुल्क के अन्दर ऐसी हैं कि जो आज भी अपने उसी पुराने तर्जे अमल को कायम रखना चाहती हैं और चलना चाहती हैं। मुझे कम से कम एक स्टेट का पता है जो कि एक पड़ौस की रियासत है। मैं उस का नाम नहीं लेना चाहता। वहां पर एक लेबर मिनिस्टर हैं लेकिन वह लेबर मिनिस्टर वहां बिल्कुल फिगरहैड हैं, जिन की कोई आवाज नहीं और न उन का कोई असर है। बल्कि उस सूबे में जो इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं जो वहां के एक कैपिटलिस्टों की क्लिक से पूरी तौर से मुतास्सिर हैं, वह लेबर डिसप्यूट और लेबर पालिसी को उस स्टेट में चलाते हैं। अगर गवर्नमेंट की यह ख्वाहिश है, कि फाइव ईयर प्लान जिस पर कि मुल्क के मुस्तकबिल का पूरा दारोमदार है, उस प्लान को कामयाब बनाया जाय तो उस के लिये जरूरी है कि कम्प्लीट कोआर्डिनेशन और कम्प्लीट हारमानी पालिसी के अन्दर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के दरमियान हो।

इन्हीं चन्द अल्फाज़ के साथ मैं बड़ी खुशी के साथ प्रैसीडेंट साहब को शुक्रिया अदा करने के सिलसिले में जो तजवीज रखी गई है उस का समर्थन करता हूं।

श्री यू० सी० पटनायक (धुमसूर) : मैं उस संशोधन पर बोलना चाहता हूं जो मैं ने प्रस्तुत किया है और जो सब से अधिक महत्वपूर्ण विषय, अर्थात् प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में है। मेरे संशोधन का अभिप्राय इस बात पर जोर देना है कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के मामलों का कुछ वर्णन नहीं किया। मैं अपने संशोधन के एक भाग के बारे में, जो प्रतिरक्षा बलों का समाजार्थशास्त्रीय उपयोग करने से सम्बन्धित है, बोलना नहीं चाहता क्योंकि इस विषय में स्वर्गीय रक्षा मंत्री, श्री गोपालस्वामी ने दो बार सदन को आश्वासन दिलाया था कि जितना शीघ्र सम्भव हो वह इस मामले में जो कुछ हो सके करेंगे। मुझे आशा है उन के उत्तराधिकारी इस मामले का पूरा परीक्षण करा के इस का परिपालन करेंगे।

हमें आशा थी कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय तनाव की स्थिति के दृष्टिगोचर, राष्ट्रपति, जिन में प्रतिरक्षा बलों का उच्चतम समादेश भी निहित है, हमें यह आश्वासन दिलायेंगे कि हमारा प्रतिरक्षा संघटन स्थिति को संभालने के लिये पर्याप्त है। यद्यपि हम युद्ध से बचने का प्रयत्न कर रहे हैं फिर भी हो सकता है कि हम किसी बड़े या छोटे झगड़े में फंस जायें। और यदि हमारे विरोधी को विदेशों से आधुनिक युद्धोपकरण प्राप्त हों तो क्या हम अपने देश की उचित रक्षा कर सकते हैं? इस विषय में भी हमें राष्ट्रपति से आश्वासन की आशा थी।

आधुनिक युद्ध में किस प्रकार आक्रमण किया जाता है और किस प्रकार प्रतिरक्षा की जाती है, इस बात का हमें अवश्य परीक्षण करना चाहिये। ठीक है कि हम ५५ प्रतिशत बजट प्रतिरक्षा पर व्यय करते हैं। परन्तु हमें यह बात देखनी है कि हमारी सेना आधुनिक युद्ध के लिये सुसज्जित है या नहीं। अब जो युद्ध होगा वह केवल सेनाओं का युद्ध नहीं होगा उस में सारा राष्ट्र अन्तर्ग्रस्त होगा। हमें तत्क्षण शान्तिकालीन अर्थव्यवस्था को त्याग कर युद्धकालीन अर्थव्यवस्था अपनानी होगी। सारे राष्ट्र का संघटन उसी आधार पर करना होगा। हमारे पास बड़ी स्थल-सेना है, और छोटी सी वायु सेना तथा नौ-सेना भी। परन्तु हमारे हां कोई असैनिक प्रतिरक्षा संघटन नहीं।

मेरे विचार में आधुनिक युद्ध में स्थायी बल केवल प्रारम्भिक दशा में ही उपयोगी रहता है। उस के पश्चात् सारे राष्ट्र को लड़ने के लिये तैयार करना पड़ता है। परन्तु इस विषय में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ कहा नहीं गया है। मुझे यह बात नहीं भाती कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस कारण प्रतिरक्षा सम्बन्धी तैयारियों का कुछ वर्णन न किया गया कि वह प्रतिरक्षा संघटन पर विश्वास नहींकरते। हां हो सकता है कि इस कारण वह चुप रहे हों कि हमारे प्रतिरक्षा संघटन की मर्यादा यही है कि प्रत्येक बात गुप्त रखी जाये। यदि यही कारण हो, तो मैं फिर यही बात बताना चाहता हूं कि आधुनिक युद्ध में सारे राष्ट्र पर विश्वास करना पड़ता है और प्रतिरक्षा के लिये सारे राष्ट्र को प्रचालित करना पड़ता है। इसलिये रहस्यात्मक नीति अपनाना उचित नहीं।

इस विषय में मैं आपका ध्यान अन्य देशों, विशेषकर इंगलिस्तान में प्रकाशित वार्षिक प्रतिरक्षा बजट की ओर दिलाना चाहता हूं। इंगलिस्तान में तीन प्रतिरक्षा बलों के विषय में तीन पृथक् अंक प्रकाशित किये जाते हैं, जिन में स्थल-सेना, नौ-सेना तथा वायु-सेना, इन तीनों विभिन्न पदों पर किये गये व्यय, प्रशिक्षण की विभिन्न रीतियों तथा संघटन की रीतियों का वर्णन होता है। हमें प्रायः बताया जाता है कि हमारी सेना भी इंगलिस्तान के नमूने पर बनाई जा रही है और हमारी नौ-सेना तथा वायु-सेना के प्रमुख भी इंगलिस्तान के पदाधिकारी हैं और स्थल-सेना सम्बन्धी मन्त्रणादाता भी इंगलिस्तान के ही हैं। परन्तु यह केवल यही मन्त्रणा देते हैं कि इंगलिस्तान से सामान खरीद लो। और यह सामान ऐसा होता जो उन के पास पड़ा हुआ हो और जिस की उन्हें स्वयं आवश्यकता न हो। इंगलिस्तान के सेना सम्बन्धी बजट में वह सब बातें दी हुई होती हैं जो हमारे देश में रहस्य समझी जाती हैं।

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : मैं माननीय सदस्य की बात समझ नहीं पाया हूं। हम भी तो बजट प्रकाशित करते हैं।

श्री यू० सी पटनायक : हमारे यहां भी बजट प्रकाशित होता है, परन्तु उस में बहुत थोड़ी विस्तृत बातें दी हुई होती हैं। इंगलिस्तान

[श्री यू० सी० पटनायक]

इन तीनों बलों के सैनिकों की संख्या, पदाधिकारियों की संख्या, प्रादेशिक सेना के संघटन, काऊंटी एसोसिएशन तथा सहायक संस्तबक के संघटन के बारे में विस्तृत जानकारी बजटों में दी जाती है। हमारे देश में केवल व्यय के आंकड़े प्रकाशित किये जाते हैं क्योंकि उस की हमें मंजूरी देनी होती है।

चालू वर्ष की प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में बजट में बंटन किये गये आंकड़े यह हैं : स्थल-सेना, लगभग १६९ करोड़ रुपये; वायु-सेना, २६ करोड़ रुपये; और नौ-सेना, १५ करोड़ रुपये। यह बात स्पष्ट है कि वायु-सेना, जो कि आधुनिक आक्रमण या प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में सब से महत्वपूर्ण है, सब से दुर्बल सेना है। हमारे यहां स्थल-सेना पर बहुत ही अधिक व्यय किया जाता है और अन्य दो सेनाओं पर बहुत ही कम। हमारे देश में एक और कठिनाई यह है कि हम अस्थायी कमीशन पदाधिकारियों को असैनिक कार्य नहीं दे सकते और वह अनुसूचित कालावधि के पश्चात् की अपने पदों पर रखे रहते हैं। हमारा प्रतिरक्षा यन्त्र अच्छी प्रकार से संघटित नहीं है। इंगलिस्तान में शिल्पिक, साधारण तथा व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है जिस से कि सैनिक कर्मचारी प्रतिरक्षा राजसेवा में दो एक साल काम करने के पश्चात् असैनिक काम पर लगाये जा सकते हैं।

इंगलिस्तान में दूसरी बात यह भी है कि सैनिक तथा असैनिक कर्मचारिवृन्द के बीच सैन्य-प्रचालन के विषय में पूर्ण सहयोग है। इंग्लैंड में राष्ट्रीय सेवा अधिनियम के और अमरीका में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नर-शक्ति संघटन मंडलियों के बीच पूर्ण सहयोग है। यही रूस तथा चीन में होता है। प्रत्येक देश में रक्षा तथा श्रम मंत्रालय देश की सम्पूर्ण नर-शक्ति के प्रचालन के लिये एक दूसरे से सहयोग करते हैं। यह नर-शक्ति विभिन्न वर्गों के निमित्त प्रचालित की जाती है, उदाहरणतः प्रतिरक्षा सेवायें, प्रतिरक्षा उद्योग, असैनिक उद्योग इत्यादि। पर हमारे देश में यह बात नहीं है।

एक और महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि हमारे यहां नागरिक रक्षा, जिसका कि आधुनिक युद्ध में सर्वप्रथम महत्व है, का कुछ पुनः संघटन नहीं हो रहा है। १९४४-४५ तक अंग्रेज़ी राज में हमारे यहां भी नागरिक रक्षा संघटन था, परन्तु अब हम इस की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस के अतिरिक्त राईफ़ल क्लब आदि कई, अर्ध-सैनिक संघटन हैं जिन को हमारी सरकार कोई वित्तीय सहायता नहीं देती, और न उन का समर्थन कर रही है।

इन सब बातों के दृष्टिगोचर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा प्रतिरक्षा-यन्त्र आधुनिक रीतियों के अनुसार संघटित नहीं है। हमारे सैनिक कर्मचारिवृन्द ने बहुत अच्छा काम किया है, परन्तु संघटन ठीक नहीं। इसलिये हम यह आशा करते हैं कि राष्ट्रपति प्रतिरक्षा संघटन के बारे में भी हमें जानकारी दें और देश को यह आश्वासन दें कि यह संघटन आधुनिक युद्ध का सामना करने के लिये पर्याप्त है।

डा० जयसूर्य (मेदक) : श्री रघुरामय्या ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण आत्म-संतोष की भावना से पूर्ण है। ठीक है कि इस में बहुत ही आत्म-संतोष की भावना है। हमें आशा थी कि इस में रहस्यवाद की झलक होगी, हमारे लिये कोई सन्देश होगा, पर ऐसी कोई बात नहीं थी।

अभिभाषण को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले का सम्बन्ध विदेशी नीति से है। हमारी विदेशी नीति शांति की नीति है। परन्तु हमारी विदेशी नीति ऐसी है

कि हम इस बात की पहिचान नहीं कर सकते कि हमारा मित्र कौन है और शत्रु कौन। उदाहरण यह है कि जब हमारी भावना सत्-श्रद्धा की भावना थी तो हमें यह ग़लत मन्त्रणा दी गई कि उत्तरी कोरिया आक्रमणकारी है। हम ने ससंकोच उत्तरी कोरिया को आक्रमण-कारी घोषित किया और एक सैनिक आहतो-पचारिका कोरिया भेज दी। परन्तु बाद में यह बात प्रमाणित होने पर भी कि उत्तरी कोरिया आक्रमणकारी नहीं था, हमें यह साहस न हुआ कि अपनी ग़लती मान लें। संयुक्त राष्ट्र में हमारी नारी प्रतिनिधि ने ("आइरन-कर्टेन") तथा "सोवियत् सैटेलाइट" जैसे शब्दों का प्रयोग किया। मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि यह कैसे निष्पक्ष शब्द थे। मैं मानता हूं कि हमारी सरकार तटस्थ रहना चाहती है। परन्तु मैं आप को कुछ लेख पढ़कर सुनाना चाहता हूं और आप से यह प्रश्न करना चाहता हूं कि हम देश के तटस्थ रहने की कैसे आशा कर सकते हैं।

१ दिसम्बर, १९५१ को प्रकाशित हुये "न्यूयार्क टाइम्स" समाचार-पत्र में स्टेंडार्ड-वैकूम करार के बारे में बताया गया था कि इस के अन्तर्गत एक तो खलीज फ़ारस के पूर्व में असाम्यादी तेल के परिष्करण की सुवि-धायें प्राप्त होंगी और भारत में अमरीका की निजी पूंजी बड़े माप पर लगाये जाने का पहला रास्ता खुलेगा। समाचारपत्र ने यह भी लिखा था कि नये विश्व युद्ध में भारत के संयुक्त राज्य का पक्ष करने की अवस्था में, जैसा कि प्रत्येक पश्चिमी निरीक्षक की राय है, भारत में स्थापित परिष्करणियों से ऐसे निर्माण आदि के रूप में बचत होगी जो युद्ध के सम्भाविक क्षेत्र से दूर किसी अन्य स्थान पर परिष्करणियां स्थापित करने में करना पड़ता। इसी प्रकार श्री जी०डी० बिरला ने एक सुझाव दिया था। ५ नवम्बर, १९५२ के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में लिखा गया था कि श्री बिरला एक भारत-अमरीकी निगम स्थापित करने का सुझाव देते हैं जो कि भारत की अर्थ-व्यवस्था का निदेशक होना चाहिये। और हम निजी क्षेत्र को विकसित करने की बातें कर रहे हैं। भला यह कैसे किया जा सकता है? हमारे राजदूत श्री बी० आर० सेन ने भी भारत द्वारा ऐसे उद्यमों में भाग लेने की सिफारिश की, ऐसा ३० जनवरी, १९५२ के "न्यूयार्क टाइम्स" में बताया गया है। और २६ फरवरी, १९५२ के "हिन्दू" में बताया गया था कि श्री चेस्टर बौल्स भी इसी बात का समर्थन करते थे।

हम सब तटस्थ रहने की बातें करते हैं। मैं प्रधान मंत्री से यह आश्वासन चाहता हूं कि युद्ध की अवस्था में भारत में परिष्कृत तेल की एक बूंद भी उन देशों को नहीं भेजी जायेगी जो युद्ध में ग्रस्त होंगे।

मैं अब अभिभाषण के दूसरे भाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आश्चर्य की बात यह है कि राष्ट्रपति ने कहा है कि पंच वर्षीय योजना का देश भर में उत्साहपूर्ण स्वागत किया गया। इस के विपरीत मैं दिल्ली में जनता की राय का उल्लेख देता हूं। दिल्ली में जो इस विषय के सम्बन्ध में मत लिया गया था उस से ज्ञात हुआ कि दिल्ली ज़िले के अधिकांश लोगों की राय यही थी कि यह योजना सफल नहीं रहेगी। यह योजना क्या है? इस के तीन कल्पनात्मक आधार हैं। पहली यह है कि योजना का तभी सफलतापूर्वक परिपालन हो सकता है जब राज्य के हाथ प्रभावी शक्ति हो और योग्य शासन-यन्त्र हो। दूसरा यह कि हर स्तर पर उचित नेतृत्व प्राप्त हो। और तीसरा भी नेतृत्व के बारे में है। यह पूर्वानु-मान हैं, अर्थात् यह तीनों बातें हैं ही नहीं। तो यह कैसी योजना है? जिस योजना का आधार केवल पूर्वानुमान हो वह केवल काग़ज़ी योजना है।

[डा० जयसूर्य]

राष्ट्रपति ने बताया कि हर ओर प्रगति हो रही है। मेरी भी इच्छा है कि ऐसा ही हो, परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं। यह प्रगति केवल कहने की ही है। खाद्य स्थिति लीजिये। १९५१ में आंकड़े यह थे कि २,१६,३५,००,००० रुपये अनाज के आयात पर व्यय ये और इस वर्ष के बजट में २,२६,७०,००,००० रुपये का प्राक्कलन है। यदि खाद्य स्थिति सुधर रही हो, तो यह आंकड़े समझ में नहीं आते। अब रहा उधारों का प्रश्न यह केवल भारत पर अधिकार जमाने के लिये दिये जा रहे हैं। इन उधारों का अन्तिम उद्देश्य यही है कि भारत अमरीका की कठ-पुतली बन जाये।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली): राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जम्मू तथा काश्मीर में जारी आन्दोलन को दुर्पथ-प्रदर्शित आन्दोलन बतलाया। मैं समझता हूं कि स्वयं राष्ट्रपति का मंत्रि-मंडल ने ग़लत पथ-प्रदर्शन किया है।

दस सप्ताह से जम्मू में आन्दोलन चल रहा है। लाठी-चार्ज करने, गोली चलाये जाने तथा अन्य अत्याचार किये जाने पर भी यह आन्दोलन फैलता ही जाता है। यह कहना ठीक नहीं कि यह बाहर से उकसाया गया है। इस का कुछ ठोस आधार है, नहीं तो १८०० व्यक्ति क्यों अपने आप को हथकड़ियां डलवाये, लगभग १००० व्यक्ति अभी कारागार में हैं, और इन में लगभग ३० नारियां हैं। इसलिये यह एक गम्भीर स्थिति है। यह कहना ठीक नहीं कि यह आन्दोलन साम्प्रदायिकतावादी है। साम्प्रदायिकता का आरोप अब एक पुराना मज़ाक है। मैं माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह स्थिति को समझ लें और देखें कि इस में साम्प्रदायिकता की कौन सी बात है। प्रजा परिषद् की पहली मांग यह है कि भारत का संविधान जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर भी लागू हो। इस में साम्प्रदायिकता की क्या बात है?

उन की दूसरी मांग यह है कि मूल अधिकार सम्बन्धी अध्याय राज्य के नागरिकों के विषय में भी लागू हो। क्या यह साम्प्रदायिकतावादी मांग है? मैं सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि वह इस बात को याद रखें कि यह केवल विधानवादिता अथवा संविधानप्रियता की मांग नहीं, अपितु वह लोग मूल मानवाधिकार की मांग कर रहे हैं। जम्मू की जनता बार बार चिल्लाती रही है कि राज्य में उन की नागरिक स्वतन्त्रताओं का दमन किया जा रहा है। जो काश्मीर प्रतिरक्षा नियम राज्य में प्रवर्तित किये जा रहे हैं वह बहुत ही असभ्य तथा प्रतिगामी हैं। वह कहते हैं कि वाक् स्वातन्त्र्य का पूर्ण दमन किया गया है। "मिलाप", "प्रताप" आदि भारतीय समाचारपत्रों के राज्य में आने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। जम्मू की जनता ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप उन को वह नागरिक स्वातन्त्र्य नहीं दे रहे हैं जो ३२ करोड़ भारतीय नागरिकों को दिये गये हैं। उन की मांग यह है कि उन को भारत के उच्चतम-न्यायालय से उन मूल अधिकारों के बारे में न्याय प्राप्त करने की अनुमति क्यों नहीं जो अधिकार भारत के ३२ करोड़ नागरिकों को प्राप्त हैं?

मूल अधिकार सम्बन्धी अध्याय में न ही केवल अधिकार ही बताये गये हैं, अपितु यह भी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को स्वतान्त्र्य से वंचित किया जाये तो वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है और बन्दीप्रत्यक्षीकरण अथवा परमादेश प्राप्त कर सकता है। जम्मू की जनता कहती है कि प्रजा परिषद् के प्रधान, पंडित प्रेम नाथ डोगरा को बिना परीक्षण तथा अपराधों

से अवगत किये बिना बन्दी बनाया गया है। यह जनता कहती है कि इन्हों ने क्या अपराध किया है कि यह उच्चतम-न्यायालय से अपने स्वातन्त्र्य तथा अधिकारों का रक्षण नहीं करा सकते हैं, जब कि उन के भारतीय भाइयों को यह अधिकार प्राप्त है।

शेख अब्दुल्ला या पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस कथन का कि काश्मीर तथा भारत अथवा भारत तथा काश्मीर एक हैं कुछ अभिप्राय नहीं। ठीक है कि काश्मीर भारत के साथ है क्योंकि हम काश्मीर की प्रतिरक्षा कर रहे हैं। परन्तु वास्तव में, जहां तक उच्चतम-न्यायालय, मूल अधिकार तथा वित्तीय एकीकरण का सम्बन्ध है, काश्मीर भारत का अंग नहीं। जम्मू की जनता रोती रही है कि उन को सांस्कृतिक अधिकार भी नहीं दिये जाते। हिन्दी उर्दू के झगड़े को लीजिये। वर्तमान शासन प्रणाली से पूर्व हिन्दी भाषा को आदर का स्थान मिला था परन्तु अब उर्दू सरकारी भाषा बनाई गई है और हिन्दी को पीछे धकेला गया है। पाठ्य-पुस्तक समिति में जो कि शेख अब्दुल्लाह ने नियुक्त की है, जम्मू का या अल्पसंख्यक जाति का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। प्रशासन सम्बन्धी मामलों में भी यही बात होती है। सरकार के विरुद्ध साम्प्रदायिकता के आरोप लगाये गये हैं और जम्मू के लोग कहते हैं कि हम संतुष्ट हैं यदि हमारे राज्य में भी भारत का संविधान लागू हो जाये। अभी तक कुछ नहीं किया गया है, केवल शेख अब्दुल्लाह प्रजा परिषद् की निन्दा करते हैं।

मुझे शेख अब्दुल्लाह से जम्मू की स्थिति पर बातचीत करने का अवसर मिला और मैं ने उन से कहा कि आप प्रजा परिषद् के प्रतिनिधियों और अपने कुछ प्रतिनिधियों के साथ बैठकर एक गोलमेज़ सम्मेलन बुलाइये और मामले की छानबीन कीजिये; और मैं आज भी यही कहता हूं। यदि आप सद्भावना से अपने को भारत का अंग मानते हैं तो इस में क्या बुराई है कि आप भारत के संविधान को मान लें, मूल अधिकार स्वीकार कर लें, उच्च-न्यायालय को स्वीकार कर लें और वित्तीय एकीकरण कर लें। यह काना-फूसी चल रही है कि इस आन्दोलन का समर्थन करने में हम संसद् की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं। इस संसद् ने यह तो नहीं कहा है कि भारत की ३२ करोड़ जनता को जो अधिकार प्राप्त हैं वह जम्मू के दुःखी लोगों को प्राप्त नहीं।

बहिःशुल्क का भी विरोध किया जाता है। जम्मू की जनता कहती है कि जो वस्तु, पठानकोट में एक रुपये में मिलती है वह जम्मू में तीन रुपये में बिकती है। वह चाहते हैं कि उन के राज्य के विषय में वही व्यापार व्यवस्था हो जो अन्य राज्यों के विषय में प्रचलित है।

कहा जाता है कि एक आयोग नियुक्त किया जा रहा है जो इन मामलों की जांच करेगा। पर मैं नहीं समझता कि यह क्या मज़ाक है। उन की आर्थिक, प्रशासन सम्बन्धी तथा अन्य शिकायतें संवैधानिक वाद-पद से सम्बन्धित हैं। तो यह आयोग क्या करेगा?

जम्मू प्रान्त का ज़िलों में विभाजन करने के विषय में बहुत गड़बड़ फैल गई। सम्भव है कि माननीय सदस्यों को मालूम न हो कि यह विभाजन कैसे किया गया है?

५ म० प०

जम्मू प्रान्त को हिन्दू तथा मुस्लिम क्षेत्रों में विभाजित करने का व्यवस्थात्मक प्रयत्न किया गया है और इस से वहां के लोग बहुत ही चिन्तित हुये हैं। प्रान्त की प्रशासन इकाइयों की प्रादेशिक सीमाओं को ऐसे परिवर्तित कर दिया गया है कि प्रान्त के दो साम्प्रदायिक क्षेत्र बने हैं—हिन्दू क्षेत्र तथा मुस्लिम क्षेत्र। उधमपुर ज़िले को दो इकाइयों

[श्री एन० सी० चटर्जी]

में बांटा गया है। इस ज़िले में हिन्दुओं की जनसंख्या अधिक थी और यह जम्मू और लद्दाख के बीच एक प्रत्यक्ष सम्बन्ध था। परन्तु अब इस का विभाजन कर के किश्तवाड़, मदरवाह और रामबन जैसे उत्तरी क्षेत्रों का, जिन में पर्याप्त खनिज तथा वन सम्पत्ति है, एक पृथक् ज़िला बनाया गया है जिस को डोडा ज़िला कहते हैं और अब इस में बहुमत मुसलमानों का है। सम्भवतः उद्देश्य यह है कि इस का काश्मीर के साथ एकीकरण किया जाये। इस प्रकार जम्मू प्रान्त की प्राकृतिक संशक्ति को मिटाने के अतिरिक्त जम्मू और लद्दाख के बीच जो जोड़ था वह तोड़ा गया है। यही हाल रियासी ज़िले का है। यह कहने का कोई अभिप्राय नहीं कि हम क्षेत्रीय स्वातन्त्र्य दे रहे हैं। किस को क्षेत्रीय स्वातन्त्र्य दे रहे हैं? पहले जम्मू प्रान्त को या कि इन नये साम्प्रदायिक क्षेत्रों को? इसलिये जम्मू के लोग कह रहे हैं कि हम पृथक्तावाद तथा साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लड़ रहे हैं।

पंजाब राज्य के मुख्य मंत्री, श्री भीमसेन सच्चर ने प्रजा परिषद् के नेताओं को देशद्रोही कहा है। बहुत खेद की बात है कि एक ज़िम्मेवार राजनीतिज्ञ, जो कि एक राज्य के मुख्य मंत्री हैं, राजनैतिक विरोधियों के प्रति ऐसे शब्द कहें। उन्हों ने देशद्रोह किस के साथ किया है? भारत के साथ? क्या मूल अधिकार मांगना, और संविधान का आश्रय लेना देशद्रोह है? एक समय था जब कि महात्मा गांधी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी अंग्रेज़ी सरकार ने देशद्रोही घोषित किया था। परन्तु अन्त में उन्हें इन्हीं के साथ वार्तालाप करना पड़ा और सम्मेलन बुलाने पड़े। हम ने शेख अब्दुल्लाह से भी यही अपील की है कि वह प्रजा परिषद् के नेताओं के साथ बैठकर कुछ उचित समझौता करें। यदि वह मूल अधिकारों के विषय में कुछ सुरक्षण चाहते हैं तो इस बात का समाधान हो सकता है। मेरी सदन से यही प्रार्थना है कि वह पंजाब के मुख्य मंत्री के अनिष्टात्मक मिथ्या-प्रदर्शन से प्रभावित न हों। मैं उन के प्रत्येक आरोप का अनंगीकरण करता हूं और मैं यह भी कहता हूं उन का कोई आधार नहीं।

इसी सदन में गृह मंत्री ने बताया कि राजनैतिक प्रयोजनों के लिये वह कभी भी निवारक निरोध अधिनियम का उपयोग नहीं करेंगे। परन्तु पंजाब सरकार राजनैतिक प्रयोजनों के लिये ही इसी अधिनियम का प्रयोग करती है। मैं पुनः यह कहता हूं कि यह आरोप ग़लत है कि अहिंसात्मक क्रिया के लिये शस्त्र इकट्ठे किये जा रहे हैं। तो इस अधिनियम को क्यों प्रयोग में लाया जा रहा है? न्यायालयों में उन पर मुकद्मा क्यों नहीं चलाया जाता है? उन को कारागारों में क्यों बन्द किया जा रहा है? क्या यह न्याय है कि उन पर धब्बा लगाया जाये और उन्हें यह अवसर न दिया जाये कि वह अपने को निरपराध सिद्ध कर सकें? क्या यही लोकतन्त्र है? मैं चाहता हूं कि संसद् इस बात पर गम्भीर विचार करे। सारे पंजाब में सार्वजनिक अधिवेशन प्रतिबन्धित हैं। शेख अब्दुल्लाह की नीति की आलोचना करने का या जम्मू परिषद् की मांग का समर्थन करने का किसी को अधिकार नहीं। वाक् स्वातन्त्र्य का दमन किया जा रहा है। और श्री सच्चर और उस के साथी शेख अब्दुल्लाह और उस के साथियों को आमन्त्रित करते हैं कि वह पंजाब का दौरा करें और प्रजा परिषद् के विरुद्ध प्रचार करें।

आन्दोलन बहुत वेग से फैल रहा है। यह जम्मू के ग्राम ग्राम तक पहुंच चुका है। स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। मैं उत्तरदायित्व की पूरी भावना से यह कहता हूं कि यही

समय है कि भारत के प्रधान मंत्री इस मामले में स्वयं जांच करें और मध्यस्थ बनें। वह हम से कोई बात गुप्त रखना चाहते हैं। नहीं तो विरोधी राजनैतिक दलों के तथ्य-शोधन आयोगों को राज्य में प्रवेश करने से रोका क्यों जाता है ? और कांग्रेसी व्यक्तियों को वहां जा कर शेख अब्दुल्लाह की सराहना का प्रचार करने की अनुमति क्यों दी जाती है ? उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को भेजिये और उस को कहिये कि वहां की स्थिति के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। बहुत दमन किया गया है। नारियों तथा बच्चों के साथ अत्याचार किया गया है। कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो किसी भी सभ्य सरकार के लिये उचित नहीं।

मैं अन्त में प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू से अपील करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और स्थिति का सुधार करें और कोई ऐसा मान्य समझौता करायें जो दोनों पक्षों के लिये हितकर हो, जम्मू तथा काश्मीर और भारत के लिये हितकर हो।

प्रो० एस० एन० मिश्र (दरभंगा उत्तर) : मैं केवल पंच वर्षीय योजना के परिपालन के विषय में कुछ कहना चाहता हूं; परन्तु इस से पूर्व मैं विरोधी पक्ष के कुछ मित्रों द्वारा की गई हमारी विदेशी नीति की आलोचना के बारे में कुछ कहूंगा।

श्रीमान्, आप अब उस शब्द-समूह से भली भांति परिचित होंगे जिस का हमारे साम्यवादी मित्र इस सदन में प्रयोग करते हैं। खेद इस बात का है कि प्रो० हिरेन मुकर्जी जैसे उच्च बौद्धिक कोटि वाले माननीय सदस्य भी उन्हीं अपभाषी शब्दों का प्रयोग करते हैं और वही चन्द एक विचार प्रकट करते हैं। मेरे विचार में यह आरोप कि हम आंग्ल-अमरीकी साम्राज्यवाद की कठपुतली बने हैं इतना आधारहीन है कि इस पर जरा भी ध्यान देना इस का अनुचित मान करना है। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस देश की जनता की तथा अधिकांश विदेशों में हमारी नीति के प्रति जो राय है उस से यह स्पष्ट होता है कि यह आरोप ग़लत है। कोरिया संकल्प के बारे में कहा गया है कि हम शिखण्डी का पार्ट कर रहे हैं। परन्तु थोड़ी से थोड़ी बुद्धि वाले व्यक्तियों को भी यह स्पष्टतः विदित है कि भारत श्री कृष्ण का पार्ट कर रहा है और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित करने का प्रत्येक प्रयत्न कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि तीसरे विश्व युद्ध के रूप में एक और महाभारत का युद्ध छिड़ जाये तो भारत पुनः श्री कृष्ण का पार्ट ही करेगा। भारत को किसी पक्ष के साथ नैतिक सहानुभूति हो या न हो, भारत कभी भी किसी पक्ष को सैनिक सहायता न देगा।

शायद साम्यवादी दल के सदस्यों को यह भ्रम इस कारण है कि वह समझते हैं कि वह एक गुट्ट, रूसी गुट्ट से बन्धे हुये हैं। यदि वह हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के ऐतिहासिक कार्य को देखने का कष्ट करेंगे तो उन्हें ज्ञात होगा कि संसार के करोड़ों लोग कैसे भारत की ओर नई आशा तथा विश्वास से देखते हैं और भारत ने कैसे अपनी निष्पक्ष राय, विचार तथा क्रिया का प्रमाण दिया है।

अब रहा योजना के परिपालन का प्रश्न। हमें बहुत दुःख है कि राष्ट्रपति को इस विषय पर ग़लत जानकारी दी गई है। जहां तक योजना का सम्बन्ध है, मैं इस की बहुत प्रशंसा करता हूं। परन्तु इस योजना का परिपालन कैसे किया जाता है ? इस का परिपालन कौन कर रहा है, कहां किया जा रहा है और किस के लिये ? किस को पता है कि इस का परिपालन किया जा रहा है ? मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र में २० या २५ हज़ार लोगों में घूमा हूं पर वहां किसी को इस

[प्रो० एस० एन० मिश्र]

योजना का ज्ञान नहीं। राज्य विधान सभाओं तथा संसद् सदस्यों को भी इस बारे में कुछ जानकारी नहीं।

इस योजना के बारे में यह अनुचित धारणा है कि कुछ काम किया जा रहा है। परियोजनाओं की ओर देखिये। कांडला पत्तन परियोजना तथा हिन्दुस्तान नौ-प्रांगण सीमित के मशीन उपकरण कारखाने में क्या हो रहा है ? वहां यही ज्ञात हो रहा है कि सरकार बहुत सुस्त है। जहां निधियां भी दी जाती हैं वहां भी व्यय अनुसूचित मात्रा से कम हो रहा है। इस का अभिप्राय यह है कि नियोजन कम है और वर्तमान बेकारी की अवस्था में यह एक भयानक स्थिति है।

भाग (ख) और (ग) राज्यों में क्या हो रहा है ? प्रशासन की रुकावटें अभी भी योजना के परिपालन में बाधा डालती हैं। इन सरकारों ने केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिये कई योजनायें तथा कार्यक्रम भेजे हैं जो महीनों के लिये पड़े रहते हैं। इस प्रकार कोई भी कार्य निश्चित समय पर नहीं हो रहा है। योजना का परिपालन ऐसे नहीं किया जाता। कई भाग (ख) तथा भाग (ग) राज्यों में शिल्पिक कर्मचारियों तथा इन्जीनियरों का अभाव है। सरकार ने योजना आयोग की इस सिफारिश के बारे में क्या किया है कि एक संयुक्त सेवा समूह बनाया जाना चाहिये जिस से कि यह असुविधा हट जाये।

दूसरी बात यह है कि राज्यों को पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्र से सहायता देने के बारे में सरकार की कई बाग्बद्धताएं हैं। परन्तु यदि जांच की जाये तो मालूम होता है कि इस विषय में विभेदात्मक व्यवहार किया जा रहा है। कई राज्यों को अधिक वार्षिक दर की सहायता दी जा रही है और कइयों को निश्चित मात्रा में सहायता नहीं दी जा रही है। सहायता का औसत दर प्रचलित नहीं रखा जाता है। बिहार, आसाम, बंगाल तथा उत्तर प्रदेश की यही दशा है। यदि केन्द्रीय सरकार के पास अपेक्षित धनराशि नहीं है तो उस को चाहिये कि राजस्व के नये साधन ढूंढ निकाले या घाटे वाली अर्थ-व्यवस्था अपनाये। यदि ऐसा न कर सके तो केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि अपनी पहली वाग्बद्धतायें पूरा करने में अपने असामर्थ्य को स्पष्ट रूप में प्रकट करे ताकि राज्य सरकारें स्थिति को पहले जान लें और तदनुसार अपने बजट बनायें। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर सरकार को विचार करना चाहिये।

योजना की परिपालन पद्धति में एक बड़ी कमी है। योजना आयोग के लिये कोई केन्द्रीय सूचना सेवा नहीं है। मेरे कथन का अभिप्राय यह है कि सरकार योजना के सम्बन्ध में देहातों में प्रचार नहीं करती। एक देहाती को यह पता ही नहीं कि उस के लिये यह योजना क्या कुछ करेगी। सरकार को चाहिये था कि शिक्षण तथा अभियान की नीति अपनाये।

यदि ऐसा किया गया होता तो देहात में घर घर, प्रत्येक झोंपड़ी में योजना ही योजना की बातें होतीं और सहस्रों युवकों ने स्कूलों और कालेजों से निकल कर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिये दल बनाये होते। परन्तु सरकार ऐसा वातावरण उत्पन्न करने में असफल रही है जिसमें योजना के परिपालनार्थ सामुदायिक सहयोग प्राप्त हो तथा सामुदायिक क्रिया हो सके। सरकार को चाहिये कि भ्रष्टाचरण के विरुद्ध एक आन्दोलन आरम्भ करे, ऐश्वर्य की वस्तुओं के आयात में ऐसी कटौती करे जो व्यापार आभारों से संगत हो, और निजी क्षेत्र में वेतनों में कटौती करे।

सरकार को चाहिये कि स्कूलों, कालेजों, तथा इस संसद् और राज्य विधान सभाओं में एक महीने की छुट्टी करे और अध्यापकों, सदस्यों तथा विद्यार्थियों को कहे कि वह देहातों में जायें और पंचवर्षीय योजना का संदेश वहां ले जायें और वातावरण बदल डालें। यही ढंग है राष्ट्रीय योजना को कार्यान्वित करने का, सुस्ती से यह काम नहीं होता।

मैं निजी अनुभव के आधार पर कहता हूं कि भारत की जनता इतनी उत्साहहीन नहीं है जितना उस को बतलाया जाता है। उन को प्रोत्साहन मिले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। योजना के परिपालन का कार्य सार्वजनिक कार्य नहीं बनाया गया है। यह अभी भी नौकरशाहों का ही कार्य है। परन्तु इस को जनता का कार्य बनाना होगा नहीं तो यह राष्ट्रीय योजना नहीं रहेगी। योजना के परिपालन से अभिप्राय केवल इस में बताये कार्यक्रम को पूरा करना ही नहीं अपितु जनता में एक नई मनोभावना, एक नई मनोवृत्ति उत्पन्न करना है। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री टेक चन्द (अम्बाला–शिमला) : मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला, परन्तु मैं कुछ एक पर बोलना चाहता हूं। विशेषकर, मैं काश्मीर के आन्दोलन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तथ्यों की पहचान की जाये और स्थिति को भली भांति समझा जाये। इस मामले पर बोलते हुए श्री चटर्जी ने कहा कि हमें एक पक्ष की निन्दा नहीं करनी चाहिये अपितु वास्तविक बातों को, मूल बातों को समझना चाहिये। मैं इन के इस कथन से सहमत हूं। परन्तु प्रतीत होता है कि श्री चटर्जी तथ्यों से सूचित नहीं। यह आन्दोलन देखने में यदि जम्मू में ही सीमित है और जम्मू की जनता से ही सम्बन्धित है, वास्तव में इस की एक लम्बी कहानी है जो भूली नहीं जा सकती और देश में दूर दूर के क्षेत्र भी इस से सम्बन्धित हैं।

साधारण निर्वाचन में यह दल बुरी तरह हार गया। तत्पश्चात् "गौ हत्या रोको" नामक नारा लगाया गया। परन्तु यह भी खोखली गर्जन थी। इस के बाद शरणार्थियों से सहानुभूति दिखाना आरम्भ किया गया। परन्तु वहां भी इन्हें असफलता रही क्योंकि शरणार्थी सरकार की कठिनाइयां समझते थे और उन के पुनर्वास के लिये किये गये प्रयत्नों को भी जानते थे। फिर इस के बाद हिन्दू कोड बिल का आश्रय लेने का प्रयत्न किया गया और अन्तिम रूप में प्रजा परिषद् के आन्दोलन का समर्थन किया जाने लगा।

श्री चटर्जी ने कहा कि यह लोग केवल मूल अधिकार और नागरिक स्वातन्त्र्य मांगते हैं, तो उन को यह दिया क्यों न जाये ? ठीक है, मुझे भी यह कहने का साहस है कि न्यायसंगत मांगें पूरी की जानी चाहियें और न्यायसंगत शिकायतों के बारे में जांच की जानी चाहिये। परन्तु हमें यह भी देखना है कि यह लोग क्या कहते रहे हैं और उन के आन्दोलन का रूप क्या रहा है ? श्री चटर्जी ने कहा कि निर्दोश पंडित प्रेम नाथ डोगरा को क्यों कारागार में रखा गया है ? परन्तु इसी पंडित प्रेम नाथ डोगरा ने ७ नवम्बर, १९५२ को कहा कि मैं ने भारत की जनता से कहा है कि अब तक हम ने संवैधानिक रीति से संघर्ष किया है, अब हम अन्य उपाय कर रहे हैं और बाहर के लोग हमें आश्वासन देते हैं कि वह हमारा साथ देंगे। इस का अभिप्राय केवल यही है कि उन का नया उपाय हिंसात्मक है और उस में उन को बाहर से भी सहायता मिलेगी। क्या कोई सरकार ऐसी बातें सह सकती है ? और काश्मीर सरकार ने बहुत समय तक सब्र दिखाया।

[श्री टेक चन्द]

दूसरे नेता, श्री ऋषि कुमार ने कहा कि हम शख अब्दुल्लाह और उस के नेशनल कांफ्रेंस के साथियों को खत्म करेंगे, उन का लहू पियेंगे। एक और नमूना है। उन के एक और नेता चौधरी पृथिपाल सिंह ने कहा कि अब अवसर आया है कि हम अब्दुल्लाह सरकार तथा नेहरू सरकार का अन्त करें; हम केवल शेख अब्दुल्लाह के विरुद्ध ही नहीं अपितु जवाहरलाल के विरुद्ध भी लड़ रहे हैं। यह हैं उन के भाषण। इस प्रकार वह उन मूल अधिकारों की मांग कर रहे हैं जो हमारे सविधान द्वारा संरक्षित तथा प्रत्याभावित हैं।

अब सुनिये कि कहां क्या हुआ। कई जगह आक्रमण हुये, हिंसात्मक दृष्य हुये, ईटों की बौछार हुई और गोलियां भी चलीं। और यह कहां हुआ? इन लोगों ने जिन्हें देशद्रोही कहलाये जाने पर क्रोध आता है, यह विप्लव युद्ध-विराम रेखा से तीन मील अन्दर के इलाकों में किया। चम्ब, सुन्दरबनी, जोरिया, हीरानगर आदि स्थानों में से कोई भी युद्ध-विराम रेखा से ढाई या तीन मील से अधिक दूर नहीं। और फिर भी वह कहते हैं कि हमें देशद्रोही न कहिये। और उन्होंने कितनी ही सार्वजनिक संस्थाओं को क्षति पहुंचाई। थाने, तहसील कार्यालय, विद्यालय तथा अन्य भवनों पर बलवा बोला और उन का क्षय किया। इतना ही नहीं, इन लोगों ने जो अपने आप को शान्ति के इच्छुक कहलाते हैं और मूल अधिकारों की मांग कर रहे हैं, कइयों को घायल किया। सुन्दरबनी के ज़िलाधीश, उधमपुर के अतिरिक्त ज़िला धीश तथा पुलिस के अधीक्षक, अन्य स्थानों के थानेदार तथा अन्य पुलिस कर्मचारियों को घायल किया गया जिन की कुल संख्या लगभग १०० होगी। क्या यही तरीका है मूल अधिकार और नागरिक स्वातन्त्र्य मांगने का २६ जनवरी, १९५३ को, जब भारत का गणराज्य दिवस मनाया जा रहा था और उप-मुख्य मंत्री तथा राजस्व मंत्री झंडा लगा रहे थे और झंडे को सलामी दे रहे थे, तो इन लोगों ने उसी अधिवेशन में गड़बड़ फैलाने का प्रयत्न किया। इतने सन्तुष्ट न हो कर इन्होंने महात्मा जी के चित्र का चकनाचूर किया। कई निर्दोष व्यक्तियों पर हमला किया गया। एक निर्दोष अध्यापक पर इस कारण टूट पड़े कि वह स्कूल बन्द नहीं करता था। डाक्टरों पर हमला किया। ११ जनवरी के दिन जब उप-मुख्य मंत्री एक सार्वजनिक अधिवेशन में भाषण दे रहे थे तो उन पर गोली चलाई गई। क्या वह फिर भी कह सकते हैं कि वह भारत के लिये देशद्रोही नहीं?

एक ओर तो वह भारत का समैक्य चाहते हैं और दूसरी ओर वह इस समैक्य को प्राप्त करने में प्रत्येक बाधा डाल रहे हैं। उसी मुंह कहते हैं कि जम्मू तथा काश्मीर भारत का भाग होना चाहिये और उसी मुंह यह नारा लगाते हैं कि "जम्मू को अलग करो"। यदि आप इस आन्दोलन का भली भांति पर्यवेक्षण करें तो आप को ज्ञात होगा कि इस की धारणा कुचेष्ट है, इस की कार्यान्विति भयानक है और इसका परिणाम आत्मघातक होगा॥

मैं दो और बातों पर कुछ कहना चाहता हूं। एक तो सरदार हुक्म सिंह का यह संशोधन है कि उत्तर भारत में एक पंजाबी भाषी प्रान्त होना चाहिये। इस विषय में मैं यही कहना चाहता हूं कि देश की भाषाओं सम्बन्धी नीति जो भी हो, मैं देश की संसक्ति के पक्ष में हूं। चार प्रान्त हैं जहा पंजाबी बोली जाती है और वह हैं पेप्सू, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली। आजकल हमें बड़े बड़े प्रान्तों की आवश्यकता है, विशेषकर जब हम पंचवर्षीय

योजना को कार्यान्वित करना चाहते हैं। हमें चाहिये कि हम अपने व्यय में बचत करें, बड़े बड़े प्रान्त बनायें और बीसों मंत्री, उपमंत्री आदि न रखें ताकि व्यय कम हो और प्रशासन भी ठीक चले। मेरा विचार है कि सरदार हुक्म सिंह भी यही चाहते हैं कि इन चारों प्रान्तों को एक बनाया जाये।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला भटिंडा): मुझे आप का सुझाव स्वीकार्य है।

श्री टेक चन्द: दूसरी बात पंचवर्षीय योजना की है। इस के बारे में बहुत ही कटु आलोचना की गई है परन्तु इस आलोचना में कोई रचनात्मक सुझाव नहीं था। मैं चाहता हूं कि वह लोग जिन्होंने योजना का मज़ाक उड़ाया है भाखरा-नांगल धाम पर जायें और वहां देखें कि क्या हो रहा है। फिर वह निराशावादी से आशावादी बन जायेंगे।

मैं प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं।

श्री सी० सी० शाह (गोहलवाड–पोरठ): राष्ट्रपति के अभिभाषण की आलोचना करते हुए कई सदस्यों ने कहा कि इस में बहुत ही आत्म सन्तोष की भावना है। मैं मानता हूं कि अभिभाषण आशावादपूर्ण है। यह ठीक है कि इस में देश में की गई प्रगति के बारे में संतोष प्रकट किया गया है और हमारे लिये आशा का सन्देश है। परन्तु यह कहना अनुचित है कि इस में किसी विषय के बारे में अत्याशावादी चित्रण किया गया है। यह बात ग़लत नहीं कि सर्वमुखी प्रगति हुई है। आज़कल यह एक फैशन बन गया है कि जनता में निराशा की भावना फैलाई जाये और यह कहा जाये कि अंग्रेज़ी राज अच्छा था और गत पांच वर्षों में कोई प्रगति नहीं हुई है। हम यह नहीं कहते कि बेकारी तथा दारिद्रय हटाया गया है। हमारे सामने अब मुख्यतः आर्थिक समस्यायें हैं और हम इन को हल करने के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं।

कई लोगों ने यह शिकायत की कि पंचवर्षीय योजना ने जनता में उत्साह उत्पन्न नहीं किया है। आप जनता में उत्साह कैसे पायेंगे जब कि आप में कोई श्रद्धा नहीं? केवल श्रद्धा से ही हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। और भी कई शिकायतें हो सकती हैं। उदाहरणतः सरकार की क्रिया में सुस्ती है, बहुत अयोग्यता है, भ्रष्टाचारण और अपव्यय हो रहा है। परन्तु यदि आप यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखें तो आप को ज्ञात होगा कि कई त्रुटियों के होते हुए भी हम प्रगति कर रहे हैं। हमारे विरोधियों को इस बात में रुचि है कि वह हम में एक निराशावादी मनोवृत्ति उत्पन्न करें परन्तु हमें सावधान रहना चाहिये कि हम उन की बातों में न आयें। हमें साहस से काम लेना होगा नहीं तो हम प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। राष्ट्रपति ने कई आंकड़े भी दिये हैं, यद्यपि उन का अभिभाषण केवल स्थिति का एक पुनर्विलोकन था प्रतिवेदन नहीं इन आंकड़ों से हमें यह पता चलता है कि हम औद्योगिक तथा आर्थिक प्रगति पर रहे हैं।

हमारी इस प्रगति को किस बात का खतरा है? सौराष्ट्र के हालात से आप को इस बात का पता चलेगा। आप देखेंगे कि वह अंश जो सौराष्ट्र में गड़बड़ फैला रहे हैं, सारे देश में हैं। प्रजा पार्टी के नेता ने सौराष्ट्र की स्थिति की ओर निर्देश करते हुए कहा कि वहां की सरकार गोली और लाठी के बल से चल रही है। परन्तु यह बात बिल्कुल ग़लत है। सौराष्ट्र में क्या स्थिति थी? अनुमान यह था कि वहां विक्रय-शुल्क के विरुद्ध जनता ने आन्दोलन आरम्भ किया है। परन्तु यह आन्दोलन साम्यवादियों का चलाया हुआ है, समाजवादियों, हिन्दू महासभा वालों और राष्ट्रीय सेवक संघियों का चलाया हुआ है। सौराष्ट्र की विधान सभा ने सितम्बर में विक्रय-शुल्क अधिनियम पारित किया।

[श्री सी० सी० शाह]

किसी ने इस का विरोध नहीं किया। राष्ट्रपति ने पहली नवम्बर को इस अधिनियम की अनुमति दी। फिर भी किसी ने विरोध नहीं किया।

यह अधिनियम पहली दिसम्बर से लागू होना था। और यह राजनैतिक दल, जिन को निर्वाचन में असफलता हुई इस खोज में होते हैं कि सरकार का विरोध करने के लिये कोई बहाना मिल जाये और अब उन को बिक्रय-शुल्क का बहाना मिला। आरम्भ में थोड़े से अधिवेशन बुलाये गये, एक जलूस निकाला गया और एक दिन के लिये हड़ताल हुआ। आन्दोलन जारी रहा, जनता की असन्तोष की भावना को उभड़ाया गया और आन्दोलन जोर पकड़ता गया। इन लोगों ने सोचा कि अब सभय है और एकदम आन्दोलन का रूप हिंसात्मक हो गया। हिंसा का दौर आरम्भ हुआ और इस को सत्याग्रह कहा गया। कानून का तोड़ना भी आरम्भ हुआ और लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा और लाठी-चार्ज भी करना पड़ा। तत्पश्चात् झूठ का एक ऐसा अभियान आरम्भ हुआ कि किसी भी मनुष्य को आश्चर्य होता है कि क्या किसी राजनैतिक दल का इतना पतन हो सकता है ?

मामूली सा लाठी-चार्ज हुआ और यह कहानियां फैलाई गईं कि २० नारियां घायल हो गईं और दो बच्चे मर गये। दुर्भाग्य से गोली चलने के कारण एक लड़का मारा गया और कहा यह गया कि पांच विद्यार्थी मारे गये। एक नारी को चार दिन कारागार में रखा गया और ११ जनवरी को छोड़ा गया। वह घर गई वहां बीमार हुई और २६ जनवरी को अस्पताल में मर गई और कहा यह गया कि यह नारी पहली दिसम्बर से विक्रय-शुल्क के विरुद्ध ५६ दिन का भूख-हड़ताल कर रही थी और उसी कारण मर गई। इस से पूर्व किसी समाचार पत्र ने या प्रजा परिषद् ने भी कभी यह नहीं कहा था कि यह नारी भूख-हड़ताल कर रही है। और फिर जो कुछ हुआ वह बहुत ही आश्चर्यजनक है। स्कुलों पर बलवा बोला गया, पुलिस की चौकियों पर आक्रमण हुये, पुलिस कर्मचारियों और कांग्रेस के सेवकों को पीटा गया, यहां तक कि सौराष्ट्र विधान-सभा के जो सदस्य भी बाहर जाते थे उनको भी पीटा जाता था। फिर भी सरकार ने बड़ी उदारचितता दिखाई। परन्तु जिन लोगों ने यह आन्दोलन आरम्भ किया था, वह सरकार की नर्मी से अनुचित लाभ उठाने लगे।

मैं ने यह सब बात इस लिये कहीं कि हमारे सामने एक खतरा है वह उन दलों का है जो निर्वाचन में पराजित हुये। हमें उन के बारे में सावधान रहना चाहिये क्योंकि वह किसी भी अवसर को हाथ से नहीं जाने देते। श्री चटर्जी ने जम्मू के आन्दोलन की ओर निर्देश किया। वहां भी जो दल इस आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे हैं वह हैं हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय सेवक संघ। और इस आन्दोलन को यह सत्याग्रह बतलाते हैं। श्री चटर्जी ने कहा कि वह लोग जम्मू का भारत के साथ एकीकरण चाहते हैं। कौन नहीं चाहता ? परन्तु हम कई बातों में वाग्बद्ध हैं। हम ने यह वचन दिया है कि कश्मीर की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्णय करेगी। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि यह आन्दोलन जम्मू तथा काश्मीर को भारत के निकट लाने के विपरीत भारत से दूर ही ले जा रहा है। इन शब्दों पर हमें गम्भीर तथा शान्त विचार करना चाहिये।

६ म० प०

मैं पूरे उत्तरदायित्व से यह कहता हूं कि जो लोग जम्मू के आन्दोलन को प्रोत्साहन

देते हैं उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं कि जम्मू की जनता पर क्या बीतती है। वह केवल भारत सरकार के विरुद्ध आन्दोलन फैलाना चाहते हैं। सौराष्ट्र में भी विक्रय-शुल्क केवल एक बहाना था। यही लोग अन्य स्थानों में अकाल को बहाना बना कर स्वार्थ के लिये इस का शोषण करते हैं। इन लोगों का स्वार्थ इसी में है कि कहीं कोई घटना हो या कोई स्थिति उत्पन्न हो जाये तो वह उस का शोषण करें। यही एक ख़तरा है जो हमारे प्रगति में बाधा डाल सकता है और हमें इस विषय में जागरुकता से काम लेना है।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने जो कुइट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था उस के ज़रिये अंग्रेज़ों को दूर भेज दिया और पांच सौ से ज्यादा रियासतों की समस्या को हल कर दिया। इस के बाद हमारा ऐन मकसद यह था कि हम अपनी जनता को शान्ति और सुख पहुंचायें। लेकिन अगर हम अपना रिज़ल्ट देखें तो मालूम होगा कि मुल्क में अशान्ति फैली हुई है और उस की तरदीद नहीं हो रही है। मैं हाउस का ज्यादा वक्त न लेते हुए अपने अमेंडमेंट पर कुछ कहना चाहता हूं। भाषावार प्रान्तों का वचन कांग्रेस ने लोगों को कदीम जमाने से दिया है। इस वक्त हम को दुख के साथ कहना पड़ता है कि मुल्क में कितनी बुरी हालत पैदा हो रही है और प्रजातन्त्र को कायम रखने के बुनियादी उसूल को ही हमारे नेतागण भूल रहे हैं। गवर्नमेंट को जनता की मर्जी से हकूमत करना चाहिये। भाषावार प्रान्त १२ या तेरह से ज्यादा नहीं होंगे और इस तरह से मुल्क का डिसइंटेग्रेशन नहीं हो सकता। हम पाकिस्तान की तरह आजाद प्रान्त नहीं चाहते। लेकिन हम चाहते हैं कि भाषावार प्रान्त के तरीक़े से हिन्दुस्तान का बटवारा ज़रूर हो जाय। इस की ज्यादातर ज़रूरत साउथ इंडिया में है।

मैं स्वागत करता हूं और मुझे खुशी है कि आंध्र स्टेट को तो इंडिया गवर्नमेंट ने मान लिया और श्री वांचू को अपोइंट कर के रिपोर्ट भी पेश हो गई है। लेकिन साथ ही साथ यह अपवाद ज़रूर है कि दूसरा एक और प्राविंस करनाटक नहीं बना है जिस को कि आसानी और सुलभता से बनाया जा सकता है। यह प्राविंस पांच प्राविंसेज़ में तक़सीम हो गया है। इकानामिकली और लिंग्विस्टिकली वे सब हर प्रान्त के इस करनाटक प्रान्त में मिलना चाहते हैं जो कि कन्नड़ भाषा बोलने वाले हैं। मैं अभी इस की ज़्यादातर तफ़सील में नहीं जाता। आप ने अभी सिर्फ़ आन्ध्र स्टेट को दिया है, उस का हम स्वागत करते हैं। यह बहुत खुशी की बात है। लेकिन करनाटक के लिये भी अगर आप यह चाहते हैं कि श्री रामुलू जैसे व्यक्ति पैदा हों और वहां पर भी मूवमेंट के जैसा स्वरूप आये तो यह बदक़िस्मती है, क्योंकि आप अखबारों से या दीगर तरीके से जान गये होंगे कि करनाटक में भी मूवमेंट शुरू हो गया है। इस हाउस में ही कांग्रेस के वह नुमायन्दे जो करनाटक के नुमाइन्दे हैं उन से ही पूछिये कि लोगों का तकाज़ा क्या है। आप इस को कम्युनल या हिन्दुस्तान की बहबूदी के ख़िलाफ़ नहीं कह सकते। जो इस लिंग्विस्टिक प्राविन्स के लिये कहते हैं कि यह हिन्दुस्तान के कल्चर और बहबूदी के ख़िलाफ़ है वह इस को ठीक तरीक़े से नहीं समझ रहे हैं। आज जो कांग्रेस की तरफ़ से चुन कर आये हुए ऐम० पी० हैं और जो आप के सामने ही बैठे हुए हैं, श्री टी० आर० नैसवी, वह सात दिन का उपवास कर के आये हैं और दूसरे एक ऐम० ऐल० ऐज़० देड़मेटी और वी० वी० पाटिल १४ दिन का उपवास कर चुके हैं। तो यह मूवमेंट शुरू हो गया है और आप अगर इस स्वरूप को ठीक तरह से हैंडल नहीं करेंगे और करनाटक प्रान्त को नहीं देंगे तो यह मूवमेंट ज़रूर हो कर ही रहेगा। जनता जो चाहती

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

है वह अपना मक़सद हल करने के लिये ज़रूर कांस्टीट्यूशनल फाइट शुरू करेगी।

यह अफसोस की बात है कि करनाटक की तरफ से जो के० पी० सी० सी० के उपाध्यक्ष हैं और पार्लियामेंट के मेम्बर हैं और जो आप के सामने बैठे हुए हैं, वह भी इस के पक्ष में हैं, फिर भी इस के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं यह इसलिये बताना चाहता था कि जब कभी हम विरोधी पक्ष के लोग इस बारे में बोलते हैं तो कहा जाता है कि यह जनता को रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि अपवाद स्वरूप करनाटक की मांग करते हैं। आप याद रखिये कि यदि आप आन्ध्र के साथ ही करनाटक नहीं बनायेंगे तो जन मत के आगे ठहर नहीं सकेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि हैदराबाद का डिसइन्टेग्रेशन करने में, उस को तक़सीम करने में क्यों हिचकिचाया जाता है। क्या आप वहां के लोगों की आवाज नहीं सुनेंगे ? क्या आप जानते नहीं हैं कि जनता हैदराबाद की डिसइन्टेग्रेशन चाहती है ? अगर आप हैदराबाद की डिसइन्टेग्रेशन समस्या को हल नहीं करेंगे तो कांग्रेस को हैदराबाद की स्वायल से हट जाना होगा, दूर हो जाना होगा। और कांग्रेस गवर्नमेंट को, सेन्ट्रल गवर्नमेंट को जनता की हमदर्दी से दूर हो जाना होगा। हैदराबाद की प्रोबलेम को अलग तरीके से नहीं सोचना चाहिये, इस को पीपुल्स प्राबलेम की तरह से देखना चाहिये। अगर इस को आप टालते जायेंगे तो साउथ इंडिया के लोग जो आज तक आप के बल पर रुके रहे जो आप के ऊपर अब तक विश्वास करते रहे, वह अब ज्यादा रुकने वाले नहीं हैं। आप जल्दी से जल्दी एक बाउन्डरी कमीशन भाषावार प्रान्त के सम्बन्ध में कायम करें। दक्षिण भारत में जो आन्दोलन चल रहा है उस की ओर आप को ध्यान देना चाहिये और जो करनाटक प्रान्त की डिमान्ड है उस को आप तुरन्त हाथ में लें। मैं कह सकता हूं कि यह आर्थिक दृष्टि से स्वयं पूर्ण होगा। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा न कहता हुआ आप से सिर्फ एक अपील करना चाहता हूं। और वह अपील यह है कि आप अपनी पालिसी का साफ तौर पर एलान कर दीजिये कि हमारी पार्लियामेन्ट का यह उन्वान होगा या नहीं कि भारत में भाषावार प्रान्त बनाये जायें। जिस तरह उत्तर हिन्दुस्तान में पंजाबी बोलने वाला पंजाबी प्रान्त है, बंगाली बोलने वाला प्रान्त बंगाल है और उत्तर प्रदेश हिन्दी बोलने वालों का अलग प्रान्त है, लेकिन दक्षिण भारत में बृटिशों ने अपने नुक्ते नज़र से तोड़ तोड़ कर कई हेट्रोजिनअस प्राविन्सेज़ बनाये हैं। आपको उन प्राविन्सेज़ को तोड़ कर होमोजिनिअस प्रान्त बनाना चाहिये। अगर आप भारत को खंड खंड होने से बचाना चाहते हैं, भारत की अखंडता को कायम रखना चाहते हैं तो जनता के नुक्ते नज़र से प्रान्तों को बनायें। अगर आप प्राविन्सेज़ को आर्थिक दृष्टि से स्वयं पूर्ण देखना चाहते हैं तो इस के यह माने नहीं हैं कि आप लिंग्विस्टिक प्राविन्सेज़ को मुखालिफत की दृष्टि से देखें। आप को इस प्रश्न को जनता के नुक्ते नज़र से देखना चाहिये। आप आन्ध्र प्रान्त को तो पहले से ही बनाना चाहते थे लेकिन श्री रामुलू की डेथ हमेशा के लिये कांग्रेस हुकूमत पर धब्बा है। अगर आप इस धब्बे को दूर करना चाहते हैं तो दूसरे प्रान्तों के लिये भी आप को विचार करना चाहिये और दूसरे प्रान्तों के साथ न्याय के तरीके से व्यवहार कीजिये। यही न्यायोचित होगा। लिहाज़ा मैं इतनी ही पुरज़ोर अपील करना चाहता हूं कि फौरन आप वांचू रिपोर्ट को बिना देखे एक बाउन्डरी कमीशन बैठाइये जो तमाम सवालों में जाये और बाउन्डरी कमीशन के सामने जो लोग रिप्रैज़ेन्टेशन करें उस को ध्यान में रख कर काम किया जाय। मैं यह नहीं चाहता कि

सिर्फ लिंग्विस्टिक बात का ही ख्याल किया जाय। ऐकोनामी का भी पूर्ण ध्यान रखना होगा कि हमारे प्रान्त स्वयं पूर्ण होते हैं या नहीं।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर]

बृटिशों ने जो दक्षिण भारत के टुकड़े बनाये और उनमें से हर एक को प्रान्त का नाम दे कर प्राविन्सेज़ कायम किये उन को तोड़ते हुए फौरन ही करनाटिक, महाराष्ट्र और गुजरात प्रान्त बनाये जायें। आप के कांग्रेस के लोग भी इस के लिये कहते हैं, गुजरात कांग्रेस कहती है, महाराष्ट्र काग्रेस कहती है, और आन्ध्र कांग्रेस कहती है। अगर आप इस तरह से करेंगे और उस के बाद आप जनता की ज़बान में जो कुछ हुकूमत करेंगे, जो कुछ प्रचार करेंगे, उस में आसानी होगी। आप का फाइव इअर प्लान भी इसी तरह से जनता तक पहुंचने में ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। इस के बिना आप को जनता की सहानुभूति मिलने वाली नहीं है।

इस के बाद मैं पंचवर्षीय योजना के बारे में ज्यादा न कह कर इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रपति माननीय राजेन्द्र प्रसाद ने जो यह बात कही है कि देश में बहुत एन्थुजिआज्म पैदा हो गया है, जोश पैदा हो गया है, वह जोश मैं तो ज्यादा पाता नहीं क्योंकि उस का जनता तक पहुंचने के लिये कोई मैशिनरी आप के पास तैयार नहीं है। अगर हम उस को फौरन सारी पार्टियों की मदद से तैयार करें तो हम जरूर जनता तक पहुंच सकते हैं। आज जनता में तो तमाम दुख फैला हुआ है उन को दूर करने वाले अफसर भी हमारे पास नहीं हैं। मामूली अफसर से ले कर मुल्क के चन्द मिनिस्टरों तक में करप्शन फैला हुआ है। पहले उस को दूर करना ज़रूरी है।

जहां तक हमारी फारेन पालिसी का सवाल है, वह ठीक है, मैं उससे सहमत हूं और उस को सपोर्ट करता हूं। न हम ऐंग्लो अमेरिकन ब्लाक में रहें न हम रशयन ब्लाक में मिलें। हमारा अमल इस तरह का रहे कि हम न्यूट्रल माने जायें। लेकिन न्यूट्रल रहते हुए भी अगर हम कर्ज़े या दूसरी सहायता एक ही ब्लाक से लेते रहे तो प्रेशर जरूर आता है। लिहाज़ा हमें उस को भी ध्यान में रखना चाहिये। हमें मुल्क को कर्ज़े के लिये दूसरों को मार्टिगेज नहीं करना चाहिये। हम को चाहिये कि हम अपनी प्लान को अपने मुल्क के ही रिसोर्सेज़ से सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करें। जो उसूल हम को महात्मा गांधी ने बताये हैं उन उसूलों की तहत में ही हम अपने सेन्टर्स को प्रारम्भ करें तो यह प्लान ज्यादा एफेक्टिव होगा। जो कम्युनिटी प्राजैक्ट आज तमाम मुल्क में चलने वाले हैं उन को छोड़ कर हम को ग्राम सुधार और महात्मा गांधी के बताये हुए सुधार के नियमों पर केन्द्रों को खोलना चाहिये। तभी हम में जोश पैदा होगा। गांधी जी के नाम से जो जोश लोगों के दिलों में पैदा हो सकता है उस बात को हम ने छोड़ दिया है। कम्युनिटी प्राजेक्टस तो अमेरिकन इन्स्परेशन है, उन को अमल में लाने से पैसा बहुत ज्यादा बरबाद होगा। हम लोग आज महात्मा गांधी के उसूलों से दूर होते जारहे हैं। उन उसूलों के करीब आ कर हम अपने कार्य में ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो उसूल हमारे लिये महात्मा गांधी ने रक्खे हैं उन उसूलों पर अपना कदम रख कर ही हम को मुल्क का उद्धार करना है।

इतनी ही मेरी प्रार्थना है-और मैं फिर अपील करना चाहता हूं कि करनाटक प्रान्त के लिये तुरन्त एक बाउन्डरी कमीशन बनाना चाहिये जब तक यह काम नहीं होता है तब तक लोगों में बड़ी बेचनी फैली रहती है। जो लोग इस को टालना चाहते हैं वह नहीं जानते हैं कि कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो कि जनता की

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

मांग को टाल सके। जो लोग देरी करना चाहते हैं वह भूल कर रहे हैं। अब अवसर आ गया है कि हम इस ओर ध्यान दें। मैं फिर प्रार्थना करता हूं कि करनाटक, महाराष्ट्र और गुजरात प्रान्त को शीघ्र से शीघ्र बनाया जाय।

इतना कहते हुए और माननीय उपाध्यक्ष महोदय का आभार मान कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापत्तनम्) : मेरे माननीय मित्र, श्री शिवमूर्ति स्वामी ने भाषावार प्रान्तों के बारे में अपने भाषण में बहुत कुछ कहा और कार्यक्रम सूची में जो मेरे नाम तीन संशोधन हैं उन में से एक इसी विषय से सम्बन्ध रखता है। मैं उन के तर्क दोहराना नहीं चाहता परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस स्थिति की गम्भीरता को नहीं समझती है और एक ऐसी नीति चलाती है जिस से विन्ध्य पर्वतों के दक्षिण में एक भाषायी वर्ग और दूसरे भाषायी वर्ग के बीच गड़बड़ उत्पन्न होती है। मैं भाषाओं के आधार पर देश का पुनर्विभाजन करने का दृढ़ समर्थन करता हूं और मेरी दृढ़ धारणा यह है कि इस समस्या का निर्णय स्थगित करने से इस महान देश की एकता और भविष्य को ठेस पहुंचेगी। मैं अपने माननीय मित्र गृह मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या श्री मुन्शी ने निज़ाम हैदराबाद को, जो कि अब वहां के राजप्रमुख हैं, कोई गुप्त आश्वासन दिलाया है? यह दावा करने पर भी कि प्रत्येक बात हैदराबाद की संविधान सभा पर छोड़ी जायेगी सरकार इस सभा की इतनी सहायता न कर सकी है कि वह कुछ उचित विनिश्चय कर सके। मुझे यह संशय है कि इस में कोई रहस्य है और वर्तमान सत्ताधारी दल के कुछ व्यक्तियों को उच्च पदों पर स्थिर रखने के हेतु इस महान देश का भविष्य खतरे में डाला जा रहा है। मुझे पूरी आशा है कि अब सरकार आंध्र राज्य स्थापित करने में विलम्ब नहीं करेगी क्योंकि उस से देश की स्वतन्त्रता को हानि पहुंचने का डर है।

अब मैं अन्य दो संशोधनों पर बोलना चाहता हूं। मेरे माननीय मित्र श्री रघुरामय्या ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में शान्ति की झलक थी। ठीक है, मैं यह बात मानता हूं। यह शान्ति की झलक सारे अभिभाषण में दृष्टमान है। अभिभाषण की २५ वीं कंडिका में राष्ट्रपति ने बताया है कि विशाखापत्तनम में स्थित हिन्दुस्तान नौ-प्रांगण की योग्यता बढ़ाने के लिये उपाय किये जा रहे हैं। मैं विशाखापत्तनम का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि विशाखापत्तनम नौ-प्रांगण के बारे में राष्ट्रपति के मन्त्रणादाताओं ने उन से सच्चाई छिपा रखी है और ऐसा करने से वह बहुत हानि पहुंचा रहे हैं। अब एक वर्ष से सरकार ने इस नौ-प्रांगण को अपने हाथ में लिया है। परन्तु हुआ क्या है? योजना आयोग ने नौ-प्रांगण के आधुनिकीकरण के लिये १४ करोड़ रुपया रखा है। मेरे पास आंकड़े हैं कि १९४६ से अब तक १,००० पर करोड़ से अधिक रुपय अनाज का आयात करने व्यय हुए हैं और इस में से १५० करोड़ रुपये विदेशी जहाज़ों में अनाज लाने पर व्यय हुये हैं। यदि मुझे १५० करोड़ रुपये दिये जायें तो मैं विशाखापत्तनम नौ-प्रांगण जैसे चालीस बना लूंगा। यदि जहाज़ों में अनाज का यातायात करने पर व्यय किये गये धन में से कुछ भाग से जहाज़ विक्रय किये जाते तो १५० करोड़ रुपये के हमें २५० जहाज़ मिलते। आगे भी हमें पहली अप्रैल से लेकर योजना की कालावधि में ९० लाख टन अनाज आयात करना है और हमारे पास इस के लिये जहाज़ नहीं हैं।

राष्ट्रपति के मन्त्रणादाताओं ने अभिभाषण में यह बात रखी है कि नौ-प्रांगण

की योग्यता बढ़ाने के उपाय किये जा रहे हैं। परन्तु मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि २८ सितम्बर से प्रवीण तथा अप्रवीण श्रमिकों में से ४५ से ५२ प्रतिशत बेकार बैठे हुये हैं और छंटनी होने का डर है। मैं यह बात निजी ज्ञान के आधार पर कहता हूं क्योंकि मैं श्रमिक संघ का प्रधान हूं।

जहां तक खाद्य स्थिति का सम्बन्ध है, १९४६ से लगभग १,००० करोड़ रुपये का अनाज आयात हुआ है और अप्रैल १९५६ तक और चार या पांच सौ करोड़ रुपये खाद्य के आयात पर व्यय होने हैं। प्रश्न यह उठता है कि इस विषय में भारत सरकार की नीति क्या है? राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में चीनी, कपास तथा पटसन के उत्पादन के आंकड़े बताये। इन आंकड़ों से ज्ञात होता है कि विदेशी चलार्थ प्राप्त करने के लिये हम वाणिज्यिक तथा नकद दाम लाने वाली फसलें उगाते हैं। परन्तु इस के हमें महंगे दाम देने पड़ते हैं, अर्थात् हमारे अनाज उत्पादन में वृद्धि नहीं होती। मैं गम्भीरता से कहता हूं कि इस का कारण यही हो सकता है कि सत्ताधारी दल अपने ताल्लुकेदार अनुयायियों से निपट नहीं सकते और इसी कारण अनाज के स्थान पर वाणिज्यिक फसलें उगाई जाती हैं। कारण यह है कि सत्ताधारी दल के समर्थक किसी ऐसी विधि का समर्थन नहीं करेंगे जो प्रतिबन्धक हो और जो उन के धन लाभ की प्राप्यता में कमी करे। मैं सदन से यह कहना चाहता हूं कि देश अनाज के बारे में आत्म-निर्भर होने के लिये चार वर्ष तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। नकद दाम प्राप्त करने वाली फसलें जिन से हम डालर भी कमा सकें देश को बरबादी से नहीं बचा सकेंगी।

अब रहा मेरा तीसरा संशोधन जो विदेशी नीति के बारे में है। मुझे श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित का विदेशी नीति सम्बन्धी भाषण सुनने में बड़ी प्रसन्नता हुई। परन्तु मैं उन की कही एक बात पर बोलना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि इस में हमारे लिये कोई लज्जा की बात नहीं कि शान्ति स्थापित करने के विषय में हमारे प्रयत्न सफल न रहे। परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारी विदेशी नीति का आधार क्या है? हम राष्ट्र-मंडल के सदस्य हैं, हम मलका को मानते हैं। आर्थिक रूप में हम पौंड के अधीन हैं। हमारी प्रतिरक्षा व्यवस्था ब्रिटेन की व्यवस्था का अंग है। शीघ्र ही हम अपने प्रतिनिधियों को अभिषेक समारोह के लिये ही नहीं अपितु राष्ट्रमंडलीय प्रतिरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिये भी भेज रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा देश तटस्थ रहे। परन्तु क्या हमारी विदेशी नीति में पक्षभागिता नहीं? क्या हम वास्तव में तटस्थ हैं? हम संसार को यह दृढ़ विश्वास नहीं दिला सकते कि हम निष्पक्ष हैं। हमें अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिये। मैं मानता हूं कि हम ने एक दो बार निष्पक्षता की नीति अपनायी है, उदाहरणतः, हम ने जापान के साथ सन्धि के बारे में ठीक नीति अपनायी। कोरिया के विषय में भी हम ने कुछ प्रयत्न किया जो निष्फल रहा। परन्तु मलाया तथा हिन्द-चीनी में जारी युद्ध के बारे में हमारी क्या नीति रही है? श्रीलंका निवासी भारतीयों के लिये हम ने क्या किया है? वास्तव में हम आर्थिक तथा राजनैतिक मामलों में एक विश्व गुट्ट पर निर्भर हैं। मैं यह नहीं कहता कि हम दूसरे गुट्ट की ओर रुखकरें। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी विदेशी नीति निष्पक्षता की नीति नहीं।

अन्त में मैं यह प्रार्थना करता हूं कि मेरे तीन संशोधन पर मत लिये जायें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं दो तीन दिन से जो बहस सुनता रहा हूं तो मुझ को

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

ताज्जुब होता है कि यह जो बहस इतने ज़ोर शोर से प्रैसीडेंट साहब के भाषण पर हो रही है उस में प्रैसीडेंट साहब ने कौन सी ऐसी बात कह दी है कि जिस की वजह से इतनी हुज्जत की जाती है । जब मैं श्री हीरेन मुकर्जी की स्पीच सुनता हूं तो वह फरमाते हैं कि प्रैसीडेंट साहब ने ठीक नहीं कहा जो उन्हों ने अपने ऐड्रैस में फरमाया वह ठीक नहीं है । अगर मैं श्री शिवमूर्ति स्वामी को सुनता हूं तो वह भी नाराज़ हैं । अगर मिस्टर नम्बियार की स्पीच सुनता तो वह भी नाराज़ हैं । क्यों नाराज़ हैं ? क्या ग़लती हमारे प्रैसीडेंट साहब ने कर दी कि जिसकी वजह से लोग इतनी हुज्जत करते हैं ? अगर आप सच्चे दिल से पूछिये तो मैं कहने के लिये तैयार हूं कि यह ऐड्रैस जो प्रैसीडेंट साहब ने दिया है वह हरफ़ व हरफ़ सचाई पर निर्भर है । इस में कोई एक भी बात नहीं कही गई है जो गलत हो या किसी बात को छिपाया गया हो । जब प्रैसीडेंट साहब फरमाते हैं कि दुनिया में शान्ति नहीं है और हमारी कोशिश शान्ति के लिये है और हम देखते हैं कि दुनिया के पोलिटिशिन्यस जिस तरह बातें करते हैं उस से अन्देशा है कि लड़ाई बढ़ जायेगी और हम ग्रेव कनसर्न से इन सब अमूर को देखते हैं, तो मैं सोचता हूं कि प्रैसीडेंट साहब ने कौन सी गलत बात कही। जहां तक सही जबान के इस्तेमाल का सवाल है और जहां तक किसी बात की संजीदगी और सच्चाई से कहने का ताल्लुक है, वहां वह बहुत सही तरीके से जबान का इस्तेमाल करते हैं । हमारे प्रैसीडेंट यह नहीं कर सकते कि हम फौरन वार डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि यू० एस० ए० प्रैसीडेंट ने ऐसा कहा है। वह यह भी नहीं कह सकते कि हम रशिया से झगड़ते हैं, क्योंकि रशिया यह कहता है। यह इंडिया की आदत नहीं है । मैं निहायत अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि ऐड्रैस में वह सब चीज़ें मौजूद हैं कि जिन के वास्ते मेरे दोस्त इतनी जबरदस्त बातें करते रहे हैं । यह हर तरह से जस्टीफाइड ऐड्रैस है। मेरे दोस्तों ने लिंग्विस्टिक प्राविन्सेज़ के बारे में फरमाया तो मैं कहने के लिये तैयार हूं कि जहां पर आन्ध्र का जिक्र है वहां हमारे प्रैसीडेंट साहब ने जिस लहजे और जिस ज़बान में इस को अदा किया है वह यह है कि और जगह नाउम्मेदी होने की बात नहीं है। लेकिन वह यह चाहते हैं कि उसके पहले फाइनेन्शियल डिफिकल्टीज़, ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज़ और और तरह की जो मुश्किलात हैं वह सब की सब अबूर हो जायें । क्या मेरे दोस्त चाहते हैं कि लिंग्विस्टिक प्राविन्सेज़ के फार्मेशन में इन चीजों को नज़र अन्दाज कर के एक ऐसा कदम उठाया जाए कि जिससे देश में अबतरी फैल जाये ? मैं नहीं समझता कि वह ऐसा चाहते हैं। तो मैं हैरान होता हूं कि इस एड्रैस में क्या बात थी कि जिस के लिये बार बार अमेंडमेंट पेश की जाती है । श्री नम्बियार साहब ने फरमाया कि प्रैसीडेंट साहब ने यह फरमाया कि प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन हैंडलूम इंडस्ट्री को काफी तवज्जह नहीं दी गई। हैंडलूम इंडस्ट्री में हालत ऐसी है कि लोग एम्प्लायड नहीं हैं । लेकिन हमारे दोस्त अगर मुलाहजा फरमायें तो इस ऐड्रैस में हमारे प्रैसीडेंट साहब ने भी कहा है कि गो कि पैदावार इतनी हुई, लेकिन जहां तक हैंडलूम का सवाल है वहां पर पोजीशन ऐसी है कि जो अफसोसनाक है । मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस के बारे में ऐतराज हो । मेरे दोस्तों ने जो शिकायत की है अगर वह उस का जवाब चाहें तो उन को इसी ऐड्रैस में सही माने में मिल जायेगा । कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस का जवाब इस ऐड्रैस में मौजूद न हो । इस वास्ते मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह ऐड्रस ऐसा है कि जिस

को अगर इन्साफ से देखा जाय तो किसी पार्टी को और किसी मैम्बर को ऐतराज़ नहीं होना चाहिये।

लेकिन जब मैं यह कहता हूं तो मैं जनाब की खिदमत में निहायत अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह नहीं मानना चाहिये कि इस ऐड्रैस में सारी बातों की पोजीशन साफ कर दी गई है जिस से कि हर मैम्बर मुतमईन हो जायें। मैं तो यह अर्ज़ करूंगा कि कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो दर्ज नहीं हैं। इस के अन्दर कई चीज़ें इस तरह से दर्ज हैं कि जिस तरह से और लोग चाहते हैं उस तरह से नहीं हैं। आप की इजाज़त से मैं चन्द बातें अर्ज़ करना चाहता हूं जो कि इस में दर्ज नहीं हैं। पहला सवाल जिस के बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह डिस्प्लेस्ड परसन्स के कम्पेंसेशन के बारे में है। मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस में कोई शक नहीं कि हमारी गवर्नमेंट ने डिसप्लेस्ड परसन्स के बारे में जो शानदार काम किया वह इसी गवर्नगेंट का हिस्सा था। इस काम के बारे में दुनिया की कोई गवर्नमेंट हमारे मुकाबले में अपना सिर ऊंचा नहीं कर सकती।

जब हम अपनी हिस्ट्री की तरफ देखते हैं तो कहते हैं कि किसी गवर्नमेंट ने ऐसा शानदार काम कभी रिफ्यूजीज़ के लिये नहीं किया, मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि मुझे यह सुन कर हैरानी होती है कि जब हम अखबार में देखते हैं तो फाइनेन्स मिनिस्ट्री कहती है कि हमारा कोई कमिटमेन्ट कम्पेन्सेशन के वास्ते नहीं है यह कतई गलत है। कम्पेन्सेशन का कमिटमेन्ट या किसी आनरेबल मिनिस्टर का स्टेटमेंट अगर कोई मानी रखता है तो डिस्प्लेस्ड परसन्स के हाथ में ऐसा हथियार मौजूद है कि वह अपनी गवर्नमेंट की खिदमत में जा कर ज़ोर से अर्ज़ कर सकते हैं कि उन को कम्पेन्सेशन दिया जाय। मैं निहायत अदब से पूछना चाहता हूं कि इस गवर्नमेंट ने एक अरब ४६ करोड़ रुपया डिस्प्लेस्ड परसन्स के वास्ते खर्च कर दिया जिस में से ६६ करोड़ खर्च किया गया रिलीफ के वास्ते और ८० करोड़ खर्च किया गया मकानात और लोन्स के वास्ते तो क्या इस के वास्ते उन की कोई जिम्मेदारी थी? कानून की रू से हमारी गवर्नमेंट कहती है कि इवैक्वी प्रापर्टी के पूल में से रुपया दे दिया जाये? कौन सा ऐसा इनटर्नेशनल कानून है? कोई ऐसा कानून नहीं है। लेकिन बावजूद इस के कि हमारी गवर्नमेंट ने यह कमिटमेन्ट किया कि इवैक्वी प्रापर्टी के पूल में से गवर्नमेंट देगी।

में जनाब वाला की खिदमत में अर्ज़ करता हूं कि श्री गोपालस्वामी आयंगर ने ही नहीं बल्कि श्री अजीत प्रसाद जी ने भी इस बार हम को यकीन दिलाया कि दर अस्ल यही तीन सोसज़ हैं जिनसे कम्पेन्सेशन दिया जायगा:

(क) भारत में निष्क्राम्य सम्पत्ति,

(ख) पाकिस्तान से वसूलियां,

(ग) सरकार की ओर से अंशदान।

इस के अलावा मुझे याद है कि श्री अचिन्त राम जी के एक सवाल पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाउस में फरमाया था कि गवर्नमेंट कम्पेन्सेशन देगी जितना दे सकेगी। यह अलग चीज़ है कि हमारी फाइनेन्शियल कंडीशन कितना देने की इज़ाजत देती है। लेकिन चन्द बरस के बाद, हम को यकीन दिला कर मिनिस्टर के बाद मिनिस्टर के इकरार करने के बाद भी कह देना कि गवर्नमेंट का कमिटमेन्ट नहीं है, यह दुरुस्त नहीं है। कभी मिनिस्ट्री को ऐसा नहीं कहना चाहिये। मैं नहीं जानता कि किस बेसिस पर यह बात कही जाती है जब कि श्री गोपालस्वामी आयंगर ने सब के सामने स्पीच दी। जिस वक्त सरदार हुक्म सिंह ने रिजोल्यूशन पेश किया और मैं ने उस

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

पर एमेंडमट पेश किया, उस वक्त भी श्री गोपालस्वामी आयंगर ने जो बात यहां पर कही थी वह मैं ने दोहराई थी । जब श्री गोपालस्वामी आयंगर हाउस में मौजूद थे उन्हों ने कभी नहीं कहा कि हम ने कम्पेन्सेशन का वादा नहीं किया । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस के बारे में गवर्नमेंट को थोड़ी फैयाज़ी से काम लेना चाहिये । जिस गवर्नमेन्ट ने इतना लम्बा चौड़ा खर्च किया, जिस गवर्नमेन्ट ने इतनी आसाइश और आराम डिस्प्लेस्ड परसन्स को पहुंचाया, मैं जानता हूं कि उन दिनों में हमारे श्री नेहरू जी और पटेल साहब का क्या हाल था वह पांच पांच सौ आदमियों से रोज़ मुलाकात करते थे । उस कड़े वक्त में श्री नेहरू जी ने हमारे लिये यह उसूल रक्खा है कि किसी डिस्प्लेस्ड परसन को किसी जगह से नहीं निकाला जायगा जब तक उस को आल्टर्नेटिव ऐकोमोडेशन नहीं दी जायेगी । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो ८० करोड़ रुपया मकानात व कर्जे की शकल में दिया जा चुका है उस के साथ कोई ऐसी रकम मिला दी जाय जो गवर्नमेन्ट की प्रेस्टिज के कनसिस्टेन्ट हो और माकूल रिलीफ भी पहुंच सके' बतौर मुआवज़ा दी जावे । जब तक हम कम्पेन्शेसन के सवाल को तय नहीं करेंगे उस वक्त तक हिन्दुस्तान की सोल को डिस्प्लेस्ड परसन्स की सोल को शान्ति नहीं होगी, और ऐसा करना हमारा फर्ज है। उन लोगों की कब्रों पर हमने आज़ादी हासिल की है । यह लोग अपना सब कुछ मिटा कर यहां चले आये, एक आदमी का दस बीस हज़ार रुपये का नुक्सान हो जाये तो उस को नींद नहीं आती, इन लोगों ने तो जाय-दाद माल सब कुछ तबाह करा दिया । अब इन लोगों से पांच बरस के बाद आप को ऐसा कहने का कोई हक नहीं है । यह बिल्कुल नाजायज़ है और हमारी आनरेबल गवर्नमेन्ट के शान में नहीं है ।

मैं अर्ज़ करूंगा कि इस बारे में गवर्नमेंट कैबिनेट डिसीजन करे और फिर इस मामले को तय करे कि उनको कम्पेन्सेशन दिया जाये।

दूसरी बात जिस के बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह पंजाबी स्पीकिंग प्राविन्स के बारे में है । जब यह मामला आया तो हमारे मोहतरम दोस्त सरदार हुक्म सिंह ने एक एमेन्डमेंट पेश किया । मैं इस के बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता । लिंग्विस्टिक प्राविन्सेज का मैं असूलन विरोधी नहीं हूं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान में लिंग्विस्टिक प्राविन्सेज़ का जल्दी में बनाना बड़ी भारी गल्ती होगी । हम को सब से पहले अपने डिफेंस को देखना चाहिये । मैं जिस इलाके का रहने वाला हूं वहां पर, जनाब वाला, जब सन् १८५७ में गदर हुआ तो उस वक्त सज़ा के तौर पर हिसार, गुड़गांवा रोहतक और कर्नाल को यू० पी० से निकाल कर पंजाब में दाखिल कर दिया गया । यह सिर्फ सज़ा देने की खातिर हुआ था । उस के बाद इस इलाके के साथ जो सुलूक हुआ उस की दुखदायी कहानी बहुत लम्बी चौड़ी है । उस पर जितने ज़ुल्म हुए उस की इन्तहा नहीं क्योंकि यह हिन्दू इलाका था और पंजाब से अलग था । हमारे साथ सौतेली मां का सा व्यवहार हुआ । जब यहां कैबिनेट मिशन आया तो हम ने झगड़ा किया कि अम्बाला, मेरठ डिवीजन्स देहली और हमारे चार जिलों को मिला कर एक प्राविन्स बना दिया जाय, लेकिन उस के फौरन बाद पंजाब का पार्टीशन हो गया । पार्टीशन के बाद हम ने कभी यह आवाज़ नहीं उठाई कि हमारे चार ज़िलों को पंजाब से अलग कर दिया जाय । मैं जानता हूं कि यह प्रैक्टिकल पालिटिक्स नहीं ह, इस के अलावा यह चीज बिल्कुल ऐसी है जो कौमी मफाद के खिलाफ है । हम पंजाब के साथ रहे हैं, मैं जानता हूं कि हम पंजाबी स्पीकिंग नहीं हैं और माइनारिटी में हैं, लेकिन फिर भी हम इस की परवाह नहीं करते । यह नैशनल

इन्टरेस्ट में नहीं है कि हम मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर डालें। आज जब मैं पंजाबी स्पीकिंग प्राविन्स की बात सुनता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या चीज़ है उन के दिमाग में, मास्टर तारा सिंह के दिमाग़ में क्या चीज़ है। वह चाहते हैं कि ज़िला हिसार, गुड़गांवा और रोहतक को यहां से निकाल दिया जाय और पंजाबी स्पीकिंग प्राविन्स बना लिया जाय। मैं निहायत अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह सारी स्कीम ग़लत उसूल पर बेस्ड है और अननैशनल है। इसलिये मैं इस तजवीज़ की सख्त मुखालिफत करता हूं और वह हर्गिज़ नहीं होना चाहिये।

आज मैं ने श्री ऐन० सी० चटर्जी की तकरीर सुनी जो काश्मीर के वास्ते फंडामेंटल राइट्स का ज़िक्र करते हैं। यहां पर एक गवर्नमेन्ट के मातहत रहते हुए, एक मुल्क के मातहत रहते हुए इस तरह की टेन्डेन्सी का इजहार करना इस बात को बताता है कि हम चाहते हैं कि इस देश में इस बात को ले कर और छोटे छोटे टुकड़े हो जायें। मेरा यह कहना है कि इस बारे में जो भी तजवीज़ रक्खी जाये जिस से देश में झगड़े बढ़ें उस को किसी भी तरह से चलने नहीं देना चाहिये।

मैं जनाब की इजाज़त से दो तीन बातें और अर्ज़ करना चाहता हूं। अव्वल तो मैं कंट्रोल के बारे में कुछ थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहता हूं। जनाब वाला, मैं ने एलेक्शन टूर किया और अभी मैं अपनी कान्स्टिटुएन्सी में घूम कर आया हूं। मैं ने सिवा इस के और कोई शिकायत नहीं सुनी कि पब्लिक कांग्रेस गवर्नमेंट के सामने बेजारी से हाथ जोड़ती है जो एक गांव से दूसरे गांव को पांच सेर अनाज ले जाने की इजाज़त नहीं देती। घासेड़ा ग्राम में गुड़गांवा से कुछ दूर पर लोग रहते हैं। वह कहते हैं कि हम पंजाब में रहते हैं लेकिन हम अपने गांव में पांच सेर गेहूं नहीं ला कर खा सकते। जनाब वाला मैं अर्ज़ करूंगा कि जब तक इंटर डिस्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं हम महसूस नहीं करते कि हम एसे आज़ाद आदमी हैं कि जो चाहें खा सकें या जो चाहें खरीद सकें। खैर, इस सारे झगड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता।

जनाब वाला, मैं इस हाउस में कितने ही बरसों से यह कहता आ रहा हूं कि हमारे देश में कोर्स ग्रेन की कमी नहीं है। हां राइस की कमी है। राइस आप बाहर से मंगा लें। इस के अलावा अगर एक ग्रेन भी हिन्दुस्तान में गल्ले का आता है तो वह हम को इतना नुकसान पहुंचाता है कि जिस का अन्दाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अभी मैं ने श्री लंका सुन्दरम् की तकरीर सुनी। जब मैं इन आदाद शुमार को देखता हूं तो हैरान रह जाता हूं कि एक अरब ४७ करोड़ रुपया चार साल में महज़ गैरमुल्की जहाजों के फ्रेट को दिया गया। यह देख कर मेरी छाती पर सांप लोटने लगता है। मैं इस को बरदाश्त नहीं कर सकता कि एक अरब ४७ करोड़ रुपया इस मुल्क से महज़ फ्रेट का दे दिया जाय। जो हमारे देश का १२ सौ करोड़ जिस में से काफी रुपया स्टर्लिंग बैलेनसेज़ का था वह सब का सब खुराक के लियें खत्म कर दिया गया। आप के फिगर्स गलत हैं। क्या मसाला है आप के पासजिस से आप कहते हैं कि यहां अनाज की शार्टेज है। कहते हैं कि हमारे यहां प्रोक्योरमेंट नहीं होता। सारी गलती यह हुई कि आप प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते। आप के स्टेट मिनिस्टर ऐसा करना नहीं चाहते। रोज़ स्टेट मिनिस्टर आप को गलत फिगर्स देते हैं। अब गवर्नमेंट मानती है कि लोकल गवर्नमेंट्स गलत फिगर्स देती हैं। आप की लोकल गवर्नमेंट्स के और पटवारियों के फिगर्स झूठे हैं। मैं आप से पूछता हूं कि आप के पास क्या मसाला है इस बात के लिये कि पैदावार कम हुई है? मैं ने ग्रो मोर फूड इन्क्वारी कमेटी की रिपोर्ट में लिखा था कि गुड़गांव जिले में एक बीघे में पचास मन जौ पैदा हुआ जिस को सुन कर सब के कान खड़े हो गये। फिर अफसरान ने गुड़गांव में जा कर

[पंडित ठाकुर दस भार्गव]

तहकीकात की तो गांव वालों ने कहा कि हम इतना पैदा कर के दिखा सकते हैं। जहां तक कोर्स ग्रेन्स का सवाल है वह देश में काफी है। यह मैं मानता हूं कि चावल यहां कम है। उसे आप ब्रह्मा से मंगा लें तो ज्यादा नुक्सान नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप अमरीका से गल्ला मंगायें। जो आप ने इस के लिये ४० करोड़ रुपया पिछले साल में महज़ फ्रेट पर खर्च किया अगर इस का आधा यानी २० करोड़ भी किसानों और ज़मींदारों में बांट दें तो जो आप दस या पन्द्रह फी सदी की कमी बतलाते हैं वह सारी दूर हो जाती। मैं यह बात कई बार कह चुका हूं। हमारे राजा जी ने मद्रास से कंट्रोल हटा दिया जो कि डेफिसिट एरिया है। लेकिन पंजाब में जो कि दूसरें सूबों को भी सरप्लस गल्ला देता है, एक गांव से दूसरे गांव में हम गल्ला नहीं ले जा सकते। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में गल्ला नहीं ले जा सकते। मैं निहायत अदब से अर्ज़ करूंगा कि जब तक यह कंट्रोल नहीं हटाया जायगा तब तक हिन्दुस्तान में फ्रीडम का ग्लो नहीं आ सकता, हिन्दुस्तान अपने को एक नहीं समझ सकता, हम अपने खून में गरमी नहीं महसूस कर सकते। जितनी बातें कन्ट्रोल वाले कहते हैं उन को मैं सुनता हूं और जो वह रीज़न्स देते हैं उन को भी समझता हूं। लेकिन अब तो आप के पास १९ लाख टन गल्ला मौजूद है और जहां तकलीफ हो आप वहां उस को भेज सकते हैं। फिर कोई तकलीफ है भी नहीं। मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि सारे देश में यह आवाज़ है कि कंट्रोल हटाया जाना चाहिये। अब इस में देर करना वाजिब नहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती है जब मिनिस्टर की राय को भी हम ठीक कर लेते हैं तो भी काम नहीं होने पाता। श्री मुन्शी जी कंट्रोल कंट्रोल करते आये थे। आखिर में वह श्री देशमुख साहब के पास चालीस सफे का पोथा ले कर पहुंचे। वह प्राइवेटली तो कहते थे कि तुम्हारा बयान सही है लेकिन उन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह कंट्रोल हटा दें। अब किदवई साहब तशरीफ लाये हैं। इन के आने से कोई पानी नहीं बरस गया लेकिन हालत सुधर रही है। मैं अदब से अर्ज़ करता हूं कि किदवई साहब को अपनी पालिसी पर चलने दीजिये अगर आप देश का कल्याण चाहते हैं। वह ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। हमारी कैबिनेट में चाहे जिस तरीके से भी काम होता हो लेकिन फूड के मामले में फूड मिनिस्टर की आखिरी वाइस होनी चाहिये। और अगर उस की पालिसी न मानी जाये तो उस को इस्तीफा दे देना चाहिये। हम देखते हैं कि हमारे मिनिस्टर कैबिनेट में और इकानमी कमेटी के सामने अपनी ज़बान नहीं खोलते हैं। मैं अर्ज़ करूंगा कि डिमोक्रेसी का मानी यह है कि जो चीज़ हमारे दिल में है वह आप के सामने रख दें और अगर उन की बात न मानी जाय तो असूल और देश के लिये हितकारी पालिसी की बिना पर इस्तीफा दे दें। हमारे यहां मैटर आफ प्रिंसिपल पर बहुत कम स्तीफे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे मिनिस्टर बिल्कुल अकड़ कर चलें। जो उन के उसूल हों उन के मुताबिक चलें। जिस बात का वह दावा करते हैं उस पर चलें और अगर उन का असूली इखतलाफ हो तो इस्तीफा दे दें। मुझे अफसोस है कि मुझ जैसे इर्रेसपोंसिबिल आदमी की बात कोई सुनना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि कंट्रोल के मामले पर फिर तवज्जह दी जाये। मैं यह नहीं चाहता कि यह बिल्कुल खत्म हो जाये। लेकिन इस हद तक इस को न माना जाय जिस से देश में अशान्ति व अबतरी हो।

श्री कर्णी सिंहजी (बीकानेर-चुरु): मैं केवल उत्तरी राजस्थान में अकाल की स्थिति के बारे में बोलना चाहता हूं। मैं "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित दो समाचारों को

पढ़ता हूं जो बहुत शोचनीय हैं। इस महीने की ४ तारीख को यह बुरा समाचार प्रकाशित हुआ कि बीकानेर के दो लाख व्यक्ति अकाल-ग्रस्त हैं और १३ तारीख को यह कि चम्पासर ग्राम के पटवारी ने जोधपुर के कलेक्टर को यह रिपोर्ट पहुंचाया कि चार व्यक्तियों का एक किसान का कुटुम्ब भूख से मर गया। मेरी यही इच्छा है कि यह सच न हो, पर यदि सच है तो इस के लिये हमें लज्जित होना चाहिये। मुझे आशा है कि केवल राजस्थान सरकार ही नहीं अपितु भारत सरकार भी इस दुर्घटना के दृष्टिगोचर शीघ्रता से कुछ उपाय करेगी।

राजस्थान में ऐसी अकाल स्थिति पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई है। अब के दो वर्ष लगातार उत्तरी राजस्थान अकाल का शिकार बन गया है। टिड्डी आक्रमण भी ऐसा हुआ है जैसा मैं ने सारी आयु में नहीं देखा है। अकाल से अभिभावित क्षेत्रों में बीकानेर डिवीज़न, जोधपुर डिवीज़न का बहुत सा भाग और जैसलमेर ज़िले का बहुत सा भाग है। राजस्थान सरकार इस अकाल को दूर करने में असमर्थ क्यों है? राजस्थान सरकार का एक ही उत्तर है कि निधि नहीं। राज्यों के एकी-करण के समय भूतपूर्व राज्यों ने लगभग १६ करोड़ रुपये का अंशदान किया और भूतपूर्व बीकानेर राज्य ने लगभग इस का एक तिहाई। फिर भी आज यही कहा जाता है कि राजस्थान में धन का घाटा है और वर्तमान स्थिति के अनुकल और पांच वर्ष में दस करोड़ का घाटा होने की सम्भावना है।

प्रश्न यह उठता है कि इस सार्वजनिक वित्त का अपव्यय करने का उत्तरदायित्व किस पर है? जनता का तो दोष नहीं हो सकता, दोष सरकार का ही है क्योंकि गत तीन वर्ष में हमारे हां चार सरकारें बदली हैं। भारत सरकार भी इस विषय में उत्तरदायी है कि राजस्थान सरकार को १६ करोड़ रुपये का अपव्यय क्यों करने दिया। यदि आज पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत दिये गये १६ करोड़ के साथ वह पहले के १६ करोड़ भी होते तो कितना अच्छा होता।

७ म० प०

एकीकरण के समय राजस्थान में सम्मिलित होने वाले राज्यों, अर्थात् जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जैपुर, ने भारत सरकार को रेलें आदि दे दीं जिन का मूल्य १६ से २० करोड़ रुपये था। दूरभाष व्यवस्था आदि का भी मूल मूल्य कई करोड़ होगा। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस मूल लागत के लिये राजस्थान को भारत सरकार से प्रतिकर मिलना चाहिये, ताकि यह राज्य वर्तमान कठिन समस्याओं को हल कर सके। राजस्थान एक पिछड़ा राज्य है और इस को अन्य राज्यों के प्रति अधिक सहायता दी जानी चाहिये ताकि यह भी अन्य भाग (ख) राज्यों के स्तर पर पहुंचे। वर्तमान रूप-रेखा में जो राजस्थान है इस के लिये भारत सरकार पर यह उत्तरदायित्व है कि वह कुछ उपाय करे और यहां की जनता को भूख से मरने से बचाये। मैं संक्षिप्त रूप में राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं का वर्णन करूंगा। पहली बात यह है कि इस बार अकाल के निमित्त जो सहायता दी जाये वह किसी भी हालत में एकीकरण से पूर्व दी गई सहायता से कम नहीं होनी चाहिये। १९३९–४० में बीकानेर तथा जोधपुर में अकाल था और केवल बीकानेर राज्य में ४५ लाख रुपये सहायता के रूप में व्यय किये गये। और इस वर्ष राजस्थान सरकार बीकानेर डिवीज़न पर १ लाख से कुछ ऊपर व्यय करती है। दूसरी बात यह है कि राजस्थान की जनता अब यह उत्तर कि "धन नहीं है" सुनते सुनते तंग आई है। मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि राजस्थान को अपने पैरों पर खड़ा करने के

[श्री कर्णी सिंहजी]

लिये कम से कम दस पन्द्रह करोड़ रुपये दे दे। यह छोटी सी रकम भारत सरकार के लिये कोई बड़ी चीज़ नहीं। वर्तमान वित्तीय स्थिति के लिये जो भी उत्तरदायी हो, यह बात तो माननी पड़ेगी कि राजस्थान भारत का एक भाग है और राजस्थान की जनता को यह अधिकार है कि बराबर के व्यवहार की मांग करें। तीसरी बात यह है कि राजस्थान की जनता और सड़कें तथा रेलें चाहती हैं ताकि वहां सुलभ संचार हो और खाद्य-पदार्थों का आसानी से यातायात किया जाये और लोगों को भी काम मिले। चौथी बात जो है वह भारत सरकार को विदित ही है। राजस्थान प्रान्त में प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार अकाल फैलता है। इस का एक ही उपाय है, वह है कि सिंचाई की नहरों को विस्तृत किया जाये। इस विषय में मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि भाखड़ा नहर को, जो कि उत्तरी राजस्थान में बीकानेर डिवीज़न तक आती है, आगे बीकानेर नगर, बीकानेर ज़िला और जैसलमेर के खुश्क इलाकों तक लाया जाये। चम्बल योजना की इस अकाल की समस्या को हल करने में सहायता देगी।

मैं अन्त में प्रधान मंत्री से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम अब उनको राष्ट्र-पिता मानते हैं और हमें आशा है कि वह एक दृढ़ नीति अपनायेंगे और राजस्थान को वित्तीय सहायता देकर वहां की जनता को निराशावादी बनने से बचायेंगे। राजस्थान की एक महान परम्परा है और यदि आप हमें सहायता दें तो हम भी नये भारत के साथ साथ प्रगति की ओर आगे बढ़ेंगे।

डा० रामा राव (काकिनाडा) : सर्व-प्रथम मैं देश की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर बोलना चाहता हूं जिस के बहुत गुण गाये जा चुके हैं। हम बहुत कुछ कहते हैं कि हम निष्पक्ष हैं, परन्तु मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि हम कोरिया के युद्ध में भाग ले रहे हैं। इस सदन के बाहर कई कांग्रेसी सदस्यों ने कहा है कि कोरिया में हमारी आहतोपचारिका एक रेड क्रास इकाई के समान है। परन्तु वास्तव में बात यह नहीं है यह एक रणक्षेत्र आहतोपचारिका इकाई है। और सैनिक आन्दोलन में भाग लेती है। हम कैसे कह सकते हैं कि हम बिल्कुल निष्पक्ष हैं? यदि हम निष्पक्ष रहना चाहते हैं तो हमें चाहिये कि इकाई वहां से हटा लें।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। कल से मैं इस बात की ओर विशेष ध्यान दूंगा कि जो माननीय सदस्य बोलना चाहे जब तक वह मुझे इस बात का आश्वासन न दिलायें कि वह भी औरों के भाषणों को सुनते रहेंगे मैं उन को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं देखता हूं कि एक माननीय सदस्य यह समझता है कि औरों का कर्तव्य है कि वह उस के भाषण को सुनें और उसका कर्तव्य यह है कि वह भाषण देकर सदन से बाहर चला जाये। यह तो सदन के प्रति अन्याय है।

डा० रामा राव : मैं अपने कांग्रेसी मित्र को चेतावनी देना चाहता हूं कि कहीं साम्य-वाद-विरोध के धोखे में आकर वह हमारी सुरक्षा के प्रति उत्पन्न हुए खतरों को देखने में असमर्थ न रहें। साम्यवाद-विरोध इन साम्राज्यवादियों के लिये एक सुलभ भेस है। श्रीमान्, आप को ज्ञात है कि दक्षिण अफ्रीका में साम्यवाद दमन अधिनियम वर्णात्मक जातियों के मूल अधिकारों का दमन करने के लिये प्रयोग में लाया जाता है। इस आंग्ल-अमरीकी साम्राज्यवाद का खतरा हमारे बहुत निकट आ रहा है। यह लोग जब हमारे देश में आते हैं तो इन का स्वागत किया जाता है। मैं इस बात का विरोध करता हूं और अपने मित्रों से यह कहना चाहता हूं कि वह सावधान रहें।

राष्ट्रपति ने अभिभाषण में जो भाषायी प्रान्तों का वर्णन है वह अस्पष्ट है। हम आन्ध्र निवासियों को यह ज्ञात ही है कि जब तक हम एक हो कर सरकार पर दबाव न डालें, भारत सरकार भाषायी प्रान्त नहीं बनायेगी। पहले सत्र में जब भाषायी राज्यों के बारे में संकल्प रखा गया तो सरकार ने इस का कड़ा विरोध किया यद्यपि साथ ही यह भी कहा गया कि वह भाषायी प्रान्त बनाने के सिद्धान्त को मानती है। जब मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र में गया तो मैं ने आन्ध्र के लोगों को कहा कि जब तक जनता निश्चित कार्यवाही न करेगी सरकार कुछ नहीं करती। तत्पश्चात्, महान् देशभक्त पोट्टी श्रीरामुलू के बलिदान देने पर और आन्ध्र देश के हर वर्ग के लोगों के संघर्ष करने पर भारत सरकार ने आन्ध्र राज्य का एक भाग स्थापित करना मान लिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो आन्ध्र राज्य बनाया गया यह समस्त आन्ध्र राज्य का केवल एक भाग है। दूसरा भाग वह है जो हैदराबाद में मिला हुआ है, परन्तु सारा एक है। इतिहास से ज्ञात होगा कि आन्ध्र राज्य के कई खण्ड बनाये गये और अब हम इन खण्डों का पुनः एकीकरण करना चाहते हैं। मैं यह बात विशेषकर उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं जो कि इस समस्या को समझ नहीं पाते और उसे केवल विभाजन समझते हैं पुनः एकीकरण नहीं। एक बुद्धिमान राजनीतिज्ञ ने भाषायी राज्यों की इस इच्छा को आदिमजातिक इच्छा कहा है। मैं एक जीव-वैज्ञानिक हूं और मैं तो इस को जानवरों वाला अन्तर्बोध भी कहूंगा। पशु से मानव के उद्भवन में प्रथम तथा मुख्य विभेद भाषा है। इसलिये भाषा एक मूल मामला है।

यह कहना कि भाषायी प्रान्त बनाने से देश की प्रतिरक्षा पर दुर्प्रभाव पड़ेगा ग़लत बात है। एक संयुक्त महाराष्ट्र और एक संयक्त करनाटिक से ही एक सबल राज्य बन सकता है, खण्डित, असन्तुष्ट विभाग होने से नहीं। और देश की सुरक्षा का कौन विरोध करता है? हम तो देश की सुरक्षा चाहते हैं। एकीकरण की यह इच्छा दृढ़ है और भारत सरकार जो भी कहे, यह एकीकरण होना अनिवार्य है। हैदराबाद में मौलाना आज़ाद के एक भाषण से जो भारत सरकार मनोवृत्ति प्रकट हुई है, यदि वास्तव में वही मनोवृत्ति हो तो हमें इस एकीकरण के लिये संघर्ष करके इस को प्राप्त करना है। जनता इस मामले में अपने निश्चय को नहीं छोड़ेगी। सरकार चाहती है कि जनता में उत्साह हो। परन्तु जब आप एक सीदी बात को नहीं मानते, जिस में लाखों और करोड़ों रुपये के व्यय का प्रश्न ही नहीं, तो आप उत्साह की आशा कैसे करते हैं? यदि आप इस न्याय-संगत तथा उचित मांग को पूरा करें और भाषायी प्रान्त बनायें तो आप जनता में उत्साह उत्पन्न करेंगे।

हम आन्ध्र राज्य बनाये जाने का स्वागत करते हैं। पर यह पूरा नहीं। पंडित नेहरू के कथनानुसार सरकार विशाल आन्ध्र, संयुक्त करनाटिक, संयुक्त महाराष्ट्र बनाये जाने के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि एक ओर लाखों और करोड़ों लोगों का हित है और दूसरी ओर एक व्यक्ति, हैदराबाद के निज़ाम का हित है। माननीय प्रधान मंत्री अब सामन्त-प्रणाली के समर्थक और सहायक हैं। निज़ाम को प्रसन्न करन के लिये आप इस क्षेत्र की जनता को मूल अधिकारों से वंचित करते हैं। परन्तु जनता ऐसा नहीं होने देगी।

आजकल यह भी हवा उड़ी है कि बम्बई तथा हैदराबाद मुख्यायुक्तों के प्रान्त बनाये जायेंगे। कई भारतीय तथा विदेशी स्वार्थ वाले व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि बम्बई महाराष्ट्र से पृथक् रहे और हैदराबाद आन्ध्र से पृथक् रहे। परन्तु यदि सरकार इन प्रतिगामी अंशों की सहायता करे तो जनता चुप नहीं

[डा० रामा राव]

रहेगी। इसलिये उचित यही है कि मुख्यायुक्तों के प्रान्त बनाने का प्रतिक्रियात्मक उपाय न किया जाये। वास्तव में मेरा यह सुझाव है कि वर्तमान भाग (ग) राज्यों को साथ वाले भाषायी प्रान्तों के साथ जोड़ा जाये। मनीपुर तथा त्रिपुरा जैसे राज्यों के विषय में, जहां विशेष स्थिति है, अलग सरकारें रहें, परन्तु उन्हें भी प्रतिनिधि सरकारें दी जानी चाहियें और प्रशासन कार्य में जनता का सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि नगरों और देहातों की अर्थ व्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर है। आप महाराष्ट्र को बम्बई के उद्योगों आदि से वंचित नहीं कर सकते। और यही हाल हैदराबाद का है। यदि ऐसी प्रतिगामी कार्यवाही की गई तो जनता उसका कड़ा विरोध करेगी।

श्री एम० आर० कृष्ण (करीमनगर रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनने का बहुत उत्सुक था क्योंकि मुझे आशा थी कि वह हमें कोई आश्वासन देंगे कि सरकार अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों और पिछड़े वर्गों की महान् समस्याओं को कैसे हल करेगी। परन्तु दुर्भाग्यवश राष्ट्रपति ने शब्दों की भी बचत की और अनुसूचित जातियों की समस्याओं के बारे में केवल एक वाक्य कहा।

१९५० में जब योजना आयोग नियुक्त हुआ तो इन समुदायों को बड़ी आशायें मिलीं। हमारा विचार था कि योजना आयोग जनसंख्या के इस विभाग की भूख, दारिद्रय, बीमारी, निरक्षरता आदि दूर करने के लिये कुछ ठोस उपाय करेगा। आयोग ने एक बड़ा प्रतिवेदन प्रकाशित किया है परन्तु इस में केवल १२ पृष्ठों में अनुसूचित जातियों की समस्याओं का वर्णन किया गया है। योजना आयोग ने ५ करोड़ अनुसूचित जातियों, १ करोड़ ८० लाख अनुसूचित आदिमजातियों तथा ५० लाख पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के लिये केवल ४१ करोड़ रुपया पृथक् रखा है। इस में से १४ करोड़ अनुसूचित जातियों के सुधार के लिये व्यय होना है, अर्थात् पांच वर्ष की कालावधि में योजना आयोग अनुसूचित जातियों के लिये तीन रुपया प्रति व्यक्ति व्यय करेगा। इस का अभिप्राय यह है कि सरकार अनुसूचित जातियों के लिये प्रति व्यक्ति प्रति मास एक आना व्यय करेगी।

इन समुदायों की बहुत सी समस्यायें हैं। इन में से लगभग ८० प्रतिशत अभी बहुत ही दुःखी हालत में हैं। वह बहुत ही अस्वच्छ वातावरण में रहते हैं। जिस भूमि पर उन्हों ने अपनी झोंपड़ियां खड़ी की हैं वह भी उन की अपनी नहीं। और इस भूमि के स्वामी, बहुत किराया लेने पर भी, इन को तंग करते रहते हैं। मैं इस सरकार से यह अपील करूंगा कि सर्वप्रथम उपाय यह किया जाये कि इन समुदायों को भूस्वामियों के पंजे से निकाला जाये और इन्हें घर बनाने के लिये भूमि दी जाये ताकि यह लोग शांतिपूर्वक रह सकें। केन्द्रीय सरकार ऐसा कर सकती है। मर्यादा तो यह बन गई है कि केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारों पर उत्तरदायित्व डालती है और राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार पर। इस प्रकार बहाने बनाने से अनसूचित जातियों की समस्यायें हल नहीं होने पायेंगी। हमारा उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है। परन्तु यदि जनता का एक भाग पशुओं का सा जीवन व्यतीत करता हो और हम उस की ओर विशेष ध्यान न दें तो हमारा लोकतन्त्र का दावा केवल एक ढोंग ही रह जायेगा। सरकार सुविधाप्राप्त-वर्गों पर उपकर लगा कर इन समुदायों की सहायता कर सकती है। अनुसूचित जातियां आज इस कारण दुर्वस्था में पड़ी हैं कि सुविधाप्राप्त-वर्गों ने

इन्हें कभी जीवन की सुविधायें प्राप्त नहीं करने दीं। इसलिये उन पर उपकर लगाया जाना चाहिये और सरकार इस प्रकार इन दुःखी लोगों को गृह-निर्माण का सामान दे सकती है। यह सच मुच एक महान् उपाय होगा।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, कहा जाता है मद्रास सरकार ने इन पिछड़े समुदायों को शिक्षा देने के लिये बहुत कुछ किया है। परन्तु जिस मद्रास सरकार की इतनी प्रशंसा की जाती है वही अब छात्रवृत्तियां बन्द करने का प्रयत्न कर रही है। मुझे बताया गया है कि कलेक्टरों को यह आदेश दिया गया है कि, कोई नये होस्टेल खोलने की अनुमति न दी जाये। यदि ऐसा किया जा रहा है तो निस्सन्देह अनुसूचित जातियों के मन में इस सरकार के प्रति कोई आदर की भावना नहीं रहेगी। अनुसूचित जातियां इस देश की जन संख्या का एक बड़ा भाग हैं और यदि उन के मन में कोई ऐसी भावना उत्पन्न हो जाये तो वह बहुत कुछ बुरा भला कर सकते हैं। एक संशोधन रखा गया है जिस का अभिप्राय यह है कि अनुसूचित जातियों के लिये अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा पद्धति अपनायी जाये। हैदराबाद राज्य में यह निश्शुल्क-शिक्षा पद्धति चलाई गई। वहां पिछड़े वर्गों के लिये कई स्कूल खोले गये परन्तु बहुत समय तक यह स्कूल खाली रहे क्योंकि इन समुदायों के बच्चे सामान्यतः ऐसे काम में लगे रहते हैं जिस से उन को कुछ कमाई होती है। उन के माता पिता शिक्षा का मूल्य नहीं जानते हैं और उन का काम करना अच्छा समझते हैं क्योंकि इस से उन को कुछ रुपया मिलता है। इस पर हैदराबाद सरकार ने इस समुदाय के प्रत्येक बच्चे को वज़ीफा दिया। केन्द्रीय सरकार अन्य राज्य सरकारों पर भी यह जोर डाल सकती है कि वह भी यही रीति अपनायें जब तक कि इन समुदायों के बच्चों को स्कूलों में पढ़ने की आदत पड़ जाये।

कृषि जीवियों के इस देश में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कृषक ऐसे हैं जिन के पास अपनी कोई भूमि नहीं। जहां कहीं थोड़ी सी भूमि इन लोगों के पास है भी, वहां धनी भूस्वामी इन्हें तंग करते हैं और दारिद्र्यवश यह लोग अपनी भूमि खो लेते हैं क्योंकि इन के पास मुक़दमा आदि करने के लिये धन नहीं। इस के अलावा यह लोग सदा ही साहूकारों के पंजे में आते हैं। सरकार को चाहिये कि इनको तक्कावी उधार देने के लिये अलग धन निधियां रखे। योजना आयोग ने नदी घाटी परियोजनाओं के निमित्त बड़ी बड़ी धनराशियां रखी हैं परन्तु इस विषय में भी अनुसूचित जातियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जो भी विकास योजना की जाये उस के सम्बन्ध में इन समुदायों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये।

मैं सदन का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। हम राजनैतिक भिखारी नहीं बनना चाहते, न हम दान मांगते हैं। हम उचित न्याय चाहते हैं। हम स्वतन्त्र भारत में आदरणीय भारतीयों का सा व्यवहार चाहते हैं। यदि आप हमारे साथ उचित न्याय नहीं करेंगे तो हो सकता है कि यह उपेक्षित समुदाय, यह अस्पृश्य लोग, विद्रोह करें।

तत्पश्चात सदन की बैठक मंगलवार, १७ फरवरी, १९५३ के दो बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

GIPD—HS—194 PSD—4-11-53—285